वार्षिक रिपोर्ट
2002 - 2003

नैशनल
हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर
कारपोरेशन लि०
(भारत सरकार का उद्यम)

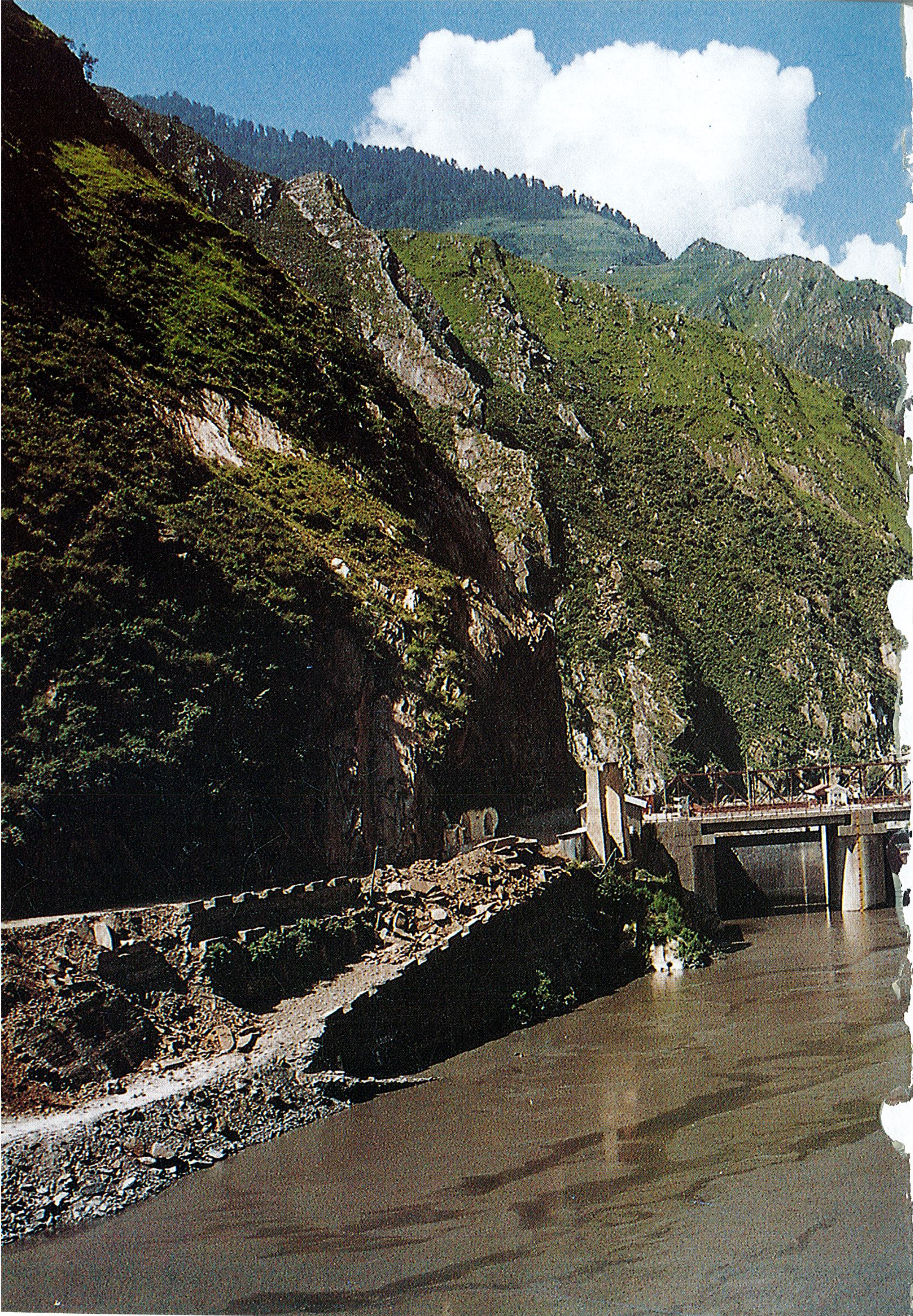

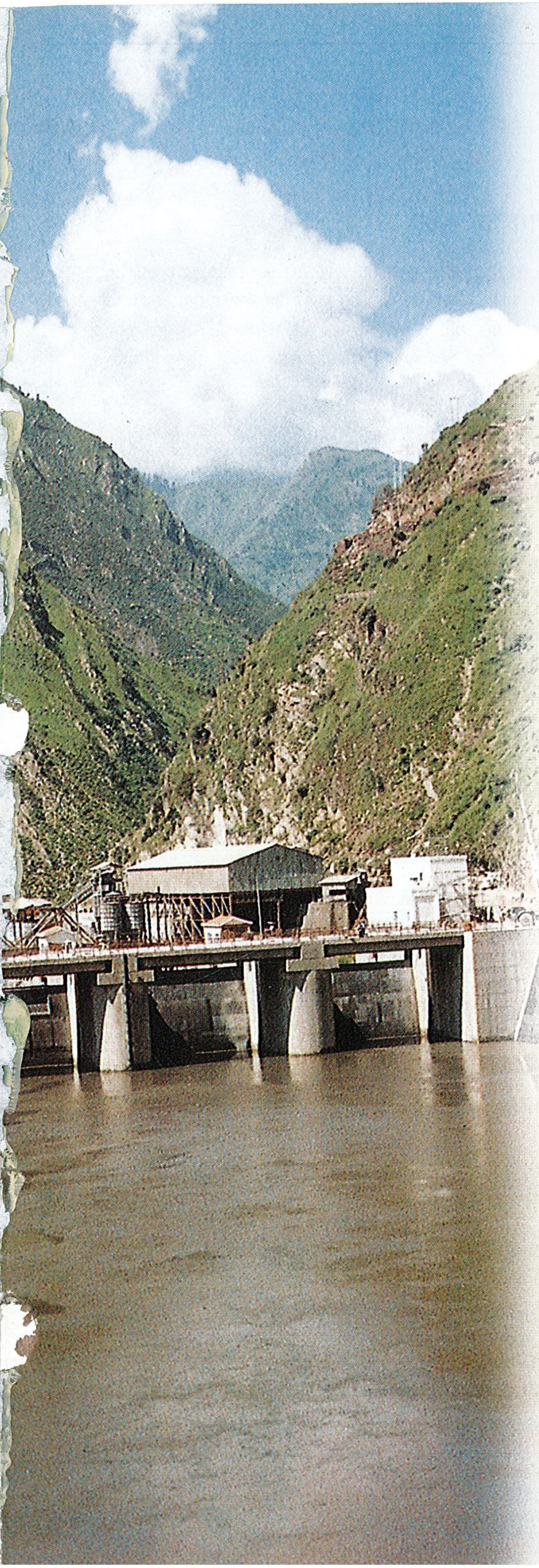

विषय सूची

एनएचपीसी

निगम का लक्ष्य तथा उद्देश्य	–	2
निदेशक मंडल	–	3
कारपोरेट रूपरेखा	–	4
महत्वपूर्ण आंकड़ों का सार (दस वर्ष)	–	6
अध्यक्षीय संबोधन	–	9
निदेशकों की रिपोर्ट	–	13
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	–	41
वार्षिक लेखे	–	48

एनएचडीसी

निदेशकों की रिपोर्ट	–	105
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	–	112
वार्षिक लेखे	–	116

निगम का लक्ष्य

एनएचपीसी का लक्ष्य देश की विशाल जल विद्युत, ज्वारीय, पवन, भू–तापीय और गैस ऊर्जा संभाव्यता का दोहन करके सस्ती, प्रदूषण–रहित और कभी न समाप्त होने वाली बिजली का उत्पादन करना है। एनएचपीसी केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत, ज्वारीय, गैस, भू–तापीय और पवन विद्युत संभाव्यता के एकीकृत और दक्ष विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस विकास में जल विद्युत, ज्वारीय, भू–तापीय, गैस और पवन विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण, योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन व रख–रखाव करने जैसे सभी पहलू शामिल होंगे।

निगम का उद्‌देश्य

आधुनिक कार्य प्रणाली और नवीनतम तकनीकों को अपनाकर हाइड्रो परियोजनाओं के योजनाबद्ध विकास का लक्ष्य शीघ्रता से प्राप्त करना। साथ ही एकीकृत प्रबंधन पद्धति को अपनाकर न्यूनतम लागत और कम से कम समय में जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करना।

संचालन और रख–रखाव की आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर संचालित पावर स्टेशनों की संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, जिसमें पावर जनरेटिंग स्टेशनों का संवर्धन, आधुनिकीकरण और जहाँ आवश्यक हो, इनकी क्षमता में वृद्धि करना भी शामिल है।

व्यापक कारपोरेट योजना बनाना और दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में योजनाओं को तैयार करना तथा देश में बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के मद्‌देनजर इन योजनाओं को निरंतर नयापन देना। पावर क्षेत्र में निगम की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यानपूर्वक मॉनिटर करना।

आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण आदि के माध्यम से मानव संसाधन विकास के साथ–साथ उपयुक्त संगठनात्मक विकास का लक्ष्य निर्धारित करना और इसे प्राप्त करना।

देश में जल विद्युत के मिले–जुले हिस्से में सुधार करने की दृष्टि से नदी बेसिनों के जल विद्युत संसाधनों का अधिकतम और तेजी से विकास करने के लिए दीर्घकालिक उपयोगिता के संभाव्यता अध्ययन शुरू करना।

देश में जल विद्युत, ज्वारीय, भू–तापीय, गैस और पवन विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन हाथ में लेना।

परियोजना अन्वेषण, डिजाइन, इंजीनियरिंग और परियोजना कार्यान्वयन के क्षेत्र में परामर्शी कार्यों को हाथ में लेना। देश तथा विदेश में डिपॉजिट आधार पर टर्नकी निष्पादन के कार्य हाथ में लेना।

विभिन्न पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय सुरक्षात्मक उपायों को अपनाकर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय सचेतनता बनाए रखना।

वित्तीय उद्‌देश्य

क्षमता में बढ़ोतरी और नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन वित्त पोषण हेतु पर्याप्त आंतरिक संसाधन जुटाना।

राष्ट्रीय उद्‌देश्यों के अनुकूल निगम की गतिविधियों की वांछित प्रगति को प्राप्त करने के उद्‌देश्य से दीर्घकालीन कारपोरेट योजनाएं बनाना।

अत्यंत किफायती लागत पर अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए निरंतर प्रयास करना।

सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को बिना किसी वृद्धि के निर्धारित समय और लागत में पूरा करना।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल
(30.9.2003 को)

श्री योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री ए.के. गंगोपाध्याय
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री आर.के. शर्मा
निदेशक (तकनीकी)

श्री एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

श्री मृत्युंजय साहु
संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार
विद्युत मंत्रालय

श्री अनिल कुमार कुट्टी
संयुक्त सचिव (हाइड्रो)
विद्युत मंत्रालय

कंपनी सचिव
श्री विजय गुप्ता

सांविधिक लेखापरीक्षक
बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
एफ–14, शिवम हाउस, अमर चैम्बर्स, अपार्टमेंट नं.17
कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001

शाखा लेखापरीक्षक
गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
1–ए, ट्रिब्यून कॉलोनी, जगाधरी रोड, अम्बाला–133001, हरियाणा

ए. आर. मैती एण्ड कंपनी
इण्डिया स्टीम शीप हाउस, 21 ओल्ड कोर्ट, हाउस स्ट्रीट,
कोलकाता–700001, पश्चिम बंगाल

भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
4648 सेधुमल बिल्डिंग, 21 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली–110002

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
देना बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
जे. एण्ड के. बैंक लि.
आईसीआईसीआई बैंक लि.
डयूश बैंक
यू.टी.आई. बैंक लि.
बैंक ऑफ भूटान
केनरा बैंक

पंजीकृत कार्यालय : एनएचपीसी ऑफिस कॉम्पलेक्स, सेक्टर–33, फरीदाबाद–121003 (हरियाणा)

कारपोरेट रूपरेखा

वित्तीय		2002-2003	2001-2002	2000-2001	1999-2000
बिक्री	*	11723	12210	11799	10757
विविध आय	@	3029	3304	5757	2026
ब्याज, मूल्यह्रास तथा कर से पूर्व लाभ	$	10733	11835	12097	10707
ब्याज तथा मूल्यह्रास के पश्चात लाभ		5550	5131	4842	4012
ब्याज, मूल्यह्रास तथा कर के पश्चात लाभ		5105	4709	4434	4012
लाभांश		750	500	300	150
आरक्षित तथा अधिशेष (संचयी)		28524	24201	19992	15889
निगम का स्वामित्व					
सकल स्थिर परिसंपत्तियां		82809	81135	78927	77527
मूल्यह्रास		16722	15267	12801	10290
शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां		**66087**	**65868**	**66126**	**67237**
चालू पूंजीगत कार्य		70780	52183	37108	27686
निर्माण भण्डार एवं पेशगी		6217	5255	6130	5115
निवेश		25379	19650	6799	-
शुद्ध चालू परिसंपत्तिया		17675	15122	18642	21009
विविध खर्च (बटटे खाते या समायोजित न किए गए की सीमा तक)		12	20	98	19
		186150	**158098**	**134903**	**121066**
निगम की देयता					
शुद्ध मूल्य					
- हिस्सा पूंजी		72406	63457	51882	44462
- आरक्षित		28524	24201	19992	15889
- आकस्मिकताओं के लिए स्व–बीमा		2132	1784	1399	1017
- मूल्यह्रास के बदले बतौर पेशगी अग्रिम रूप से प्राप्त आय		8010	6484	5199	3861
उधार		75078	62172	56431	55837
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं		12935	11329	-	-
आस्थगित कर वसूली योग्य		(12935)	(11329)	-	-
		186150	**158098**	**134903**	**121066**
संचालित कार्य–निष्पादन		**2002-2003**	**2001-2002**	**2000-2001**	**1999-2000**
उत्पादन (मिलियन यूनिट)		9863	8912	8774	8691
मशीन उपलब्धता (%)		96.62	96.86	92.09	91.05
बिक्री (करोड़ रुपए)		1172	1221	1180	1076
जन शक्ति (संख्या)		13017	13054	11850	12150

* टैरिफ समायोजन और मूल्यह्रास के बदले पेशगी शुद्ध बिक्री

@ ठेकों के लिए प्राप्तियां शामिल हैं

$ पूर्व–अवधि समायोजन के पश्चात

(मिलियन रुपए)

1998-1999	1997-1998	1996-1997	1995-1996	1994-1995	1993-1994
11944	9930	5344	5091	4805	2087
391	44	217	20	16	22
9992	8491	4811	4330	3714	1714
3053	2994	1067	774	937	705
3053	2994	1067	774	937	705
150	150	150	150	100	50
12062	9174	6345	5443	4819	3982
70904	69036	38938	37275	35978	16040
8111	5986	6228	4901	3698	2912
62793	**63050**	**32710**	**32374**	**32280**	**13128**
25760	20731	48957	44447	33801	31487
3228	3320	1167	1690	2265	13682
14718	12525	4868	3954	5243	8351
4	17	50	86	106	45
106503	**99643**	**87752**	**82551**	**73695**	**66693**
38250	33930	29174	28903	28327	28325
12062	9174	6345	5443	4819	3982
659	312	-	-	-	-
2455	1305	-	-	-	-
53077	54922	52233	48205	40549	34386
106503	**99643**	**87752**	**82551**	**73695**	**66693**

1998-1999	**1997-1998**	**1996-1997**	**1995-1996**	**1994-1995**	**1993-1994**
9917	8816	5614	6141	6058	3587
88.39	83.00	83.25	85.30	83.99	84.66
1194	993	534	509	478	206
11860	11799	12119	11984	12145	12449

महत्वपूर्ण आंकड़ों का सार (दस वर्ष)

			2002-2003	2001-2002	2000-2001	1999-2000
क.	ऊर्जा की बिक्री	$	13249	13496	13137	12163
ख.	मूल्यह्रास के बदले पेशगी		1526	1286	1338	1406
ग.	अन्य आय	#	3029	3304	5757	2026
घ.	कुल आय (क)–(ख)+(ग)		**14752**	**15514**	**17556**	**12783**
च.	उत्पादन व अन्य खर्चे	@	4019	3679	5459	2076
छ.	सकल मार्जिन (घ)–(च)		**10733**	**11835**	**12097**	**10707**
ज.	मल्यह्रास		1404	2316	2387	2198
झ.	सकल लाभ (छ)–(ज)		**9329**	**9519**	**9710**	**8509**
ट.	ब्याज और वित्तीय प्रभारें		3779	4388	4868	4497
ठ.	शुद्ध लाभ (झ)–(ट)		**5550**	**5131**	**4842**	**4012**
ड.	कर		445	422	408	-
ढ.	कर पश्चात शुद्ध लाभ (ठ)–(ड)		**5105**	**4709**	**4434**	**4012**
त.	जुटाए गए आंतरिक संसाधन (ज)+(ढ)+(ख)		**8035**	**8311**	**8159**	**7616**
थ.	प्राधिकृत पूंजी		100000	70000	70000	50000
द.	इक्विटी प्रदत्त पूंजी	*	72406	63457	51882	44462
ध.	आरक्षित व अधिशेष		28524	24201	19992	15889
न.	आकस्मिकताओं के लिए स्व बीमा		2132	1784	1399	1017
प.	ऋण निधि		75078	62172	56431	55837
फ.	मूल्यह्रास के बदले अग्रिम तौर पर पेशगी के रूप में प्राप्त आय(ककघ)		8010	6484	5199	3861
ब.	सकल स्थिर परिसंपत्तियां		82809	81135	78927	77527
भ.	मूल्यह्रास		16722	15267	12801	10290
म.	शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां (ब)–(न)		**66087**	**65868**	**66126**	**67237**
य.	चालू पूंजीगत कार्य		70780	52183	37108	27686
र.	निर्माण भंडार व पेशगियां		6217	5255	6130	5115
ल.	निवेश		25379	19650	6799	-
व.	कार्यकारी पूंजी		17675	15122	18642	21009
कक	बट्टे खाते न डाले गए की सीमा तक विविध खर्च		12	20	98	19
कख	नियोजित सकल पूंजी (म)+(य)+(र)+(ल)+(व)		**186138**	**158078**	**134805**	**121047**
कग	शुद्ध मूल्य (द)+(ध)+(न)+(फ)-(कक)		**111060**	**95906**	**78374**	**65210**
कघ	विद्युत उत्पादन, प्रशासन व बिजली की खरीद के अनुसार उपयोग की गई इन्वेंटरी		27	69	71	60
कच	मूल्य संवर्धन (क)-(ख)-(कघ)		**11696**	**12141**	**11728**	**10697**

$ टैरिफ समायोजन तथा संदेहास्पद देनदारियों के लिए प्रावधान सहित

जिसमें संविदा व परामर्शी प्राप्ति शामिल हैं

@ जिसमें संविदा व परामर्शी खर्चे शामिल हैं

* शेयर डिपॉजिट और इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि सहित

अनुपात

	2002-2003	2001-2002	2000-2001	1999-2000
1. सकल नियोजित पूंजी पर आय (झ)/(कख)	5.01%	6.02%	7.20%	7.03%
2. शुद्ध मूल्य पर आय (ढ)/(कग)	4.60%	4.91%	5.66%	6.15%
3. सकल नियोजित पूंजी के लिए शुद्ध बिक्री ((क)–(ख))/(कख)	6.30%	7.72%	8.75%	8.89%
4. शुद्ध बिक्री के लिए संवर्धित मूल्य (कच)/((क)–(ख))	99.77%	99.43%	99.40%	99.44%
5. इक्विटी अनुपात के लिए देनदारी (प)/((द)+(ध)+(न)+(फ))	0.68	0.65	0.72	0.86
6. शुद्ध बिक्री की तुलना में शुद्ध लाभ (ढ)/((क)–(ख))	43.55%	38.57%	37.58%	37.30%

(मिलियन रुपए)

1998-1999	1997-1998	1996-1997	1995-1996	1994-1995	1993-1994
13094	11235	5344	5091	4805	2087
1150	1305	-	-	-	-
391	44	217	20	16	22
12335	**9974**	**5561**	**5111**	**4821**	**2109**
2343	1483	750	781	1107	395
9992	**8491**	**4811**	**4330**	**3714**	**1714**
2152	1140	1111	1029	365	230
7840	**7351**	**3700**	**3301**	**3349**	**1484**
4787	4357	2633	2527	2412	779
3053	**2994**	**1067**	**774**	**937**	**705**
-	-	-	-	-	-
3053	**2994**	**1067**	**774**	**937**	**705**
6355	**5439**	**2178**	**1803**	**1302**	**935**
50000	35000	35000	25000	25000	25000
38250	33930	29174	28903	28327	28325
12062	9174	6345	5443	4819	3982
659	312	-	-	-	-
53077	54922	52233	48205	40549	34386
2455	1305	-	-	-	-
70904	69036	38938	37275	35978	16040
8111	5986	6228	4901	3698	2912
62793	**63050**	**32710**	**32374**	**32280**	**13128**
25760	20731	48957	44447	33801	31487
3228	3320	1167	1690	2265	13682
-	-	-	-	-	-
14718	12525	4868	3954	5243	8351
4	17	50	86	106	45
106499	**99626**	**87702**	**82465**	**73589**	**66648**
53422	**44704**	**35469**	**34260**	**33040**	**32262**
133	60	48	13	37	18
11811	**9870**	**5296**	**5078**	**4744**	**2044**
7.36%	7.38%	4.22%	4.00%	4.55%	2.23%
5.71%	6.70%	3.01%	2.26%	2.84%	2.19%
11.22%	9.97%	6.09%	6.17%	6.53%	3.13%
98.89%	99.40%	99.10%	99.74%	98.73%	97.94%
0.99	1.23	1.47	1.40	1.22	1.06
25.56%	30.15%	19.97%	15.20%	19.50%	33.78%

60 मेगावाट का रंगित पावर स्टेशन (सिक्किम) – बांध का अपस्ट्रीम दृश्य

अध्यक्षीय संबोधन

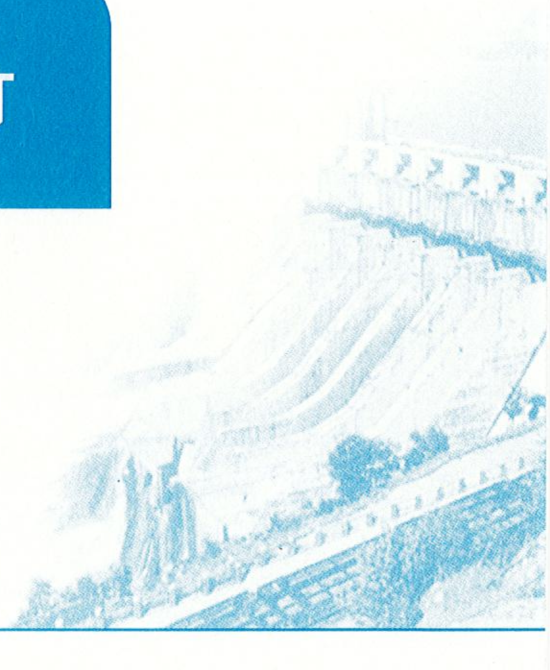

अध्यक्षीय संबोधन

प्रिय शेयरधारको,

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. की 27वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखे विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु पहले ही आपके पास हैं। मैं आपकी अनुमति से इन्हें पढ़ा गया समझूंगा।

आपको सूचित करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम का कार्य–निष्पादन, 13249 मिलियन रुपए के बिक्री कारोबार के साथ उत्कृष्ट रहा। निगम का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष में 4709 मिलियन रुपए की तुलना में 5105 मिलियन रुपए था। आपके निदेशकों ने गत वर्ष के 500 मिलियन रुपए के कुल लाभांश की तुलना में 750 मिलियन रुपए का लाभांश देने की सिफारिश की है, जिसमें 500 मिलियन रुपए का अतंरिम लाभांश भी शामिल है।

वर्ष के दौरान, निगम के संचालित पावर स्टेशनों से 9000 मिलयिन यूनिट उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में 9862.72 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया, जबकि कुछ पावर स्टेशनों में पानी का बहाव कम था, जिसके कारण विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि सभी संचालित यूनिटों का समग्र रूप से कुल क्षमता सूचकांक 96.62% था, जो कि लक्ष्य से 4% अधिक रहा।

सभी निष्पादनाधीन परियोजनाओं पर कार्य प्रगति संतोषजनक रही। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण–II निर्धारित कार्यक्रम से लगभग 9 महीने पहले ही वाणिज्यिक संचालन के लिए तैयार है। स्वीकृति मिलने के बाद पांच वर्षों से कम अवधि में इस परियोजना से उत्पादन शुरू करने से निसन्देह इस संबंध में व्याप्त भ्रांतियां दूर होंगी कि आमतौर पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण दीर्घावधि में होता है और इससे भविष्य में अधिकांश जल विद्युत परियोजनाओं को पांच वर्ष या उससे कम अवधि में पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी।

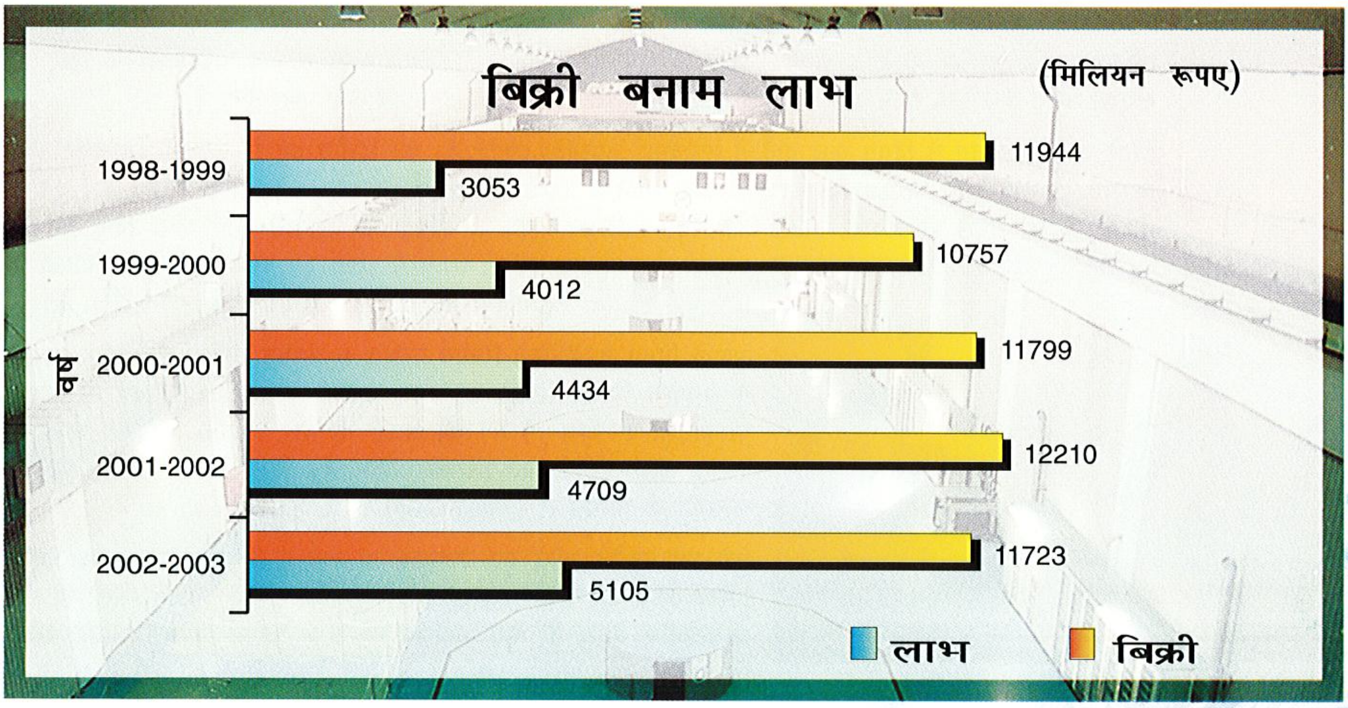

390 मे.वा. दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व कश्मीर)– हैड रेस टनल

यह संतोष का विषय है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना की हेडरेस टनल की खुदाई में निरंतर आने वाली समस्याओं का निदान दिनांक 27.08.2003 को टनल को आर–पार करके सफलता–पूर्वक किया जा चुका है। ऐसी संभावना है कि जनवरी, 2004 तक परियोजना वाणिज्यिक तौर पर संचालित हो जाएगी।

धौलीगंगा तथा तीस्ता–V जल विद्युत परियोजना का कार्य भी संतोषजनक है तथा सभी बड़े लक्ष्य निर्धारित समय से पहले पूरे किए गए हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अप्रैल, 2003 में तीस्ता जल विद्युत परियोजना चरण–V का दौरा किया था तथा कार्य–प्रगति की सराहना की थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने सीसीईए से अनुमोदन प्राप्त होने पर पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण–II (800 मेगावाट) के सक्रिय निर्माण का कार्य भी शुरू किया है। बड़े सिविल और इलैक्ट्रो–मैकेनिकल कार्यों से संबधित सभी ठेके दे दिए गए हैं। परियोजना के सभी स्थलों पर बुनियादी ढांचा विकास कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है।

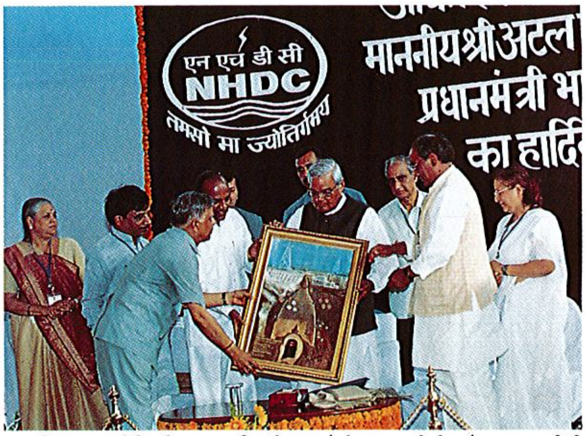

माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एनएचपीसी और एनएचडीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक से स्मृति चिह्न प्राप्त करते हुए

भारत सरकार ने अरूणाचल प्रदेश में 2000 मेगावाट की सुबानसिरि लोअर जल विद्युत परियोजना तथा जम्मू व कश्मीर में 120 मेगावाट की सेवा जल विद्युत परियोजना चरण–II के निष्पादन के लिए अगस्त 2003 में स्वीकृति दे दी है। सुबानसिरी परियोजना के कार्यों के ठेके देने का कार्य चल रहा है तथा सेवा परियोजना–II के सिविल कार्यों के ठेके का निर्णय ले लिया गया है।

हमारी सहायक कंपनी, नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम है, भी परियोजनाओं को निर्धारित समय से पहले पूरा करने में हमारे साथ है। इन्दिरा सागर परियोजना की दो यूनिटें अक्तूबर, 2003 तक तथा अन्य दो यूनिटें जनवरी, 2004 तक और शेष यूनिटें 2005 के लक्ष्य के स्थान पर 2004 तक तैयार हो जाने की संभावना है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 520 मेगावाट की ओमकारेश्वर परियोजना के निष्पादन के लिए मई, 2003 में अपना अनुमोदन दे दिया है तथा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 30.08.2003 को इस परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना की निर्माण गतिविधियां प्रारम्भ हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ संयुक्त उद्यम के तौर पर प्रस्तावित पुरूलिया पम्प्ड स्टोरेज परियोजना के लिए नई संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन और निवेश के संदर्भ में भारत सरकार का अनुमोदन अभी प्राप्त होना है।

हमारे परामर्श विभाग ने विगत कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्शाई हैं। गत वित्तीय वर्ष में, 268.80 मिलियन रुपए के नए परामर्शी कार्य हासिल किए गए थे तथा विभिन्न कार्यों से 124.9 मिलियन रुपए प्राप्त किए। इस वर्ष के दौरान अप्रैल, 2003 से अगस्त, 2003 तक 900 मिलियन रुपये से अधिक के परामर्शी कार्य प्राप्त किए गए हैं। परामर्श में बढ़ते व्यापार को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने परामर्शी सेवाओं के लिए पूर्ण स्वायत्त सहायक कंपनी को शामिल करने का निर्णय लिया है।

मैसर्स फिच रेटिंग के साथ क्रेडिट रेटिंग बैठक

आपके निगम ने नीतिगत वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से देश के वित्तीय बाजार में अनुकूल वित्तीय स्थिति का लाभ उठाया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एलआईसी के साथ 19 वर्ष की अवधि के लिए 25000 मिलियन रुपये के लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। निगम ने बाण्डों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से 5700 मिलियन रुपये जुटाए हैं।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एनएचपीसी को विश्व प्रसिद्ध फिच रेटिंग द्वारा घरेलू उधार के लिए "एएए" रेटिंग मिली है और अन्तर्राष्ट्रीय उधार के लिए सर्वोत्तम रेटिंग के समान "बीबी" क्रेडिट रेटिंग मिली है। इससे वित्तीय संस्थानों के बीच एनएचपीसी की क्रेडिट क्षमता में

माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से श्रम वीर पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री नंद लाल निशाद

काफी वृद्धि होगी तथा निवेशकों को एनएचपीसी में निवेश करने के विश्वास को और सुदृढ़ करेगी।

निगम ने वर्ष के दौरान 1267.08 मिलियन रुपये के ब्याज और 12652.07 मिलियन रुपये की मूल राशि वसूल की है, जो बिलिंग का 90.94% है।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण–I के कर्मचारी श्री नन्द लाल निशाद को वर्ष, 2001 के लिए प्रधानमंत्री श्रमवीर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। निगम मुख्यालय में कार्यरत श्री वीरेन्द्र कुमार को भी, विकलांगता के बावजूद, उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए नैशनल अवार्ड दिया गया है।

वर्ष 2001–2002 में विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर के अधीन आपके निगम को कार्य निष्पादन के लिए 'उत्कृष्ट' माना गया है और कार्य निष्पादन मानकों के अनुसार वर्ष 2002–03 में लगातार नौवे वर्ष भी 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्राप्त करने की निगम की तैयारी है।

भारत सरकार ने ''वर्ष 2012 तक सभी के लिए विद्युत'' के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरूआत की है। आपका निगम 10वीं एवं 11वीं योजना में क्रमशः 4357 मेगावाट और 11194 मेगावाट विद्युत की अधिवृद्धि करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कृतसंकल्प है। 25111 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की परियोजनाएं सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के अधीन हैं। ग्यारहवीं योजना में पूरी की जाने वाली परियोजनाओं के सर्वेक्षण व अन्वेषण के अलावा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मई, 2003 में शुरू किए गए ''50000 मेगावाट जल विद्युत की नई पहल'' नामक कार्यक्रम के अधीन 21345 मेगावाट क्षमता की 43 परियोजनाओं का अध्ययन का कार्य हमें सौंपा गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी और गर्व है कि ''50000 मेगावाट जल विद्युत की नई पहल'' कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण और सार्थक योगदान देने के लिए एनएचपीसी पूरी तरह तैयार है।

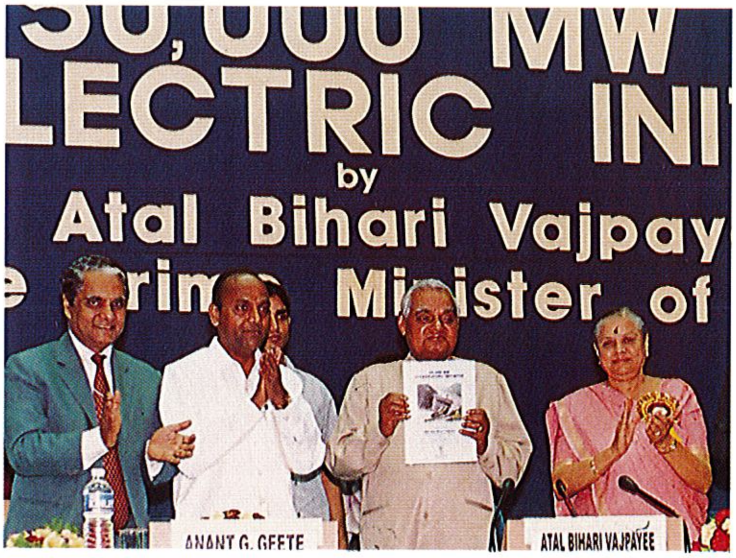

माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 50000 मेगावाट जल विद्युत की नई पहल कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने के अवसर पर पुस्तक का विमोचन करते हुए

भौगोलिक आकस्मिकताओं/उग्रवाद/सुरक्षा समस्या के बावजूद एनएचपीसी परिवार के सभी सदस्यों ने परियोजनाओं को दक्षतापूर्वक समय पर पूरा करने में अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है।

मै निदेशक मंडल की ओर से और स्वयं अपनी ओर से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, योजना आयोग, राज्य सरकारों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, लाभभोक्ताओं/बोर्ड और अन्य एजेंसियों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और निवेशकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने निगम में अपना विश्वास बनाए रखा है।

मैं निदेशक मण्डल के सभी निदेशकों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन, योगदान और सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं, जिनके सक्रिय सहयोग से निगम नई ऊँचाईयां और कार्य–निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने में समर्थ हो सका है।

दिनांक : 30.9.2003
स्थान : फरीदाबाद

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

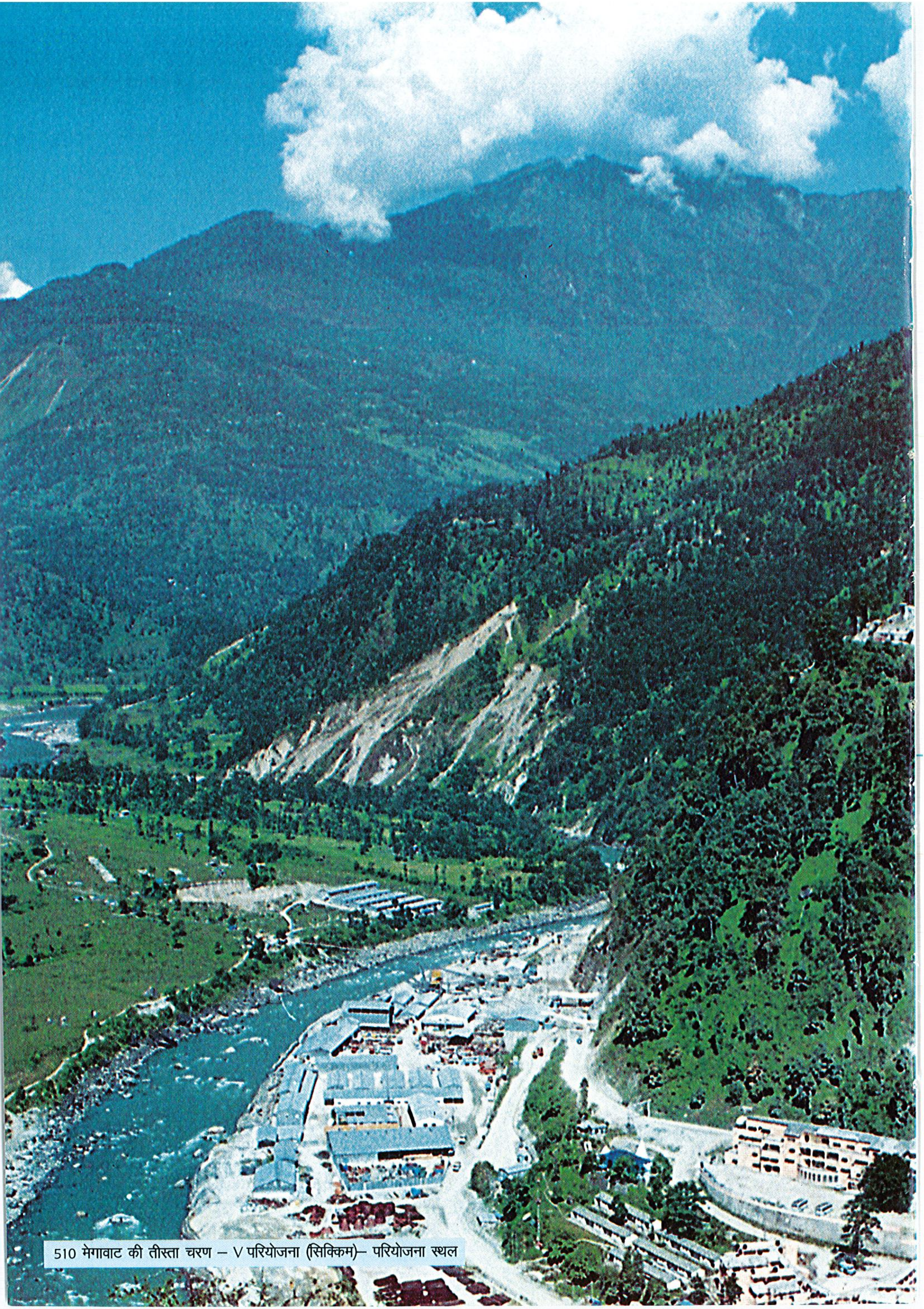

510 मेगावाट की तीस्ता चरण – V परियोजना (सिक्किम)– परियोजना स्थल

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.,

निदेशक मण्डल को आपके समक्ष निगम की 27वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस रिपोर्ट में लोखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखों की समीक्षा शामिल है।

1. वित्तीय कार्य निष्पादन

31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश तालिका–1 में नीचे दिया गया है।

तालिका –1 वित्तीय परिणाम (मिलियन रुपये में)

विवरण	2002–2003	2001–2002
विद्युत की बिक्री	13249	13496
मूल्यह्रास, ब्याज व कर पूर्व लाभ	10733	11835
मूल्यह्रास	1404	2316
मूल्यह्रास के बाद तथा ब्याज व कर पूर्व लाभ	9329	9519
ब्याज लागत	3779	4388
मूल्यह्रास व ब्याज के बाद परंतु कर से पूर्व लाभ	5550	5131
कर	445	422
मूल्यह्रास, कर व ब्याज के बाद लाभ	5105	4709
पिछले वर्ष के लाभ व हानि लेखे का अधिशेष	8346	4137
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	13451	8846
विनियोजन		
अंतरिम लाभांश	500	–
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	250	500
आयकर के लिए प्रावधान (लाभांश पर)	32	–
आरक्षित तथा अतिरिक्त को अग्रेनित शेष लाभ	12669	8346

2. कारोबार तथा लाभ

वर्ष 2002–2003 के दौरान निगम का कारोबार 13249 मिलियन रुपये था तथा मूल्यह्रास, ऋणों पर ब्याज, वित्तपोषण प्रभार के लिए प्रावधान करके एवं पूर्वावधि समायोजन छूट प्रदत्त करने के पश्चात् आपके निगम ने पिछले वर्ष के लाभ 4709 मिलियन रुपये की तुलना में कर भुगतान के पश्चात् 5105 मिलियन रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में लगभग 396 मिलियन रुपये अधिक था।

माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री अनंत ग. गीते, श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी से लाभांश चैक प्राप्त करते हुए

3. प्रस्तावित लाभांश

आपके निदेशकों ने वर्ष 2002–2003 के लिए अंतरिम लाभांश 500 मिलियन रुपये सहित 750 मिलियन रुपये के एकमुश्त लाभांश की सिफारिश की, बशर्तें कि आगामी आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

4. राजस्व वसूली

वर्ष 2002–2003 के दौरान निगम के लाभभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा से मूल

धनराशि की तुलना में 12652.07 मिलियन रुपये की राशि वसूल की। वसूली के पश्चात्, प्रधान देयताएं पिछले वर्ष के 10226.83 मिलियन रुपये (9.55 माह की औसत बिलिंग) की तुलना में 11486.55 मिलियन रुपये (9.91 माह की औसत बिलिंग) रह गई। वर्ष 2001–2002 के दौरान वसूल किए गए 72.54 प्रतिशत (बाण्ड को छोड़कर) वसूली की तुलना में इस वर्ष मूल धनराशि की तुलना में 90.94 प्रतिशत धनराशि वसूली गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2002–03 के दौरान इस कारपोरेशन ने बाण्ड पर ब्याज के रूप में 1267.08 रुपये अर्जित किए हैं।

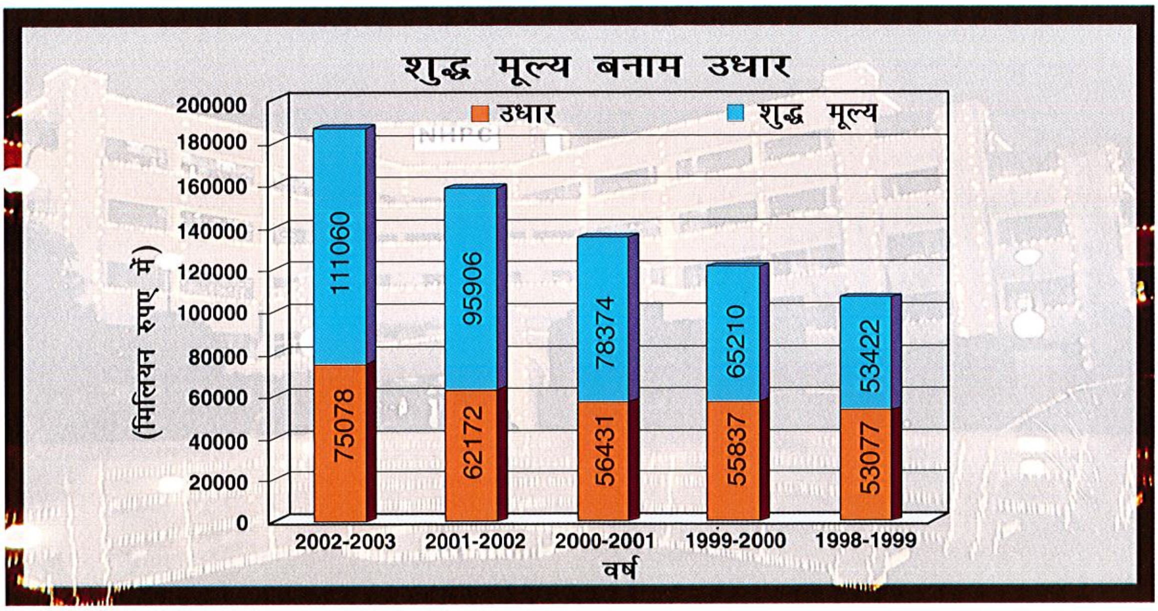

5. **पूंजीगत संरचना**

निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार 100,000 मिलियन रुपये थी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रदत्त शेयर पूंजी 66934 मिलियन रुपये थी, जो 31, जुलाई 2003 तक और बढ़कर 70653.8 मिलियन रुपये हो गई। निर्माण गतिविधियों के लिए वित्तीय व्यवस्था के उद्देश्य से आपके निदेशकों ने 28.7.03 को हुई शेयर धारकों की 238वीं बैठक में प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाकर 150,000 मिलियन रुपये करने की सिफारिश की है।

6. **सूचना प्रौद्योगिकी और संचार**

एन.एच.पी.सी. ने ठोस तथा सुरक्षित संचार नेटवर्क की स्थापना की है जिसमें वी.एस.ए.टी. आधारित उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सभी परियोजना स्थलों, विद्युत गृहों, कारपोरेट कार्यालयों तथा स्थानीय लोड भेजनेवाले केन्द्रों को परस्पर जोड़ा गया है। इस समय नेटवर्क के साथ 27 ऐसे स्थल जोड़े गए हैं, इनसे डाटा, वाइस, फैक्स, विडियो कांफ्रेसिंग तथा इन्टरनेट, ई.–मेल में सहायता मिलती है।

स्थानीय एरिया नेटवर्किंग पर आधारित अत्याधुनिक प्रौघोगिकी कारपोरेट कार्यालयों तथा परियोजना सहायक आंकड़ों, वी.ओ.आई.पी. तथा विडियो कांफ्रेसिंग, इन्टरनेट/ई–मेल आदि के लिए 'गिगाबाइट स्पीड' पर कार्यान्वित की गई है। यह नेटवर्क सूचना तथा संसाधनों के आदान–प्रदान करने तथा एकीकृत साफ्टवेयर अनुप्रयोग पैकेज कार्यान्वित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। सभी परियोजनाओं तथा कारपोरेट कार्यालय में कार्यअधिकारियों तथा कार्यात्मक इकाईयों को पर्याप्त मात्रा में डेस्कटॉप कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं।

ओरेकल/डेवलपर 2000 साफ्टवेयर प्लेटफार्म तथा वेबआधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके निगम मुख्यालय तथा परियोजनओं, विद्युत गृहों में वित्त एवं लेखा, कार्मिक वाणिज्यिक, सामग्री प्रबंधन, विद्युत उत्पादन तथा इंट्रानेट जैसे प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए अनेक एप्लीकेशन पैकेजों को क्रियान्वित किया गया है। ये सूचना–प्रौद्योगिकी आधारभूत सुविधाएं उपक्रमों को व्यापक व्यवसाय अनुप्रयोग में लाने के लिए लैन (एल.ए.एन.) और वैन (डब्ल्यू.ए.एन.) के संदर्भ में अधिकाधिक उपयोग की जाती हैं।

निगम द्वारा जारी की जा रही निविदा/बोलियों सहित एन.एच.पी.सी. से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचना को प्रकाशित करने के लिए एन.एच.पी.सी. की द्विभाषीय वेब साईट नियमित आधार पर अद्यतन की जाती है। एन.एच.पी.सी. की वित्तीय और भौतिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मानीटर करने के लिए केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रम नेटवर्क (सी.पी.एस.यू.एन.ई.टी.) में नियमित आधार पर प्रकाशित की जाती है।

एन.एच.पी.सी. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बी.बी.एम.बी., एस.जे.वी.एन.एल. आदि जैसे संगठनों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करता है।

7. निर्माण उपस्कर योजना

निर्माण उपस्कर योजना दल को परियोजना निष्पादन की विभिन्न अवस्थाओं पर निर्माण प्रविधि तथा निर्माण उपस्कर योजना के निर्धारण तथा अंतिम रूप देने का दायित्व सौंपा गया है जिसमें उपस्करों का अंतर परियोजना हस्तांतरण तथा अतिरिक्त उपस्करों तथा पुर्जों का निपटान किया जाना शामिल है। संयंत्र और उपकरणों के अन्तर–परियोजना हस्तान्तरण से नई खरीद की तुलना में 17 मिलियन रुपये की बचत हुई है। वर्ष के दौरान, विभिन्न परियोजना स्थलों में पड़े 62 मिलियन रुपये के अतिरिक्त/अप्रयुक्त उपस्करों का निपटान किया गया।.

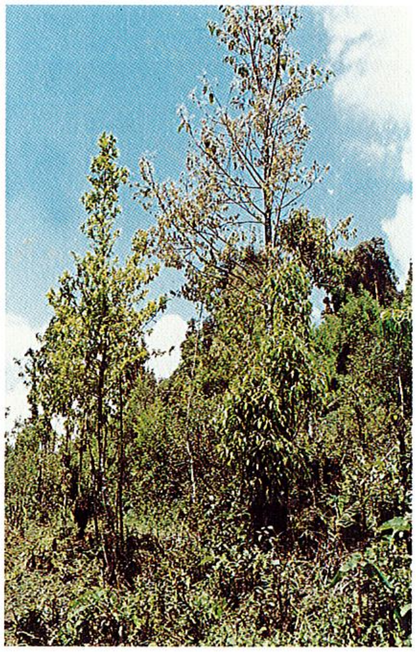

8. पर्यावरण प्रबन्धन

प्राकृतिक पर्यावरण मानव की सबसे अधिक बहुमूल्य सम्पत्ति है तथा इसका संरक्षण एवं संवर्धन हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। आपका निगम दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण गतिविधियों तथा पर्यावरण के सुरक्षा उपाय में उचित संतुलन बनाये रखने के लिए वचनबद्ध है। जल–विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याओं पर योजना चरण तथा उसकी गतिविधियों के स्तर पर ध्यान देने के साथ ही निर्माण के बाद की अवधि में भी उस पर ध्यान दिया जाता है। अनुपूरक वनरोपण, जल–ग्राह्य क्षेत्र सुधार, वन्य जीव–संरक्षण, हरित बेल्ट–विकास, मत्स्य प्रबन्धन, स्वास्थ्य प्रबन्धन, डम्पिंग क्वैरी स्थलों का जीर्णोद्धार आदि जैसे सुधारात्मक उपाय अपना कर विविध प्रभावों को कम किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एन.एच.पी.सी. परियोजना निर्माण की अवधि के दौरान प्रबन्धन योजनाओं की दक्षता तथा परिणामों के बारे में जानने के लिए निर्माण के बाद भी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करता है।

9. सतर्कता गतिविधियाँ

आपका निगम सक्रिय सतर्कता को एक महत्वपूर्ण प्रबंधन साधन मानता है। निवारक सतर्कता के तौर पर तथा कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से सतर्कता शिकायतों तथा अनुशासनिक मामलों की मॉनीटरी–व्यवस्था का कार्यान्वयन किया गया है। इस विभाग को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आई.एस.ओ. 9001–2000 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परियोजना के सतर्कता अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं में 215 आकस्मिक निरीक्षण तथा 253 नियमित निरीक्षण किये। एन.एच.पी.सी. में सतर्कता तंत्र के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार करने

श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक – सतर्कता सप्ताह के अवसर पर 'चेतना' पत्रिका का विमोचन करते हुए

की दृष्टि से कर्मचारियों को एन.एच.पी.सी. सतर्कता हैण्ड बुक वितरित की गई। कारपोरेट कार्यालय, परियोजनाओं, विद्युत गृहों तथा कारपोरेशन के सम्पर्क कार्यालयों में सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया।

10. राजभाषा कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया। निगम द्वारा आयोजित सभी संगोष्ठियों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में राजभाषा के प्रयोग को विशेष महत्व दिया गया। एन.एच.पी.सी के कारपोरेट कार्यालयों, परियोजनाओं, विद्युत गृहों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस तथा हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं/विद्युत गृहों तथा कारपोरेट कार्यालय के विभागों को वर्ष 2001 के लिए अच्छा प्रदर्शन करने पर राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा द्वितीय पुरस्कार के रूप में एन.एच.पी.सी. को ''राजभाषा विद्युत शील्ड'' 2000–01 प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त भारतीय भाषा एवं संस्कृति केन्द्र ने अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को 'राजभाषा सारथी' तथा निदेशक (कार्मिक) को 'राजभाषा नवरत्न' पुरस्कार प्रदान किया।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने कार्यालय में राजभाषा की प्रगति का निरीक्षण किया तथा एन.एच.पी.सी. के कारपोरेट कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन की सराहना की। इस संसदीय उप समिति ने परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया और उनका निरीक्षण करते समय समिति ने राजभाषा के उन्नयन के लिए की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। कारपोरेट कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, सम्पर्क कार्यालयों तथा परियोजना के दूर–दराज क्षेत्रों में हिन्दी कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित आधार पर आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2002 के दौरान 'राजभाषा ज्योति' का तकनीकी विशेषांक प्रकाशित किया गया।

11. पुरस्कार

चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण–I में कार्यरत श्री नन्दलाल निशाद को प्रधानमंत्री ने वर्ष 2001 के लिए प्रतिष्ठित 'श्रम वीर' पुरस्कार प्रदान किया।

शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की श्रेणी में कारपोरेट कार्यालय फरीदाबाद में अटेंडेन्ट के पद पर कार्यरत श्री वीरेन्द्र कुमार को उत्कृष्ट कर्मचारी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति डा0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने एक समारोह में श्री वीरेन्द्र कुमार को प्रशस्तिपत्र, मैडल तथा 25000 रुपये नकद प्रदान किये।

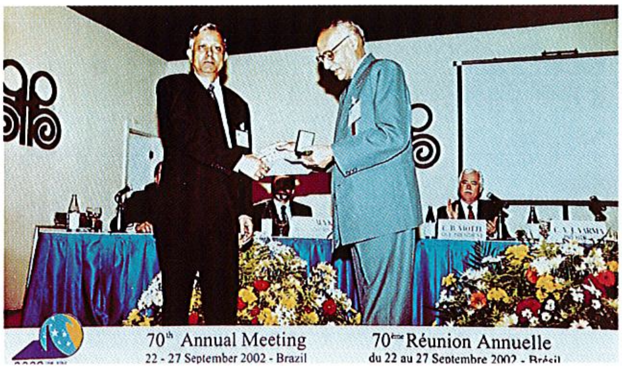

श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक 'आई कोल्ड' पुरस्कार प्राप्त करते हुए

श्री वीरेन्द्र कुमार, माननीय राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से पुरस्कार प्राप्त करते हुए

इसके अतिरिक्त, श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को जल विद्युत विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बृहद बांध आयोग द्वारा पुरस्कृत किया गया। श्री प्रसाद यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं।

12. कारपोरेट संचार

कारपोरेशन की छवि निर्माण कार्यक्रम के रूप में तथा जल विद्युत विकास के उन्नयन की आवश्यकता के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए इस कारपोरेशन ने इलैक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से विभिन्न अन्तर सम्पर्क कार्यक्रम चलाये हैं। तकनीकी पत्रिका 'जल विद्युत' तथा 'एन.एच.पी.सी. समाचार' संचार का प्रभावशाली माध्यम सिद्ध हो रही हैं।

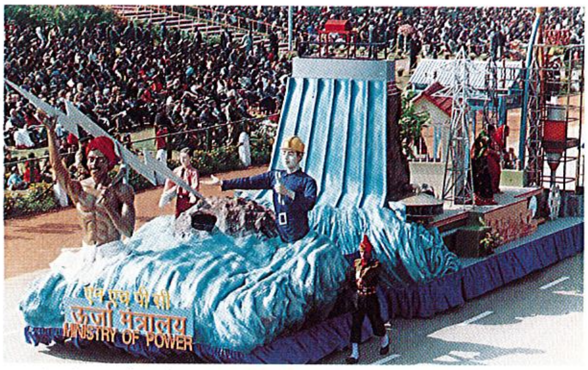

गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर एनएचपीसी की झांकी का दृश्य

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, इस कारपोरेशन ने अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया है। भारत में आयोजित अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2002 में एन.एच.पी.सी. दीर्धा सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी में सर्वोत्तम दीर्धा घोषित की गई तथा इसे स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कारपोरेशन ने काठमान्डू और मास्को में आयोजित व्यापार मेले में भाग लिया। इस कारपोरेशन ने पहली बार वर्ष 2003 में राजपथ, नई दिल्ली में 53वें गणतन्त्र दिवस समारोह में ''हाइड्रो पावर–क्लीन पावर'' नामक रंगबिरंगी झाँकी प्रस्तुत की।

13. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजति के लिए आरक्षण

सभी श्रेणियों में रिक्त पदों को भरने के लिए समय–समय पर जारी शासकीय (प्रेसिडेंशियल) निर्देशों के अनुसार सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित निर्देशों का यह कारपोरेशन पालन कर रहा है।

14. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1) (च) के उपबंधों के अनुसार सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध–**I** में दी गई है।

15. कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना शून्य समझी जाए।

16. कारपोरेट अभिशासन

निगम ने यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपाय किए हैं कि स्टॉक एक्सचेंजों के सूचीकरण करारों के खंड 49 में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के उपबंधों का अनुपालन किया जाए। कंपनी अभिशासन संबंधी एक पृथक विवरण लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र के साथ निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुपालन हेतु अनुबंध–**II** के रूप में तथा प्रबंध विश्लेषण एवं विचार–विमर्श रिपोर्ट अनुबंध–**III** के रूप में प्रस्तुत है।

17. लेखापरीक्षक

मैसर्स बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वर्ष 2002–03 के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। मैसर्स गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अम्बाला, भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली तथा मैसर्स ए.आर.मैती एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता को निगम के शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

18. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में निगम द्वारा अनुसूची–21 में शामिल विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख है, जो स्वतः स्पष्ट हैं। लेखापरीक्षकों एवं प्रबन्धन की उस पर टिप्पणियों के उत्तर अनुबंध–**IV** के रूप में प्रस्तुत हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां तथा उन पर दिए गए उत्तर अनुबंध–**V** पर हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखारीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की समीक्षा रिपोर्ट अनुबंध–**VI** के रूप में संलग्न है। समेकित लेखा तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट में संलग्न है।

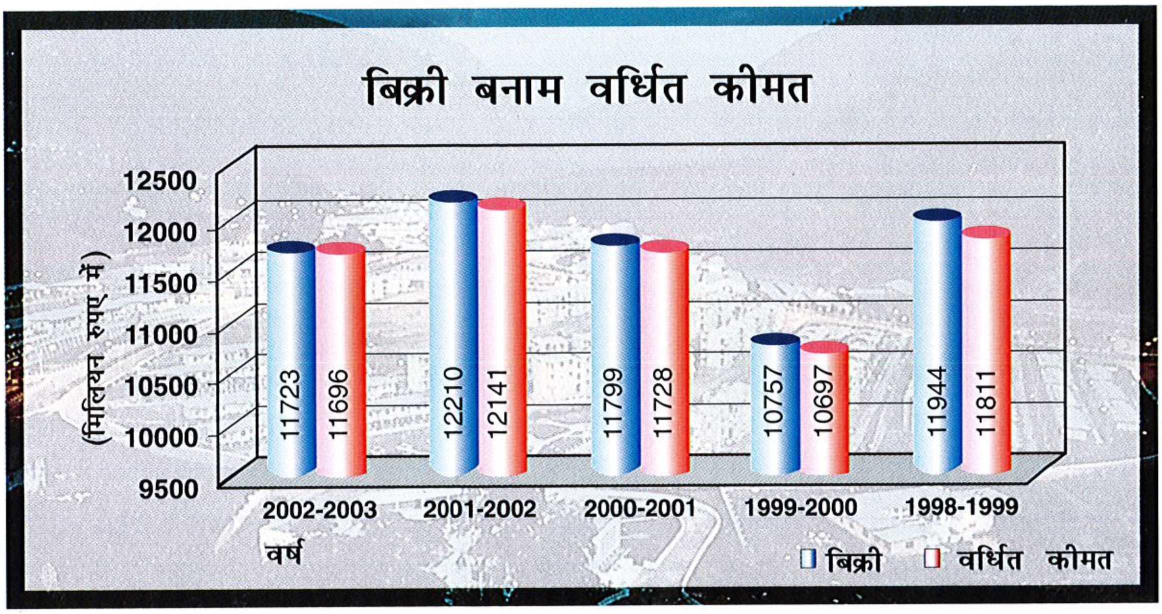

19. सहायक कंपनी – एन.एच.डी.सी. के लेखे

आपकी कंपनी की एक सहायक कंपनी नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की लेखापरीक्षक रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखे संलग्न हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अन्तर्गत विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

20. निदेशक उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के अन्तर्गत यथाअपेक्षित, निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि:

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में, मैटेरियल डिपारचर्स संबंधी उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखाकरण मानक अपनाए गए हैं।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्यस्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं।

(iii) निदेशकों ने अपनी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार समुचित लेखाकरण रिकार्डों के रखरखाव का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है।

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे अनवरत संबद्ध आधार पर तैयार किए हैं।

21. निदेशक मण्डल

गत रिपोर्ट के बाद इस कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के गठन में निम्न परिवर्तन किए गए हैं:–

नियुक्ति

श्री अनिल कुमार कुट्टी, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, अंशकालिक निदेशक के रूप में 18.2.03 को बोर्ड में शामिल हुए।

श्री एस.के. गर्ग, निदेशक (वित्त) के रूप में 1.07.03 को बोर्ड में शामिल हुए।

कार्यकाल समाप्ति

श्री बी.के. अग्रवाल, बोर्ड के अंशकालिक निदेशक, सेवानिवृत्त होने के कारण 31.12.2002 से बोर्ड के निदेशक नहीं रहे।

श्री सी.पी. जैन, सी.एम.डी., एन.टी.पी.सी. 17.02.2003 से बोर्ड के निदेशक नहीं रहे।

श्री ए.के. जैन, अपर सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय 18.02.2003 से बोर्ड के निदेशक नहीं रहे।

श्री आर. नटराजन, निदेशक (वित्त) एन.एच.पी.सी. के मध्यप्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (आर्थिक) नियुक्त होने के कारण वे 6.5.2003 से बोर्ड के निदेशक नहीं रहे।

बोर्ड ने श्री बी.के. अग्रवाल, श्री ए.के. जैन, श्री सी.पी. जैन तथा श्री आर. नटराजन के द्वारा निदेशकों के रूप में अपने सेवाकाल में इस कारपोरेशन को दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए उनकी अत्यधिक सराहना रिकार्ड में दर्ज की है।

22. आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार और विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), योजना आयोग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, कंपनी कार्य विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग तथा राज्य सरकारों, क्षेत्रीय तथा राज्य विद्युत बोर्डों के सहयोग के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं तथा भारतीय निवेशकों का भी एन.एच.पी.सी. में भरोसा तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आभारी है।

निदेशक मंडल विद्युत लेने वाले लाभभोक्ता राज्यों तथा परामर्शी कार्यों के लिए अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों की विशेष सराहना करता है। मंडल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में संविदाकारों, विक्रेताओं तथा परामर्शदाताओं के योगदान के लिए उनके प्रयासों की भी सराहना करता है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा दिए गए सहयोग के लिए, बोर्ड उनकी सराहना करता है। इसके साथ ही बोर्ड एन.एच.पी.सी. परिवार के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता है, जिनके साहस, समर्पण व योगदान से निगम को संतोषजनक उपलब्धियां प्राप्त हो सकी हैं। बोर्ड को यह भी विश्वास है कि कर्मचारी आनेवाले वर्षों में अधिकाधिक योगदान देते रहेंगें।

निदेशक मण्डल के लिए तथा की ओर से

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनाकं : 30 सितंबर, 2003
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध– I

कंपनी नियम 1988 (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में दिए गए विवरणों का खुलासा) के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन संबंधी निदेशकों की रिपोर्ट पर अनुबन्ध

क. ऊर्जा संरक्षण

(क) अपनाए गए और किए जा रहे ऊर्जा उपाय

एन.एच.पी.सी. विद्युत प्रणाली को अधिकतम कार्यान्वयन पद्धति में डिजाइन किया गया है ताकि विद्युत क्षति (सहायक खपत) कम हो सके।

(ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए यदि कोई अतिरिक्त निवेश तथा प्रस्ताव हैं, तो वे कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

इस समय निगम द्वारा सीधे निवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ऊर्जा खपत को कम करने के लिए उपरोक्त (क) और (ख) पर किए जाने वाले उपायों का प्रभाव और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन सामग्री की लागत पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है।

रिपोर्ट के अन्तर्गत समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिकाधिक उपयोग किया गया है।

(घ) अनुबंध के फार्म 'ए' के अनुसार उत्पादन की प्रति इकाई ऊर्जा खपत और कुल ऊर्जा खपत। अनुसूची में उपलिखित उद्योगों की श्रेणी में एन.एच.पी.सी. नहीं आती है।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन

(क) प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास।

फार्म 'बी' के अनुसार अनुबंध संलग्न है।

ग. विदेशी मुद्रा प्राप्ति और व्यय

(क) निर्यात से संबंधित गतिविधियों, निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए कार्यकलापों, उत्पादों एवं सेवा के लिए नए बाजारों का विकास एवं निर्यात योजनाएं।

एन.एच.पी.सी. की कोई निर्यात योजना नहीं है।

(ख) उपयोग तथा प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा

मिलियन रुपये में

	विवरण	2002-03	2001-02
1.	सी.आई.एफ. आधार पर आयातित संयंत्रों, मशीनों तथा कल–पुर्जों की कीमत	1098	1268
2.	जानकारियां	26	14
3.	फुटकर (व्यय)	2220	322
4.	ब्याज	1162	1110
5.	चालू इकाईयों में लगाए गए कल–पुर्जों और घटकों की कीमत		
	– आयातित	–	19
	– घरेलू	27	50
	आय		
6.	ब्याज पर आय	–	–
7.	अन्य	–	–

अनुबंध– I
(जारी)

फार्म 'बी'

प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुसंधान और विकास (आर.एण्ड.डी.) से संबंधित विवरणों को स्पष्ट करने के लिए फार्म

1. विशिष्ट क्षेत्र जिनमें इस कम्पनी द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य किए गए हैं

- जल विद्युत स्टेशनों में गाद कटाव से प्रभावित भूमिगत जल टरबाईन घटक की उपयोगिता अवधि को बढ़ाना।
- सलाल में अन्तर्ग्रहण क्षेत्र को साफ रखने के लिए हाइड्रोसक्शन सिल्ट निकासी का आधुनिकीकरण।
- विद्युत उत्पादन के लिए जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग।
- उच्च कार्यनिष्पादन कंक्रीट
- विद्युत गृहों के लिए वेल्डिंग इलैक्ट्रोड्म का मानकीकरण।

2. उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यों के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामों के कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले लाभ बहुधा बहुत अधिक होते हैं, परन्तु उनको धन की दृष्टि से नहीं आंका जा सकता है। जल विद्युत स्टेशनों के भूमिगत टरबाईन घटकों का प्रत्येक वर्ष पुनिर्माण/पुनर्वास/कोटिंग करके उसकी जीवन अवधि बढ़ाने से उसकी रखरखाव लागत में बचत तथा समय की बचत और प्रचालनात्मक दक्षता के उन्नयन की दृष्टि से बहुत लाभ होता है। उत्पादन इकाईयों तथा ट्रांसफार्मरों के रखरखाव की मानीटरी करते समय प्रारंभिक अवस्था में ही कमी का पता चल जाता है, जिससे उत्पादन क्षति से बचने के अतिरिक्त बहुत बड़ी क्षति तथा अत्यधिक मरम्मत लागत से बचा जा सकता है। विद्युत उत्पादन में जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग करने से दूर–दराज के क्षेत्रों में स्वच्छ, नवीकरणीय विद्युत पैदा करने के नए अवसर प्राप्त होंगे। गाद विस्थापन प्रणाली के आधुनिकीकरण से सलाल के मुँहाने पर जलमार्ग में जमी गाद हटाना संभव हुआ है। अत्यधिक कार्यनिष्पादन वाली कंक्रीट लगाने से कम सामग्री के उपयोग, उन्नत कार्यनिष्पादन तथा रखरखाव व्यय की कमी और पुनः उपयोगिता अवधि में वृद्धि आदि दृष्टि से विविध प्रकार के लाभ हो सकते हैं। इलैक्ट्रोड्स का मानकीकरण करने से केवल गुणवत्ता वाली इलैक्ट्रोड्स का उपयोग किया जाता है, जिससे विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं रखरखाव में गुणवत्ता वाली वेल्ड हो पाती है।

3. भावी कार्य योजना – 2003–2004

उपरोक्त क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों को जारी रखने का प्रस्ताव किया जाता है।

4. अनुसंधान और विकास कार्यों में व्यय

कुल : 2002–2003 तक : जियोथर्मल पावर के विकास पर हुए 1.33* करोड़ रुपये सहित 4.89 करोड़ रुपये।
(*कर्मचारियों का वेतन एवं प्रशासनिक शीर्ष को छोड़कर)

2003–2004 : जियोथर्मल विद्युत विकास के लिए 5.0 करोड़ रुपये सहित 5.9 करोड़ रुपये (बजटीय)।

प्रौद्योगिकी समावेशन, प्रयोग और नवीनीकरण

i) प्रौद्योगिकी समावेशन, प्रयोग और नवीनीकरण में किए गए प्रयास संक्षिप्त रूप में इस प्रकार हैं :–
मानसून के दौरान पहाड़ों की सतहों पर जमी मिट्टी गाद के रूप में पानी के साथ बहकर आती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में अत्यधिक मात्रा में गाद आने के कारण, विशेषकर मानसून के महीनों में, भूमिगत टरबाईन के हिस्से कट जाते हैं। इसलिए भूमिगत टरबाईन की प्रचालनात्मक जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए उचित प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए अन्वेषण के साथ ही यह प्रक्रिया चल रही है। विद्युत उत्पादन के लिए जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग भी किया जा रहा है।

ii) उपरोक्त प्रयासों अर्थात् उत्पाद सुधार, कम–लागत, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ इस प्रकार हैं :–

क्रं. सं.	प्रौद्योगिकी समावेशन/नवीनीकरण	लागत बचत/उत्पाद सुधार
1.0	विद्युत उत्पादन के लिए जियोथर्मल ऊर्जा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाता की सेवाएं प्राप्त करना।	भारत में पहली बार जियोथर्मल के क्षेत्र में क्षमता वाले क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया और तत्तापानी पर 1 मे.वा. जियोथर्मल विद्युत संयंत्र तथा पुगा में 5/20 मे.वा. का जियोथर्मल विद्युत संयंत्र के लागत लाभ अध्ययन किए गए।

गत पाँच वर्षों के दौरान आयात की गई प्रौद्योगिकी

जल विद्युत विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन होने के कारण, एन.एच,पी.सी. देश को स्वच्छ और सस्ती विद्युत प्रदान कर रहा है। एन.एच.पी.सी. आयातित प्रौद्योगिक अपनाने एवं अध्ययन करने के भी हर संभव प्रयास कर रहा है।

एन.एच,पी.सी. ने जियोथर्मल विद्युत में विविध कार्य किए हैं। इसने अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाता की सहायता से भारत में जियोथर्मल वाले क्षेत्रों का पता लगाने तथा तत्तापानी जियोथर्मल क्षेत्र में 300 के.वी. तथा 1 मे.वा. के जियोथर्मल विद्युत संयंत्रों के प्रायोगिक विकास के लिए लागत लाभ अध्ययन (अनुमानित लागत और उत्पादन लागत) किए हैं तथा तत्तापानी जियोथर्मल क्षेत्रों का समग्र विकास तथ पुगा में 5/20 मे.वा. जियोथर्मल विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कार्य किया है।

सलाल में हाइड्रो सक्शन प्रणाली की क्षमता का विकास किया गया है ताकि उसके पाइपों का आकार 250 मी.मी. से बढ़ाकर 355 मी.मी. करके तथा उपकरणों को लगा कर नदी के मुहाने को साफ रखा जा सके तथा मुहाने की गाद हटाने की क्षमता में वृद्धि की जा सके।

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

अनुबंध–**II**

वर्तमान व्यावसायिक वातावरण में, उत्तरदायी कारपोरेट अभिशासन का काफी महत्व है। कारपोरेट अभिशासन में उत्कृष्टता कारपोरेट के दीर्घकालिक जीवन तथा शेयर धारकों को धन का दीर्घकालिक उपयोग करने तथा देश को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यह कारपोरेशन, कारपोरेशन को बनाए रखने तथा उसका विकास करने और कारपोरेट में विभिन्न शेयर धारकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए सदैव जाना जाता है। इसलिए यह प्रबन्धन, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए सर्वोत्तम कारपोरेट अभिशासन को कार्यान्वित कर रहा है।

1 अभिशासन संहिता संबंधी अवधारण

(i) पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली का संचालन में होना तथा एक पारदर्शी तरीके से सामयिक आधार पर बोर्ड को सूचना प्रदान करना ताकि बोर्ड इसके प्रति प्रबंधन की जबावदेहीता की मॉनीटरिंग कर सके।

(ii) उद्यम की तथा समग्र रूप से देश की संपत्ति के सृजन के लिए व्यवसाय उद्यम की दक्षता में वृद्धि करना।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी तथा बोर्ड कंपनी मूल्यों का समर्थन करें तथा अपने आचरण में उन्हें लागू करें।

2 निदेशक मंडल

एन.एच,पी.सी. सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम होने के कारण, भारत सरकार निदेशक मण्डल के संगठन का निर्णय करती है।

इस बोर्ड में सात सदस्य होते हैं जिनमें पाँच कार्यपालक निदेशक होते हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक भी होते हैं। गैर–कार्य–पालक निदेशकों सहित सभी निदेशक व्यवसायिक दृष्टि से सक्षम होते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष/वर्तमान में इस बोर्ड का संगठन इस प्रकार है :–

कार्यपालक निदेशक

श्री योगेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
श्री आर. नटराजन	निदेशक (वित्त) 6.05.03 तक
श्री एस. के. गर्ग	निदेशक (वित्त) 1.7.03 से कार्यरत
श्री ए.के. गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री आर.के. शर्मा	निदेशक (तकनीकी)
श्री बिनय कुमार	निदेशक (कार्मिक) (7.7.03 से अनिवार्य प्रतीक्षाधीन)

अकार्यपालक निदेशक

श्री आर. रामानुजम	पूर्व संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार विद्युत मंत्रालय (1.7.2002 तक)
श्री एम. साहू	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय (1.7.2002 से)
श्री अनिल राजदान	संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय (16.09.02 तक)
श्री ए.के. जैन	अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय (16.09.02–18.02.03 तक)
श्री ए.के. कुट्टी	संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय, (18.02.03 से)
श्री बी.के. अग्रवाल	सदस्य (हाइड्रो), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (31.12.02 तक)
श्री सी.पी. जैन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एनटीपीसी) (17.02.03 तक)

(i) बोर्ड की बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी बोर्ड की दस बैठकें हुईं। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल दो माह से अधिक नहीं था। अकार्यपालक निदेशकों सहित सभी निदेशकों ने बोर्ड की बैठक में सक्रिय भाग लिया तथा विचार–विमर्श किया। समीक्षाधीन वर्ष में बोर्ड की बैठकों में तथा वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है :–

निदेशकों के नाम	निदेशकों की श्रेणी	निदेशकों की सेवा अवधि में में हुई बैठक	बैठकों में भाग लिया	31.12.02 को स्थगित हुई पिछली बैठक जो 26.02.2003 को हुई में भाग लिया
श्री योगेन्द्र प्रसाद	ई	10	10	हाँ
श्री आर. नटराजन	ई	10	10	हाँ
श्री ए.के. गंगोपाध्याय	ई	10	10	हाँ
श्री आर.के. शर्मा	ई	10	10	हाँ
श्री विनय कुमार	ई	10	10	हाँ
श्री आर. रामानुजम (1.07.02 तक)	एनई	2	2	नहीं
श्री सी.पी. जैन (17.02.03 तक)	एनई	8	3	नहीं
श्री बी.के. अग्रवाल (31.12.02 तक)	एनई	7	4	हाँ
श्री एम. शाहू (1.07.02 से)	एनई	8	7	हाँ
श्री अनिल राजदान (16.09.02 तक)	एनई	4	4	नहीं
श्री ए.के. जैन (16.09.02–18.02.03 तक)	एनई	4	3	नहीं
श्री ए.के. कुट्टी (18.02.03 से)	एनई	2	2	नहीं

एन.ई – गैर–कार्यपालक निदेशक, ई–कार्यपालक निदेशक

(ii) अन्य निदेशक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोई भी निदेशक 10 कंपनियों में से अधिक में निदेशक पद धारण नहीं करता है।

(iii) बोर्ड समितियों की सदस्यता
प्राप्त सूचना के अनुसार कोई भी निदेशक विद्यमान कंपनियों के बोर्ड की 10 समितियों से अधिक का सदस्य नहीं है और न ही कोई भी निदेशक 5 समितियों से अधिक का अध्यक्ष है, जिसमें वे निदेशक पद पर कार्यरत है।

3 लेखा–परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का 2001 में गठन किया गया तथा कारपोरेशन के निदेशक मण्डल में परिवर्तन के कारण इसे समय–समय पर पुनर्गठित किया गया। इस समिति के विचारार्थ विषय सूचीबद्ध समझौते में दिए गए विषय हैं जिनमें निम्न शामिल हैं :–

- कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जाँच करना तथा उसकी वित्तीय सूचना का खुलाशा करना।
- लेखा परीक्षा शुल्क की सिफारिश करना, निर्धारण करना तथा अन्य किसी भी सेवा के लिए भुगतान की अनुमोदन भी करना।
- निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व अर्द्ध वार्षिक और वार्षिक वितीय विवरण का प्रबन्धक के साथ समीक्षा करना।
- आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता का प्रबन्धन, बाह्य और आन्तरिक लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा करना है।

- किसी भी महत्वपूर्ण परिणाम तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार–विमर्श करना।
- लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र तथा समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा के बाद विचार–विमर्श करने के वास्ते लेखा परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व बाहरी लेखा–परीक्षकों के साथ विचार–विमर्श।
- कम्पनी की वित्तीय और जोखिम प्रबन्धन नीतियों की समीक्षा।

इस समय इस समिति में निम्न सदस्य हैं :–

(i) श्री ए.के. कुट्टी, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय (26.02.2003 से)

(ii) श्री एम. साहू, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहाकार, विद्युत मंत्रालय, (24.07.2002 से)

(iii) श्री आर. के. शर्मा, निदेशक (तकनीकी) (26.02.2003 से)

श्री एम. साहू समिति के अध्यक्ष हैं। एस.ई.बी.आई. में दी गई परिभाषा के अनुसार समिति का कोई भी सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं है। इस कारपोरेशन ने विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया कि सूचीबद्व करार के अनुसार इस बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए ताकि स्वतंत्र निदेशकों से समिति गठित की जा सके।

इस वर्ष समिति की चार बैठकें हुई। ये बैठकें निदेशक (वित्त), तथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षा और सांविधिक लेखा परीक्षा के प्रमुखों ने इनमें भाग लिया। कारपोरेशन के कम्पनी सचिव ने समिति के सचिव के रूप में भाग लिया। लेखापरीक्षा समिति के कार्यवृत्त को सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4 निदेशकों की परिलब्धि समिति

एन.एच.पी.सी. सरकारी कम्पनी होने के कारण, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से की जाती है, इसलिए कम्पनी ने निदेशकों की परिलब्धि समिति का गठन नहीं किया है। वर्ष 2002-2003 के दौरान निदेशकों को दिए गए परिलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्र.सं.	निदेशक		परिलब्धि (रुपए में)
1	श्री योगेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	866217
2	श्री आर.के. शर्मा	निदेशक (तकनीकी)	775265
3	श्री आर. नटराजन	निदेशक (वित्त)	832245
4	श्री बिनय कुमार	निदेशक (कार्मिक)	788331
5	श्री ए.के. गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजनाएं)	826174

5 शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

निदेशक मंडल ने निवेशकों की शिकायतों के निवारण की मॉनीटरिंग करने के लिए "निवेशक शिकायत समिति" – नामक एक समिति का गठन किया। समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं।

1	श्री एम. साहू	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय
2.	श्री एस.के.गर्ग	निदेशक (वित्त)
3.	श्री ए.के. गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजनाएं)

श्री एम.साहू, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, इस समिति के सदस्य हैं। चूंकि इस वर्ष किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इस वर्ष समिति की बैठक नहीं हुई है।

श्री जयन्त कुमार, चीफ (वित्त एवं लेखा) इस कारपोरेशन के अनुपालना अधिकारी हैं।

6 **साधारण निकाय बैठकें**

कम्पनी की पिछली तीन आम वार्षिक बैठकों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
1999-00	27.09.00	12.00 अपराह्न	कारपोरेशन का पंजीकृत कार्यालय
2000-01	27.09.01	12.00 अपराह्न	कारपोरेशन का पंजीकृत कार्यालय
2001-02	31.12.02	10.30 प्रातः	कारपोरेशन का पंजीकृत कार्यालय*

* स्थगित बैठक पंजीकृत कार्यालय में 26.2.03 को दोपहर बारह बजे आयोजित की गई।

दिनांक 31.12.02 के संकल्प को संशोधित करने के लिए कम्पनी द्वारा विशेष संकल्प पारित किया गया फिर भी कम्पनी द्वारा पोस्टल बैलट द्वारा कोई संकल्प पारित नहीं किया ।

7 **प्रकटन**

वास्तव में कम्पनी के हित में जिन प्रमोटरों या निदेशकों या प्रबन्ध, संयुक्त उद्यमों/सहायक उद्यमों आदि के साथ गहरा विवाद था उनके साथ किसी प्रकार की सामग्री प्रकृति का व्यवसाय नहीं किया गया। संबंधित पक्षकारों के ब्यौरे लेखा के फार्म भाग में उल्लिखित टिप्पणी पर दिए गए हैं। यह कारपोरेशन विशेषरूप से सेबी सहित विनियामक प्राधिकारियों के नियमों एवं दिशा–निर्देशों के प्रावधानों/अपेक्षाओं की गैर–अनुपालन की कोई शिकायत नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज, या सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकारी ने पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कम्पनी पर कोई दण्ड/ पाबन्दी नहीं लगाई है।

8 **संचार साधन**

कारपोरेशन के आवधिक वित्तीय परिणाम संबंधित तिमाही के समाप्त होने के एक माह के भीतर घोषित कर दिए जाते हैं। इन परिणामों को राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। चूँकि सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति तथा उनके नामिति के नाम होते हैं। इसलिए प्रत्येक शेयर के आवधिक परिणाम/अभिलेख प्रत्येक शेयर धारक को नहीं भेजे जाते हैं। फिर भी ये परिणाम कम्पनी की वेबसाईट एनएचपीसीआईएनडीआईए.कॉम में देखे जा सकते है। यह कम्पनी महत्वपूर्ण कारपोरेट निर्णय तथा गतिविधियों पर समाचार जारी करती है तथा उन्हें अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराती है।

प्रबन्धन के निर्णय तथा विश्लेषण रिपोर्ट के निदेशकों की रिपोर्ट के रूप में शामिल किया जाता है।

9 **आम शेयर धारक सूचना**

वार्षिक आम बैठक :

दिनांक : 30 सितम्बर, 2003

समय : 12.30 अपराह्न

स्थान : एन.एच.पी.सी. काम्पलैक्स का पंजीकृत कार्यालय, सैक्टर, 33, फरीदाबाद, हरियाणा।

वित्तीय कैलेंडर

एन.एच.पी.सी. 1 अप्रैल से 31 मार्च के वित्तीय कलैण्डर का अनुसरण करती है तथा तीन तिमाहियों की 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के अलेखा परीक्षित परिणाम तथा लेखापरीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा अभिलेख बद्व किए गए हैं और निम्न तिथियों को प्रकाशित किए हैं :

समाप्त तिमाही	बोर्ड के बैठक की तिथि	प्रकाशन तिथि
अप्रैल–जून, 2002	24.07.02	25.07.02
जुलाई–सितम्बर, 2002	31.10.02	01.11.02
अक्तूबर–सितम्बर, 2002	29.01.03	30.01.03
वर्ष की समाप्ति 31 मार्च, 2003	28.04.03	29.04.03

बही समापन/रिकार्ड तिथि

(i) बॉण्ड पर ब्याज भुगतान

बॉण्ड श्रेणी	ब्याज भुगतान की नियत तिथि	रिकार्ड तिथि
एल–2	31.08.02	07.08.02
एल–2	28.02.03	06.02.03
एम	01.02.03	08.01.03

(ii) बाण्डों का शोधन

श्रेणी	शोधन तिथि	रिकार्ड तिथि
जे–2	21.07.02	03.07.02

लाभांश भुगतान तिथि

वित्तीय वर्ष	भुगतान तिथि
2001–2002	23.01.03
2002–2003	31.03.03 (अन्तरिम)

सूची में

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज
ऑफ इण्डिया लि0

एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा–कुर्ला,
कॉम्पलैक्स बांद्रा(ई),
मुंबई – 400051

ऑवर द काउन्टर एक्सचेंज
ऑफ इण्डिया

ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया,
92, मेकर, टॉवर्स, "एफ" कुफी पैरेड,
मुंबई – 400005

स्टॉक कोड

अंश नाम	एनएसई अंश कोड	ओटीसीईआई अंश कोड
एनएचपीसी 16% एल. टीबी 2004	—	एनएचपीसी एलबीटीबी
एनएचपीसी 10.5% एल. टीएफबी 2004	—	एनएचपीसी एलसीएफबी
एनएचपीसी 9.55% एमटीबी 2007	एनएचपीसी 07	एनएचपीसी एनआई

बाजार मूल्य आँकड़ा

एनएसई और ओटीसीईआई से प्राप्त बाजार मूल्य आँकडों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूति का व्यापार नहीं किया गया।

बीएसई सेन्सैक्स जैसे सूचकों पर आधारित व्यापक आधार की तुलना में कार्यनिष्पादन

चूंकि विनिमय में सूचीबद्ध प्रतिभूतियां अपरिर्वनीय बॉण्ड्स हैं इसलिए बीएसई सूचकांक के साथ तुलना नहीं की जा सकती है जो इक्विटी आधारित अनुक्रमणिका है।

रजिस्ट्रार स्थानांतरण एजेंट एवं शेयर स्थानांतरण पद्धति

निगम ने मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लि. 5115 (प्रथम तल) : भीष्म पितामह मार्ग, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली–110003, फोन : 24649720/24692346 को कंपनी के रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। इन्ही के द्वारा नियमित कार्य की देखभाल की जाती है। निगम की जिम्मेदारी समस्त कार्य की देखरेख करना है।

धारिता के वितरण का पैटर्न

चूंकि एनएचपीसी पूर्णतः भारत सरकार का उद्यम है इसलिए भारत के राष्ट्रपति तथा उसके नामिति सभी शेयर धारक होते हैं।

शेयर एवं लिक्विडिटी का डिमटिरयलाइजेशन

चूँकि समस्त शेयर भारत के राष्ट्रपति तथा उनके नामिति के नाम होते हैं इसलिए शेयरों का डिमटिरयलाइजेशन नहीं हुआ है।

बकाया जीडीआरएस/एडीआरएस वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज, परिवर्तन की तिथि तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव

एनएचपीसी भारत सरकार का पूर्ण निजी स्वामित्व वाला उपक्रम है और कोई जीडीआरएस/एडीआरएस वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

परियोजना स्थल :

परियोजना का नाम	पता
सलाल पावर स्टेशन	सलाल पावर स्टेशन, डाकखाना ज्योतिपुरम वाया रियासी, जिला उद्यमपुर, जम्मू व कश्मीर, पिन 182312
उड़ी पावर स्टेशन	उड़ी पावर स्टेशन, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, जिंगल, डाकखाना मोहरा, जिला बारामूला (जम्मू व कश्मीर), पिन 193122
चमेरा पावर स्टेशन (चरण–1)	चमेरा पावर स्टेशन (चरण–1), डाकखाना खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, पिन 176325
बैरास्यूल पावर स्टेशन	बैरा स्यूल पावर स्टेशन, डाकखाना सुरंगानी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, पिन 176317
टनकपुर पावर स्टेशन	टनकपुर पावर स्टेशन, डाकखाना टीएचईपी कैम्पस, बनबसा, जिला चम्पावत, उत्तरांचल, पिन – 262310
लोकतक पावर स्टेशन	लोकतक पावर स्टेशन, डाकखना लोकतक, विद्युत विहार, कोमकैरप, मणिपुर, पिन 795124
रंगित पावर स्टेशन	रंगित पावर स्टेशन डाकखाना रंगित नगर (हिंगडैम), दक्षिण सिक्किम, पिन 737111

पत्राचार के लिए पता
श्री जयंत कुमार, प्रमुख (वित्त व लेखा)
अनुपालना अधिकारी
चतुर्थ तल, एनएचपीसी परिसर, सैक्टर–33
फरीदाबाद–121003 (हरियाणा)
फोन – 0129 - 2278410
फैक्स : 0129 - 2270902, 2255708
ई–मेल : jayantkumar@nhpc.nic.in

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

तारीख : 29.9.2003
स्थान : फरीदाबाद

निगम अभिशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र

सेवा में, निदेशक मंडल, नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

हमने निगम अभिशासन पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट पढ़ी है तथा 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों, जैसा कि उक्त कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूची करार के क्लॉज 49 में निर्धारित है, के अनुपालन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की है।

निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंध वर्ग का उत्तरदायित्व है। हमारे द्वारा की गई जांच, कंपनी द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन की जांच तक सीमित थी। कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखापरीक्षा हुई है और न ही इन विवरणों के संबंध में हमारा कोई मत है।

हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी एवं विवरणों के अनुसार, कंपनी ने उपरोक्त उल्लिखित सूची करार के क्लॉज 49 में यथा निर्धारित निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, केवल मण्डल और लेखापरीक्षा कमेटी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर।

हम यह भी बताना चाहते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो भविष्य में कम्पनी की व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन है और न ही प्रबंधक वर्ग द्वारा किए गए कार्यों की दक्षता व प्रभावोत्पादकता से इसका कोई संबंध है।

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./–
(जी.डी. गुप्ता)
भागीदार

दिनांक : 29.9.2003
स्थान : फरीदाबाद

प्रबन्ध चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

अनुबंध–III

(सूचीकरण करार के अनुच्छेद 49 के अनुसरण में)

I उद्योग संरचना और विकास

किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए विद्युत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि उत्पादकता और समग्र आर्थिक प्रगति पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं।

बढ़ी हुई दर के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने के वास्ते सरकार ने वर्ष 1991 में सुधारों और पुनर्विनियमनों की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

तब से काफी बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से कुछ बड़े सुधार किए गए हैं। उनमें राज्य विद्युत बोर्ड के दायित्वों को कम करना तथा उनका पुनर्गठन करना, विनियामक आयोगों का गठन करना, सी.पी.एस.यू. के बकायों को निपटाना तथा हाइड्रोथर्मल एकीकरण में सुधार करने के लिए जल विद्युत को प्रोत्साहित करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए उदार कानूनी ढांचा तैयार करने के वास्ते सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 बनाया है। इस नए विधान ने तीन वर्तमान विधानों का स्थान लिया है अर्थात विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1910, विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 तथा विद्युत विनियामक आयोग, 1998 बनाया है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं– राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाना, ग्रामीण विद्युतीकरण पर बल देना, हाइड्रो विद्युत को छोड़कर उत्पादन को लाइसेंस मुक्त करना, कैप्टिव उत्पादन की अनुमति देना, ट्रांसमिशन में निजी लाइसेंस का प्रावधान करना, वितरण में उदारीकरण, एस.ई.आर.सी. का गठन, अपीलीय अधिकरण का गठन अनिवार्य करना, विद्युत चोरी रोकने के लिए कठोर कानून बनाना तथा ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करना।

सुधार प्रक्रिया के दौरान जल विद्युत पर विशेष बल दिया गया तथा उसके विकास के लिए उचित कार्यनीतियां अपनाई जा रही हैं। मुख्य कार्य नीतियों में 'जल विद्युत विकास नीति', बेसिन वार विकास, विकास अधिनियम में शुल्क, अत्यधिक बजट आबंटन, उचित शुल्क विधान और समय तथा लागत वृद्धि को रोकने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं की त्रिस्तरीय स्वीकृति प्रक्रिया शामिल है।

हाल ही में मई, 2003 में "50,000 मे0वा0 जल विद्युत पहल" नामक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य व्यवस्थित ढंग से देश में व्यावहारिक जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना है। इसमें 162 जल विद्युत परियोजनाओं की व्यावहारिकता, पूर्व रिपोर्ट शामिल हैं, जिसकी सकल क्षमता 50,560 मे0वा0 है। जुलाई, 2004 तक अध्ययन पूरे कर लिए जाएंगें। जल विद्युत क्षेत्र में एन.एच.पी.सी. ने एक अग्रणी कम्पनी होने के नाते इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अहम् भूमिका निभाई है।

II अवसर व खतरे

अवसर

देश में बढ़ते हाइड्रो– थर्मल मिश्रण के विषम अनुपात के कारण नीति निर्माताओं तथा विकासकर्त्ताओं का अपेक्षित ध्यान हाइड्रो क्षेत्र के विकास की ओर गया। एन.एच.पी.सी. ने दसवीं व ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में क्रमशः 4357 मे0वा0 तथा 14432 मे0वा0 अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, "50,000 मे0वा0 जल विद्युत पहल" नामक कार्यक्रम के अंतर्गत एन.एच.पी.सी. द्वारा 162 स्कीमों में से 43 स्कीमों के व्यावहारिकता पूर्व अध्ययन पूरे करने हैं।

खतरे

जल विद्युत परियोजनाओं के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती, जिनके कारण उनके निर्माण में विलम्ब एवं निर्माण को बन्द करना पड़ता है, वह हैं पर्यावरणीय मुद्दे जैसे :– पर्यावरण एवं वन मंजूरी, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, आवास क्षेत्र का सुधार, भूमि अधिग्रहण, आदि। कुछ परियोजनाएं जैसे टिहरी सरदार सरोवर, नर्मदा सागर, कोयल–कारो, इन समस्याओं से प्रभावित हुई हैं। जल विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्यावरण क्षेत्र के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले लोगों द्वारा फैलाई जानेवाली नकारात्मक भ्रांतियों को रोकना है।

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत क्षमता है जिसका उपयोग नहीं किया गया है परन्तु वहां इसकी मांग भी कम है। वहां उत्पादित विद्युत दूसरे क्षेत्रों में भेजी जा सकती है लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संवाहक गलियारा बनाना विद्युत की योजना बनाने वालों के सम्मुख एक चुनौती है।

देश में विद्युत क्षेत्र विकास पर बनी ब्लूप्रिन्ट के अनुसार आपूर्ति और मांग के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सन् 2012 तक 100,000 मे0वा0 अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है उसमें से 34393 मे0वा0 जल विद्युत क्षेत्र द्वारा सृजित की जाएगी इसके लिए लगभग 16,00,000 मिलियन रुपए के निवेश की जरूरत होगी। राज्य विद्युत बोर्डों/लाभग्रहियों की अस्थिर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निधि उपलब्ध कराना विकासकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती होगी।

जल विद्युत परियोजनाओं का अधिकांश क्षेत्र दूर–दराज का क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र होता है। जहाँ पर आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, संचार, शिक्षा, परियोजना क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना इस क्षेत्र के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है। यह समस्या भी काफी महत्वपूर्ण समस्या है। इसका समाधान करने की आवश्यकता है।

प्रायः यह कहा जाता है कि जल विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत बढ़ जाती है। विकासकर्ताओं के लिए समय और लागत में होनेवाली वृद्धि को कम करने के लिए तौर–तरीके अपनाने की मुख्य चुनौती है। एन.एच.पी.सी. जैसे संगठनों ने इस दिशा में पहले ही प्रयास करने शुरू कर दिए हैं।

III सेगमेंटवार और परियोजनावार कार्यनिष्पादन

यह कारपोरेशन विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन का व्यवसाय करता है। एन.एच.पी.सी. ने देश में अनेकों संगठनों के साथ मिलकर कई परामर्शी सेवाएं प्राप्त की हैं। परामर्शी सेवाओं से इस वर्ष 536 मिलियन रुपये की आय हुई है।

IV दृष्टिकोण

कम्पनी के लिए आगामी वर्ष कार्योन्मुखी वर्ष के रूप में होंगे। एन.एच.पी.सी. पर आगामी दशक में 18,789 मे0वा0 विद्युत उत्पादन की जिम्मेदारी है ताकि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित "मिशन 2012 – पावर फार ऑल" का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

V जोखिम/चिन्ता

जल विद्युत विकास दीर्घावधि कार्य होने के साथ–साथ अत्यधिक पूंजी वाला कार्य है जिसमें उच्च वित्तीय लागत पर अपेक्षाकृत दीर्घावधि की वित्तीय व्यवस्था शामिल रहती है। इसलिए इस क्षेत्र में और किसी वजह से असमय ही वित्तीय सहायता रोकने तथा बन्द होने तथा निर्माण समयवृद्धि एवं लागत वृद्धि का खतरा बना रहता है। जल विद्युत का विकास स्थल विशेष की बनावट तथा सीमावर्ती निर्माण प्रकृति का होता है जिसमें प्राकृतिक अवस्थाओं का मूल्यांकन करना होता है, जो बहुत कठिन कार्य है।

इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय नदी विवाद भी काफी चिन्ता का विषय है।

VI आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता

इस कम्पनी ने प्रचालन दक्षता प्राप्त करने, संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग तथा उनकी प्रभावी मानीटरिंग और नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। इस कारपोरेशन के पास बेहतर संगठनात्मक संरचना, प्रत्यायोजित शक्तियां, अभिलेखबद्ध नीतियां, दिशानिर्देश तथा मैनुअल हैं।

इस कारपोरेशन के कारपोरेट कार्यालय में तथा विभिन्न परियोजनाओं के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ट में एक पूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है। ये विभाग लेखापरीक्षा का कार्य करते है। कारपोरेशन के मैनुअल में दिए गए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा दक्षता की जांच करना इन लेखा परीक्षकों का मुख्य उद्देश्य है।

निदेशक मण्डल की योग्य लेखापरीक्षा समिति आन्तरिक आडिट रिपोर्ट तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मण्डल ने प्रबन्ध नियंत्रण प्रणाली, कार्यान्वयन एवं निर्माण, प्रचालन और रखरखाव, बजट, नियंत्रण महालेखाकार के लेखापरीक्षा पैरा की टिप्पणियों की महत्वपूर्ण विसंगति की समीक्षा करने के लिए प्रबन्धन नियंत्रण प्रणाली समिति का गठन किया है।

VII संचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन संबंधी चर्चा

क) वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2002–2003 के दौरान निगम का कुल कारोबार 13249 मिलियन रुपए था तथा मूल्यह्रास, ऋणों पर ब्याज, वित्तपोषण प्रभारों के लिए व्यवस्था करने तथा पूर्वावधि समायोजन अनुमत करने के पश्चात आपके निगम ने पिछले वर्ष के 4709 मिलियन रुपए के लाभ की तुलना में इस वर्ष कर–पश्चात 5105 मिलियन रुपए का लाभ कमाया है। मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में लगभग 396 मिलियन रुपए अधिक था।

श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री एस.के. गर्ग, निदेशक (वित्त) तथा अन्य निदेशक – निगम मुख्यालय में वित्त प्रमुखों की बैठक के दौरान उपस्थित

ख) संचालित परियोजनाओं से निष्पादन

वर्ष 2002–2003 के दौरान, एनएचपीसी के पावर स्टेशनों ने 9000 मिलियन यूनिट के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 9862.72 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया। बैरास्यूल पावर स्टेशन के संबंध में उत्पादन जल के अल्प अंतः प्रवाह के कारण लक्ष्य से 96.81 मिलियन यूनिट कम हुआ। ग्रिड अवरोधों के कारण 95.84 मि.यू. उत्पादन कम हुआ। इस प्रकार, परिकल्पित उत्पादन सहित कुल उत्पादन 9958.55 मिलियन यूनिट था जो लक्ष्य से 10.65 प्रतिशत अधिक है।

सभी संचालित उत्पादन यूनिटों के क्षमता सूचकांक के लिए 93.00 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक क्षमता सूचकांक 96.62 प्रतिशत था जो लक्ष्य से 3.89 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष के दौरान एनएचपीसी परियोजनाओं का समग्र क्षमता उपयोग (अभिकल्प ऊर्जा पर आधारित) 105.77 प्रतिशत था।

परियोजनावार निष्पादन

वर्ष 2002–2003 के लिए लक्ष्यों, वास्तविक उत्पादन, क्षमता उपयोग (अभिकल्प ऊर्जा पर आधारित) का परियोजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

पावर स्टेशन	31.3.03 की स्थिति के अनुसार प्रभावी क्षमता मे0वा0 में	लक्ष्य (मि.यू)	परिकल्पित उत्पादन सहित वास्तविक उत्पादन (मि.यू) 2002–2003	क्षमता सूचकांक (प्रतिशत)	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	वास्तविक उत्पादन मि.यू. में 2001–2002	जुलाई 2003 तक वास्तविक उत्पादन
बैरास्यूल	180.00	780	683.55*	96.29	91.18	749.28*	368.96
लोकतक	105.00	450	551.93	95.10	122.49	570.01	111.16
सलाल	690.00	3100	3139.68	95.15	101.87	3082.01*	1707.78
टनकपुर	94.20	445	423.33	99.70	93.21	442.17*	200.74
चमेरा	540.00	1785	2260.04	96.58	135.77	1954.77	1401.87
उड़ी	480.00	2100	2545.66	99.20	94.82	2587.38*	1338.83
रंगित	60.00	340	354.36	91.96	104.20	348.07	133.62
कुल	**2149.20**	**9000**	**9958.55**	**96.62**	**105.77**	**9733.69**	**5262.96**

* परिकल्पित उत्पादन सहित

निर्माणाधीन/सर्वेक्षण एवं अन्वेषण वाली परियोजनाओं की प्रगति

निर्माणाधीन परियोजनाएं

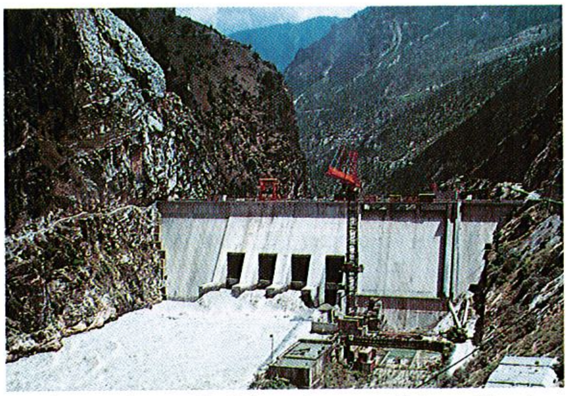

390 मेगावाट की दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व कश्मीर) – कंक्रीट बांध

दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मे0वा0), जम्मू व कश्मीर

सभी इलैक्ट्रो व हाइड्रो–मैकेनिकल कार्य पूरे हो गए हैं। 10.6 कि.मी. लम्बी हेड रेस सुरंग (एचआरटी) की खुदाई का कार्य 27.08.03 को पूरा हो गया है। एचआरटी में कंक्रीट से पक्का करने का कार्य चल रहा है। यह परियोजना दिसम्बर, 2003 तक पूरी होनी है।

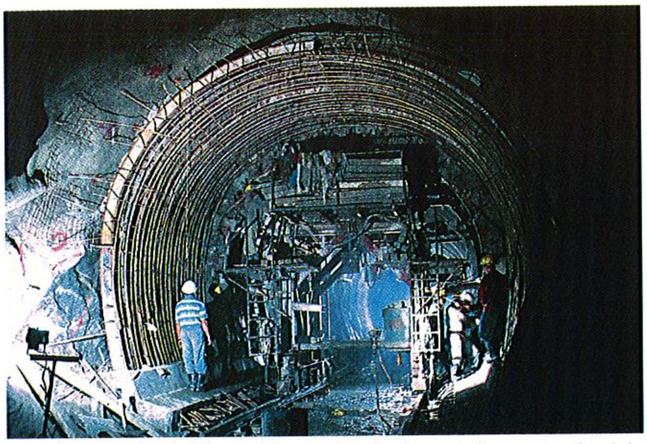

280 मेगावाट की धौलीगंगा परियोजना (उत्तरांचल) – इनटेक टनल की कंक्रीट लाइनिंग

धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (280 मे0वा0) उत्तरांचल

अंतिम रिपोर्ट के अनुसार एच.आर.टी. की खुदाई, कट ऑफ दीवार की कंक्रिटिंग, प्रेशर शाफ्ट को बढाने का कार्य पूरा हो गया है। स्पिलवे की खुदाई, बांध तटबंध निर्माण, एच.आर.टी. को कंक्रीट से पक्का करने का कार्य चल रहा है। सभी इलैक्ट्रो–मैकेनिकल तथा हाइड्रो–मैकेनिकल कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहे हैं। सभी बड़े नींव संबंधी कार्य समय से पहले पूरे कर लिए गए हैं। यह परियोजना मार्च, 2005 तक पूरी होनी है।

चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण–**II** (300 मे0वा0) हि. प्र.

इस परियोजना के सिविल कार्य पूरे हो गए हैं तथा अंतिम कार्य (फिनिशिंगवर्क्स) चल रहे हैं। यूनिट–II के इलैक्ट्रो–मैकेनिकल कार्य पूरे होने वाले हैं तथा यूनिट–III के कार्य निर्धारित समय से पहले पूरे किए जा रहे हैं। बांध में सभी रेडियल द्वारों के कार्य पूरे हो गए हैं। यूनिट–I, 8.8.03 को पूरी हो गई है तथा दूसरी यूनिट को सितम्बर, 2003 तक संचालित करने के लिए प्रयास किए जा रहे है और जबकि यूनिट–III निर्धारित समय मई, 2004 से पूर्व अक्तूबर, 2003 में पूरी होनी है।

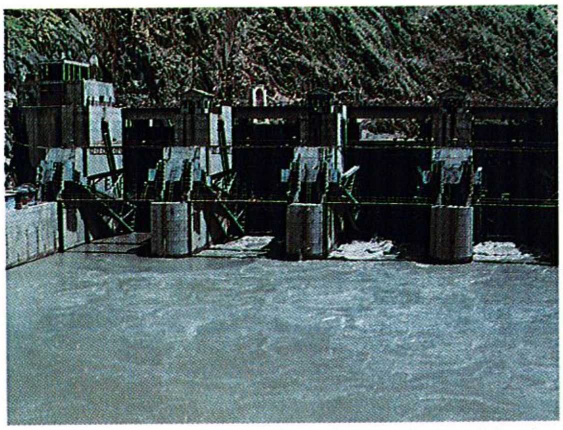

300 मेगावाट की चमेरा चरण–II परियोजना (हिमाचल प्रदेश) – कंक्रीट बांध

तीस्ता जल विद्युत परियोजना चरण – **V** (510 मे0वा0) सिक्किम

सूचना के अनुसार इस परियोजना की डाइवर्सन सुरंग पूरी हो चुकी है तथा तीस्ता नदी को निर्धारित समयानुसार 18.11.2002 को डायवर्ट कर दिया गया है। डिस्लिटिंग चैम्बर – III तथा सर्ज गैलरी की खुदाई का कार्य और टेल रेस सुरंग–III को कंक्रीट से पक्का करने का कार्य तथा पावर हाउस की खुदाई कार्य पूरा हो गया है। बांध की नींव का कार्य तथा प्रेसर शाफ्ट का कार्य संतोषजनक चल रहा है। सभी एम.ओ.यू. कार्य निर्धारित समय से पहले पूरे कर लिए गए हैं। यह परियोजना फरवरी, 2007 तक पूरी होने की संभावना है। हाल ही में माननीय प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परियोजना का दौरा किया तथा इस परियोजना को निर्धारित समय से पहले शुरू करने के लिए उन्होंने एच.एच.पी.सी. द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

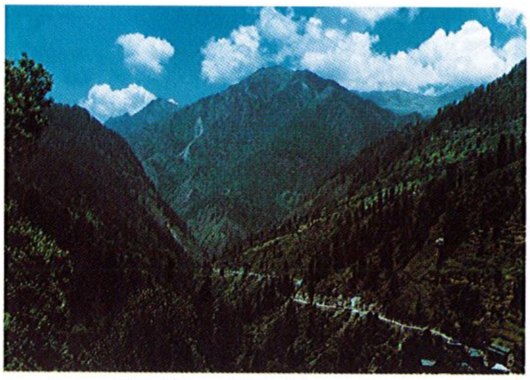
800 मेगावाट की पार्बती चरण–II परियोजना (हि.प्र.) – पार्बती नदी

लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना – (90 मे0वा0) मणिपुर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था न हो पाने तथा मणिपुर सरकार द्वारा भूमि व फसल मुआवजा को अन्तिम रूप न दे पाने के कारण कोई कार्य नहीं हो पाया है।

पार्बती जल विद्युत परियोजना – II (800 मे0वा0) हि0प्र0

इस परियोजना के लिए सितम्बर, 2002 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति का कारपोरेशन को अनुमोदन प्राप्त हुआ है। सभी बृहद सिविल और इलैक्ट्रो–मैकेनिकल कार्य प्रदान कर दिए गए हैं। सभी निर्माण स्थलों में रोड और पुलों सम्बन्धी आधारभूत कार्य पूरे जोरों पर किए जा रहे हैं। डाइवर्शन सुरंग की खुदाई का कार्य पूरा हो गया है। कंक्रीट लाइनिंग करने का कार्य चल रहा है। एचआरटी तथा विद्युत गृह की खुदाई का कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है।

सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना – (2000 मे0वा0) अरूणाचल प्रदेश

इस परियोजना को आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। कार्य करने के लिए निविदाएं देने का कार्य चल रहा है।

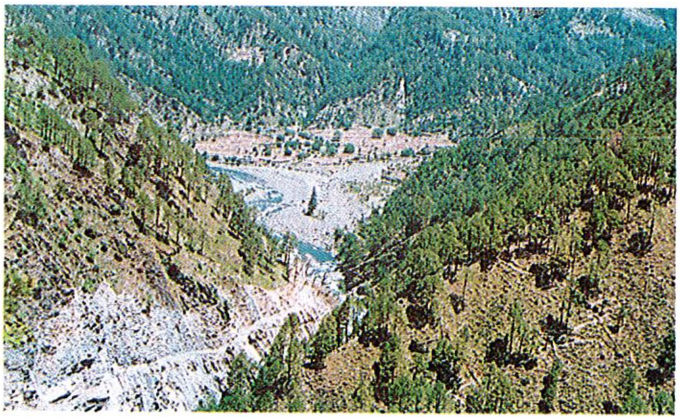
120 मेगावाट की सेवा–II परियोजना (जम्मू व कश्मीर) – बांध स्थल

सेवा – II जल विद्युत परियोजना – (120 मे0वा0) जम्मू व कश्मीर

इस परियोजना को आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति की 23.8.2003 को हुई बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। निविदा देने का कार्य किया जा रहा है।

कोयलकारो जल विद्युत परियोजना – (710 मे0वा0) झारखण्ड

प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ स्वीकृतियां प्राप्त न होने के कारण इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

सर्वेक्षण और अन्वेषण परियोजनाएं

अरूणाचल प्रदेश की परियोजनाएं

सियांग अपर जल विद्युत परियोजना (11000 मे0वा0)

इस परियोजना की व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेक्षण कार्य किए जा रहे हैं। चरण–I के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सियांग मिडिल जल विद्युत परियोजना (1000 मे0वा0)

व्यावहारिकता रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा सीईए से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास संबंधी अन्वेषण किए जा रहे हैं।

सियांग लोअर जल विद्युत परियोजना (1700 मे0वा0)

व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए विस्तृत अन्वेषण किए जा रहे हैं।

सुबानसिरी अपर जल विद्युत परियोजना (2000 मे0वा0)

जून, 2002 में इसकी व्यावहारिकता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी तथा सी.ई.ए. ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी है और इसके सम्बन्ध में आवश्यक आधारभूत कार्य किए जा रहे हैं।

सुबानसिरी मिडिल जल विद्युत परियोजना (1600 मे0वा0)

जून, 2002 में इसकी व्यावहारिकता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी तथा सीईए ने विस्तृत परिकल्पित रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी है और इस संबंध में आवश्यक आधारभूत कार्य किए जा रहे हैं।

दिबांग जल विद्युत परियोजना – (3000 मे0वा0)

सी.ई.ए./सी.डब्लू.सी. के सहयोग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य चल रहे हैं।

जम्मू व कश्मीर की परियोजनाएं

किशनगंगा जल विद्युत परियोजना – (330 मे0वा0)

इस परियोजना को सात वर्षों में पूरा करने लिए सीईए ने तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उड़ी–**II** जल विद्युत परियोजना – (280 मे0वा0)

चरण–II के कार्यों का प्राक्कलन स्वीकृत हो गया है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरण प्रबन्धन योजना अध्ययन चल रहे हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

निम्मो बाजगो जल विद्युत परियोजना – (45 मे0वा0)

इस परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा चरण – II की स्थल स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए विस्तृत अन्वेषण किए जा रहे हैं।

चुटक जल विद्युत परियोजना – (30 मे0.वा0)

व्यावसायिक व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए व्यावहारिकता रिपोर्ट सी.ई.ए. को भेजी जा चुकी है।

बरसर जल विद्युत परियोजना – (1020 मे0वा0)

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेक्षण कार्य चल रहे हैं। तथापि, परियोजना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण कार्य बन्द पड़े हैं।

पकलदुल जल विद्युत परियोजना – (1000 मेगावाट)

आधारभूत कार्यों को शुरू करने के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश की परियोजनाएं

पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण – **I** (750 मे0वा0)

विद्युत मंत्रालय ने पर्यावरणीय गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस परियोजना को छोड़ देने की सलाह दी है।

पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण – **III** (520 मे0.वा0)

अन्वेषण कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबन्धन योजना अध्ययनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 8.8.2003 को प्रस्तुत कर दी गई है।

चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण – **III** (231 मे0वा0)

जून, 2003 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सी.ई.ए. को प्रस्तुत कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण तथा आधारभूत सुविधाओं के कार्य किए जा रहे हैं। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरण प्रबन्धन योजना अध्ययनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सड़कों का निर्माण कार्य वन स्वीकृति न मिलने के कारण रुका पड़ा है।

पश्चिम बंगाल की परियोजनाएं

तीस्ता लो डैम जल विद्युत परियोजना चरण – **III** (132 मे0वा0)

सी.ई.ए. द्वारा टी.ई.सी. स्वीकृति प्रदान की गई है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अनुमोदन के लिए इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति से सिफारिश की है तथा पर्यावरण तथा वन स्वीकृति प्राप्त हो गई है। आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य चल रहा है। बड़े कार्यों के लिए बोली के मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है और कार्य भारत सरकार से निवेश स्वीकृति प्राप्त होने पर शुरू कर दिए जाएंगे।

तीस्ता लो डैम जल विद्युत परियोजना चरण – **IV** (200 मे0वा0)

सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूरे हो गए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 03 तक प्रस्तुत कर दी जाएगी।

फरक्का बैराज जल विद्युत परियोजना (125 मे0वा0)

विद्युत मंत्रालय से एन.एच.पी.सी. ने इस परियोजना को छोड़ देने का आग्रह किया है क्योंकि वाणिज्यिक दृष्टि से यह व्यावहारिक नहीं है।

महाराष्ट्र की परियोजनाएं

बाव जल विद्युत परियोजना चरण – I (18 मे0वा0)

व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य किए जा रहे है।

बाव जल विद्युत परियोजना चरण – II (50 मे0वा0)

व्यावहारिकता रिपोर्ट के साथ–साथ संशोधित लागत प्राक्कलनों के साथ संशोधित योजना सी.ई.ए. को प्रस्तुत की गई है। उच्च शुल्क के कारण सी.ई.ए. ने एन.एच.पी.सी. से लागत प्राक्कलनों तथा परियोजना की विशेषताओं की समीक्षा करने के लिए कहा है। यह कार्य चल रहा है।

कर्नाटक की परियोजनाएं

अपर कृष्णा जल विद्युत परियोजना (810 मे0वा0)

एन.एच.पी.सी. द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार 810 मे0वा0 के बजाए प्रस्तावित संस्थापित क्षमता 450 मे0वा0 होगी तथा 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष पर 842.91 मि0यू0 वास्तविक उत्पादन होगा। यह परियोजना विद्यमान जल उपलब्धता पर वाणिज्यिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है इसलिए एच.एच.पी.सी. ने कर्नाटक सरकार से नारायणपुर बांध के लिए अधिक जल छोड़ने का अनुरोध किया है। जल उपलब्धता के मुद्दे को हल करने में समय लग सकता है इसलिए इस परियोजना के XI वीं योजना में शुरू होने की संभावना है।

कावेरी सिवासमुद्रम जल विद्युत परियोजना (270 मे0वा0)

इस परियोजना का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार को अभी यह निर्णय करना है कि क्या कावेरी नदी पर एक समय में एक परियोजना शुरू की जाएगी।

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

कामबांग लघु जल विद्युत परियोजना (6 मे0वा0)

इसके सिविल कार्य पूरे होने वाले हैं। इलैक्ट्रीकल और मैकेनिकल कार्य चल रहे हैं। इस परियोजना के दिसम्बर, 2003 में शुरू होने की संभावना है।

सिप्पी लघु जल विद्युत योजना (4 मे0वा0)

इस परियोजना के निर्माण का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है, एच.एम. और ई.एम. घटकों के लिए फैब्रीकेशन तथा ट्रांसपोर्टेशन कार्य चल रहा है। इस परियोजना के शुरू होने की संभावना दिसम्बर, 2003 में है।

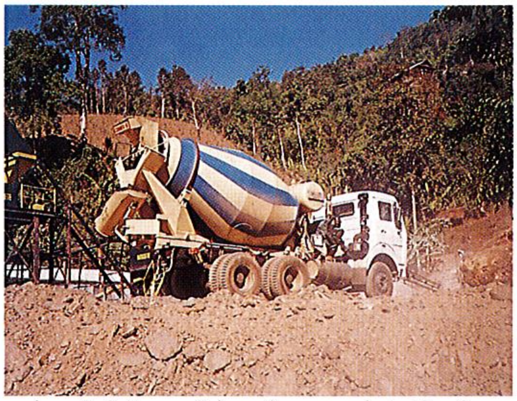

4 मे.वा. की सिप्पी लघु परियोजना (अरूणाचल प्रदेश) ट्रांजिट मिक्सचर का दृश्य

हलाईपानी लघु जल विद्युत परियोजना (9 मे0वा0)

अरूणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य विद्युत विभाग के माध्यम से इस परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है तथा एन.एच.पी.सी. ने इस कार्य से हट जाने का निर्णय लिया है।

परामर्शी सेवाएं

एन.एच.पी.सी. भारत तथा विदेश में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न अभिकरणों तथा संगठनों को जल विद्युत के विकास के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

2000–2003 राजस्व का विश्लेषण

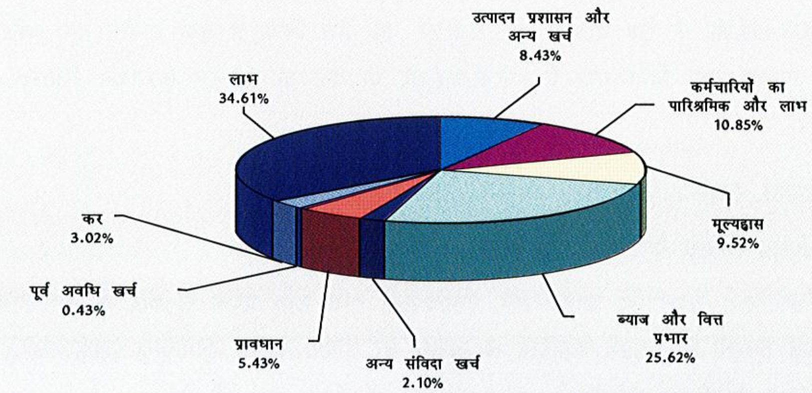

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के दौरान 26.8.80 मिलियन रुपए के नए परामर्शी कार्य प्राप्त हुए हैं, जो "उत्कृष्ट" दर के लिए निर्धारित लक्ष्य से 144 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष विभिन्न परामर्शी सेवाओं के लिए प्राप्त किया गया भुगतान वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान प्राप्त 111.60 मिलियन रुपये की तुलना में 124.9 मिलियन रुपए है।

भू–तापीय ऊर्जा का विकास

आपको जानकारी है कि गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने एन.एच.पी.सी. को देश में भू–तापीय ऊर्जा के उपयोग के लिए एक नोडल एजेन्सी नियुक्त किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान क्षमतावान भू–तापीय क्षेत्रों का पता लगाने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता मेसर्स जियोथर्मेक्स, यू.एस.ए. की सहायता से किया गया है। तन्तापानी में 300 के.वी. संयंत्र तथा एक मे0वा0 संयंत्र के लिए भू–तापीय क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजना के विकास के वास्ते लागत लाभ अध्ययनों (प्राक्कलित लागत तथा उत्पादन लागत) के अनुसार इस परियोजना को काफी लागत के कारण अव्यवाहारिक माना गया है। तत्तापानी भू–तापीय क्षेत्रों के समग्र विकास तथा पूगा में 5/20 मे0वा0 भू–तापीय संयंत्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के विचाराधीन है।

घरेलू ऋण

इस कारपोरेशन ने उच्च लागत ऋणों को अपेक्षाकृत सस्ते ऋणों से प्रतिस्थापित करने की अपनी नीति जारी रखी है। 25000 मिलियन धनराशि के ऋण के लिए 19 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस कारपोरेशन ने अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लम्बी अवधि के लिए बाण्डों के प्राइवेट प्रतिस्थापन करके पूंजी बाजार से 5700 मिलियन रुपए जुटाए हैं। बाजार से मिली इस बेहद उत्साहजनक प्रतिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि देश के ऋण/पूंजीबाजार में कम्पनी की बेहतर साख है।

विदेशी ऋण

इस कारपोरेशन ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नेक्सी ओवरसीज अनटाईड लोन इंस्योरेंस स्कीम के तहत 18240 जे.पी.वाई. का एक असम्बद्ध ऋण करार किया है। इस कारपोरेशन ने मेसर्स वेस्ट एल.बी. से प्राप्त 10.910 मिलियन जी.बी.पी. ऋण के शेष जी.बी.पी. ऋण को रुपये के ऋण के साथ प्रतिस्थापन कर दिया है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह कारपोरेशन विविध संस्थाओं से 100 मिलियन अमेरिकी डालर की बराबर धनराशि जुटाने की व्यवस्था कर रहा है। इस कारपोरेशन ने ट्रेन्च–III ऋण की स्वीकृति के लिए जे.बी.आई.सी. से भी अनुरोध किया है ताकि धौलीगंगा परियोजना की वित्तीय आवश्यकता को पूरा किया जा सके। जे.बी.आई.सी. के एक दल ने एन.एच.पी.सी. का दौरा किया है तथा उन्होंने कुछ ब्यौरा मांगा है। यह ब्यौरा उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। जे.बी.आई.सी. के दल का अन्तिम मूल्यांकन सितम्बर, 2003 में होने की आशा है।

सहायक कम्पनी/संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

1. नर्मदा जल विद्युत विकास कारपोरेशन लिमिटेड

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन, एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह कम्पनी इस समय स्वामित्व के आधार पर इंदिरा सागर परियोजना (आई.एस.पी.) (1000 मे0वा0) तथा ओमकारेश्वर परियोजना (ओ.एस.पी.) (520 मे0वा0) कार्यान्वित कर रही है।

इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना (आई.एस.पी.)

जून 2003 तक मुख्य बांध की कंकरीटिंग का 90.29 प्रतिशत कार्य तथा विद्युत गृह कंकरीटिंग का 94.08 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। दो इकाईयाँ अक्तूबर, 2003 में और शेष वर्ष 2004 में पूरी होंगी जबकि इनके पूरे होने की निर्धारित अवधि 2005 है।

ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना (ओ.एस.पी.)

आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने 29.4.2003 को अनुमोदन कर दिया है। इस परियोजना के टर्नकी कार्यान्वयन का ठेका दे दिया गया है तथा संगठन कार्य प्रगति पर है।

2. नैशनल पम्पड स्टोरेज विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड

पुरूलिया पम्पड स्टोरेज परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम की कम्पनी बनाने के वास्ते 25.5.2001 को पश्चिम बंगाल सरकार और एन.एच.पी.सी. के बीच एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर हुए थे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम्पनी का अनुमोदन तथा संयुक्त उद्यम कम्पनी के गठन का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस परियोजना के लिए अधिकांश भूमि अधिग्रहित कर ली गई है, बड़ी निर्माण गतिविधियाँ शुरू करने के लिए 99 प्रतिशत रोड का कार्य पूरा हो गया है। भवन का कार्य चल रहा है बड़ी निविदाएं प्रदान कर दी गई हैं। विद्युत निवेश के लिए त्रिस्तरीय विद्युत खरीद करार पर पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल विद्युत विकास कारपोरेशन लि0, तथा विद्युत उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 के साथ एन.एच.पी.सी. ने 2.8.2003 को हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को 2006–2007 में संचालित किया जाना है।

मानव संसाधन प्रबन्धन में विकास

आज के प्रतियोगी वातावरण में एक संगठनात्मक ढाँचे के रूप में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। एन.एच.पी.सी. ने मानवीय दक्षता तथा उनकी योग्यता का और उनके दीर्घकालिक विकास को काफी महत्व दिया है। परिपक्व व्यक्ति, प्रभावशाली कार्यनिष्पादक, उत्कृष्ट दल का सदस्य और बेहतर मानव के रूप में प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय के वातावरण की उदीयमान चुनौतियों तथा अवसरों का सामना करने के लिए जागरूक कर्मचारियों को प्रेरित करने तथा संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सहायक मानव संसाधन नीतियों को अपनाया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस कारपोरेशन ने मूल प्रबन्धन, सामान्य प्रबन्धन, उन्नत प्रबन्धन, परियोजना प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण प्रौद्योगिकी, रखरखाव प्रबन्धन और स्वास्थ्य आदि पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञता प्राप्त विदेशी अभिकरणों के माध्यम से पुनः प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम तथा तकनीकी कर्मचारियों की दक्षता को उन्नत करने के लिए लम्बी अवधि के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। महिला कर्मचारियों के विकास तथा उन्हें अधिकार प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है। नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक तथा अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मानव संसाधन विकास प्रभाग ने 8500 कार्यदिवस के लक्ष्य की तुलना में 25387 कार्य दिवसों का प्रशिक्षण प्रदान किया। यह प्रशिक्षण भारत में तथा विदेश में 349 कार्यक्रम चला कर दिया गया जिसमें 3702 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

कारपोरेशन के प्रशिक्षण मैनुअल में उस समय नया अध्याय जुड़ा है जब भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अन्तर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार प्रचालन एवं प्रबन्धन कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सीईए द्वारा चमेरा–I, उड़ी, सलाल तथा टनकपुर पावर स्टेशनों को सांविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। एन.एच.पी.सी., बाह्य एजेंसियों जैसे ए.एस.सी.आई., एन.पी.टी.आई., आई.आई.पी.एम., एन.सी.बी., पोलीटेक्नीक, आई.टी.आई., की विशेषज्ञता का उपयोग अपने कार्मिकों को उच्च दक्षता व प्रशिक्षण देने के लिए किया है।

कर्मचारी कल्याण और औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी विद्युत गृहों/परियोजनाओं/यूनिटों में मैत्रीपूर्ण और सद्भाव–पूर्ण औद्योगिक वातावरण बना रहा। इस अवधि में न तो कहीं हड़ताल हुई और न ही तालाबन्दी हुई। इस कारपोरेशन ने शैक्षणिक, सचिवालयी तथा कारपोरेशन की विभिन्न परियोजनाओं से सम्बद्ध शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई हैं। कारपोरेशन में कार्यालय समय के दौरान कर्मचारियों के बच्चों को रखने के लिए क्रैच भी खोला गया है।

निगम मुख्यालय में एनएचपीसी महिला कल्याण संस्था द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर का दृश्य

निगम मुख्यालय में एनएचपीसी स्थापना दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक

खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एन.एच.पी.सी. ने नई दिल्ली में आठवां अन्तर–सी.पी.एस.यू. चैस टूर्नामेंट का आयोजन किया। ये टूर्नामेंट पावर स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों ने आयोजित किए थे। एनएचपीसी की टीम ने कैरम, कबड्डी, वॉलीबाल, बैडमिंटन तथा टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भी भाग लिया।

हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। मुख्य धारा और स्व. पहचान को बढ़ाने के लिए इस कारपोरेशन ने संस्कृति के महत्व को स्वीकार किया है, इसलिए यह एन.एच.पी.सी. दिवस के अवसर पर तथा नव वर्ष और होली के अवसर पर कारपोरेट कार्यालय व परियोजना केन्द्रों/ कार्यालयों में एन.एच.पी.सी. महिला कल्याण संस्था की सहायता से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस तथा अन्य अवसरों पर परियोजना/स्टेशनों पर भी आयोजित किए जाते हैं।

सचेतक विवरण

इस रिपोर्ट में निहित विचार तथा भावी विवरण, प्रबंध वर्ग की परिकल्पना है तथा कतिपय जोखिमों तथा अनिश्चितता के फलस्वरूप वास्तविक परिणाम ऐसे विवरणों में प्रतिबिम्बित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। अध्येता को इस रिपोर्ट में तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी गई अन्य सूचना की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए। कंपनी इन भावी विवरणों को नई सूचना, भावी घटनाओं, अन्यथा किसी कारण से, अद्यतन करने तथा संशोधित करने के लिए बाध्य नहीं है।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 30 सितम्बर, 2003
स्थान : फरीदाबाद

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखे 2002-03

अनुबंध- IV

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
हमने 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष में कंपनी के संलग्न लाभ एवं हानि लेखों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें उस तारीख को समाप्त वर्ष में शाखा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित यूनिटों के लेखे और कंपनी के नकद प्रवाह विवरण को सम्मिलित किया गया है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने की है।	
हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है, जिसमें यह आवश्यक होता है कि हम वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक रूप से सही होने के बारे में समुचित आश्वासन लेने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में धनराशि और प्रकटनों की पुष्टि करने वाले प्रमाण की, परीक्षा के आधार पर, जांच करना, प्रयुक्त लेखागत सिद्धांतों और प्रबंधकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती है और रिपोर्ट करती है कि:	
1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4क) के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी विनिर्माण और अन्य कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 1988 की अपेक्षा के अनुसार हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों पर अनुलग्नक में एक विवरण संलग्न किया है।	
2. इसके अतिरिक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणियों के बारे में हम सूचित करते हैं कि:	
I) अनुसूची 21 के नोट संख्या 10(क) *वर्ष 1980 से चल रहे पूंजीगत कार्य में शामिल कोयल कारो परियोजना के लिए 686 मिलियन रुपए को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है और न ही इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, इस सीमा तक लाभ को बढ़ाकर दिखाया गया है।*	इस परियोजना के कार्यान्वयन पर हुए खर्च को इस चरण में बट्टे खाते में नही डाला जा सकता है क्योंकि परियोजना अभी भी अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है।
II) अनुसूची 21 के नोट संख्या 10(ख) *छोड़ दी गई और वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य घोषित पार्बती–I परियोजना एवं फरक्का परियोजना पर चल रहे पूंजीगत कार्य में, क्रमशः 16 मिलियन और 22 मिलियन रुपए का व्यय शामिल हैं और परिणामस्वरूप उस सीमा तक लाभ को बढ़ाकर दिखाया गया है।*	कारपोरेशन को भारत सरकार से परियोजना विशिष्ट इक्विटी प्राप्त हो रही है। दोनों स्कीमें नियोजित स्कीमें थीं और जांच कार्य के लिए इनका अनुमोदन किया गया था। इसके अतिरिक्त समायोजन, यदि कोई हो, भारत सरकार से अनुदेश प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

III) *जैसा कि "लेखा नोट" के नोट संख्या 17(क) में बताया गया है, कारपोरेशन ने अब तक विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार मूल्य ह्रास का प्रभार लिया है जबकि चालू वर्ष में यह सीईआरसी के विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में कमी और लाभ में 941 मिलियन रुपए की वृद्धि हुई है।* कारपोरेशन ने दिनांक 26.3.2001 की अधिसूचना संख्या एल 7/25(1)–2001–सीईआरसी के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार अपनी मूल्य ह्रास नीति का सही संशोधन किया है।

3. उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में अपनी रिपोर्ट के अधीन हमारा कहना है कि

क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;

ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड को संबोधित दिनांक 10.03.2003 के पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार, एनएचपीसी (4)/1187 में विहित निदेशों के अनुसार लेखा परीक्षकों में कार्य आबंटित किया गया है;

ग) हमारे विचार में कम्पनी ने कानून द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखा बही रखा है जैसा कि बहियों की जांच से प्रतीत होता है तथा उन शाखाओं से समुचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं जिनका दौरा हमने नहीं किया है और वे हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनो के लिए पर्याप्त हैं;

घ) संबंधित शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित लेखा की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय हमने इन पर समुचित ध्यान दिया है;

ड.) इस रिपोर्ट का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरण बही खाते से मेल खाते हैं।

च) हमारे विचार में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरण में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में उल्लिखित लेखागत मानकों का अनुपालन किया गया है;

छ) दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा नामित निदेशकों को छोड़कर अन्य निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों और निदेशक बोर्ड द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (छ) के संदर्भ में किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया गया है। कंपनी कार्य विभाग ने दिनांक 22.3.2002 के सामान्य परिपत्र सं.

8/2002 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(छ) के उपबंध से मुक्त हैं;

ज) पूर्वगामी के अधीन और अनुसूची 21 में उल्लिखित नोटों के साथ पठित, "लेखा नोट" हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नोटों और उनपर प्रमुख लेखागत नीतियों के साथ पठित उक्त लेखे से कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार सूचना मिलती है और इससे भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धातों के अनुरूप वास्तविक एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त होता है:

i) दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों के तुलन पत्र के मामले में

ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष में कंपनी के लाभ से संबधित लाभ एवं हानि लेखा के मामले में,

और

iii) उस तारीख को समाप्त वर्ष में कैश फ्लो से संबंधित कैश फ्लो विवरण के मामले में।

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

संदीप मानकतला
भागीदार
सदस्य संख्या : 91408

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2003

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध

(उसी तारीख की लेखा परीक्षक रिपोर्ट के पैराग्राफ । में संदर्भित)

	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
I.	कंपनी ने स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित अभिलेखों का सामान्यतः उपयुक्त रखरखाव किया है परन्तु कुछ मामलों में संस्थापना की तिथि, स्थान और पहचान अपूर्ण पाए गए। प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि कंपनी की निर्धारित परिसंपत्तियों का वार्षिक रूप से प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारे विचार से कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए यह उपयुक्त है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार ऐसे सत्यापन में सामग्री संबंधी कोई विसंगतियां नहीं देखी गई।	स्थिर परिसंपत्तियां रजिस्टर में संस्थापना की तिथि, स्थान और पहचान के रिकार्ड के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। छूटे हुए मामलों को वर्ष 2003–04 में पूरा कर लिया जाएगा।
II.	वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर परिसंपत्ति का पुनः मूल्यांकन नहीं किया गया है।	
III.	सभी परियोजनाओं का निरन्तर संपत्ति सूची प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा स्टोर और कल–पुर्जों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है। हमारे विचार से कंपनी के आकार और इसके कार्य की प्रकृति के अनुसार सत्यापन की प्रक्रिया उचित है।	
IV.	हमारे विचार से प्रबंधन द्वारा स्टोर और इसके कल–पुर्जों के संबंध में अपनाई जा रही प्रत्यक्ष सत्यापन पद्धति को कम्पनी के आकार और इसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए और अधिक सुदृढ़ करने की जरूरत है।	हमारे विचार से प्रबंधन द्वारा स्टोर और कल–पुर्जों के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति सही है।
V.	हमें सूचित किया गया है कि भंडारों के प्रत्यक्ष स्टाक और बुक रिकार्ड के बीच जांच करने के बाद पाई गई विसंगतियां वस्तुगत (मैटीरियल) नहीं थी और इनको लेखा बही में ठीक कर लिया गया है।	
VI.	स्टॉक रिकार्डो की जांच करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन सही और उचित है तथा उसी आधार पर है, जो पिछले वर्ष था। नीति में परिवर्तन के प्रभाव को लेखा टिप्पणियों के पैरा 16(क) में दिया गया है।	
VII.	वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे जा रहे रजिस्टरों में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मो अथवा अन्य पार्टियों से कोई भी आरक्षित अथवा अनारक्षित ऋण नहीं लिया है। तथापि, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारंभ होने के बाद कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उप धारा (6) का प्रावधान लागू नहीं होता है।	
VIII.	कंपनी ने नर्मदा हाइड्रो–इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड एक सहायक कंपनी और सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड जहां कि कंपनी के एक निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे जा रहे रजिस्टरों में सूचीबद्ध निदेशक के रूप मे कार्य करने को इच्छुक हैं उन कंपनियों के लिए प्रत्येक के वास्ते	

	100 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। ऋण के ब्याज की दर और अन्य नियम एवं शर्तें प्रथमदृष्टा कंपनी के प्रतिकूल नही है। तथापि, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारंभ होने के बाद कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 370 की उप धारा (6) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।	
IX.	जहां तक कंपनी द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में ऋण देने का संबंध है, पार्टियां यथा निर्धारित मूल राशि अदा कर रही हैं तथा कारपोरेशन के कर्मचारियों से संबंधित कुछ मामलों के अलावा, जहां कहीं भी लागू है, ब्याज की राशि भी नियमित रूप से अदा की जा रही है।	नोट किया
X.	हमारे विचार से, घटकों, संयत्र और मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसंत्तियों सहित स्टोर, कल–पुर्जों की खरीदारी और सामानों की बिक्री संबंधी कार्य कंपनी के आकार और इसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए आंतरिक नियंत्रण पद्धति बिल्कुल उपयुक्त है।	
XI.	हमारे विचार से तथा प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे जा रहे रजिस्टर में प्रविष्टि के अनुसार सहायक कंपनियों से 35.9 मिलियन (पिछले वर्ष 54.7 मिलियन) का परामर्शी शुल्क वसूल करने जिसमें विशेष प्रकृति तथा अतुलनीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ निदेशक उपयुक्त प्रभार वसूल करने के इच्छुक रहे हैं, के अलावा 50,000/– की कीमत से अधिक सामग्री, सामान तथा सेवाएं न क्रय की गई और न ही बेची गई।	इस कार्य संपादन को कंपनी अधिनियम, 1956 की उप धारा 301 में रखे जा रहे रजिस्टर में प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। नोट केवल सूचनात्मक है।
XII.	जैसा की हमें बताया गया है कि कंपनी में मरम्मत न किए जाने वाले तथा क्षतिग्रस्त सामानों एवं कल–पुर्जों की प्रविष्टि की एक नियमित पद्धति है। उक्त क्षतिग्रस्त सामानों के लिए लेखों में उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।	
XIII.	कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 ए के तहत तथा इस संबंध में बनाए गए नियमों के तहत लोगों से कोई जमाराशि नहीं ली है।	
XIV.	हमारे विचार से कंपनी में निर्माण गतिविधियों से निकलने वाले कचड़ों की बिक्री और निपटान संबंधी रिकार्ड रखे जा रहे हैं। कम्पनी का कोई उप–उत्पाद नहीं है।	
XV.	कंपनी में एक आंतरिक लेखा परीक्षक विभाग है, हमारे विचार से कम्पनी के आकार और इसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए इस विभाग को और अधिक सुदृढ़ करने की जरूरत है।	हमारे विचार से कंपनी के आकार और प्रकृति को देखते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली बिल्कुल उपयुक्त है।
XVI.	हमने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(I)(घ) के तहत लागत रिकार्डों के रखरखाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए लागत लेखा रिकार्ड (विद्युत उद्योग) नियमावली, 2001 के अनुसरण में कंपनी के लेखा की प्रविष्टि की पुनरीक्षा की जिसके संबंध में हमारा विचार है कि प्रथमदृष्टा प्रचालनात्मक यूनिटों के संबंध में निर्धारित लेखे और रिकार्ड सही हैं। तथापि, लेखे और रिकार्डों का रखरखाव मुख्यालय में	इस प्रक्रिया को चालू किए हुए केवल एक वर्ष हुआ है। कारपोरेट कार्यालय में परियोजनावार रिकार्डों का रखरखाव किया गया है। तथापि, वर्ष 2003–04 और इसके आगे के लागत लेखों के रिकार्डों का रखरखाव संबंधित परियोजनाओं में किया जाएगा।

किया गया जा रहा है, जबकि इसका रखरखाव संबंधित परियोजना में किया जाना चाहिए। तथापि, हमने इन रिकार्डो की कोई जांच नहीं की और न ही इसकी आवश्यकता समझी।

XVII. कंपनी के रिकार्डो के अनुसार वर्ष के दौरान सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भविष्य निधि की बकाया राशि समय पर जमा की गई है। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य जीवन बीमा इस कंपनी पर लागू नहीं है।

XVIII. हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार अविवादित आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जो देय तारीख से 6 महीने के अधिक समय से बकाया थे, सबका समाधान कर दिया गया है और 31 मार्च, 2003 तक कोई बकाया राशि नहीं है।

XIX. हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संविदात्मक बाध्यताओं अथवा सामान्य स्वीकार्य पद्धति के तहत देय के अलावा राजस्व लेखा में कर्मचारियों अथवा निदेशकों के व्यक्तिगत खर्चों को प्रभारित नहीं किया गया है।

XX. रुग्न औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (द) के अनुसार यह कंपनी रूग्ण औद्योगिक कंपनी के अंतर्गत नहीं आती है।

XXI. सेवा संबंधी गतिविधियों के संबंध में

(क) कंपनी की सामग्रियों और भंडारों की प्राप्तियों, निर्गमों, खपतों तथा संबंधित कार्यों के लिए खपत की गई सामग्रियों के आबंटन को रिकार्ड करने की उपयुक्त प्रणाली है।

(ख) कंपनी द्वारा मुहैया कराई गई सेवा की प्रकृति इस प्रकार है कि विभिन्न गतिविधियों पर लगाए गए आदमियों के कार्य घण्टों को दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है।

(ग) कंपनी के भण्डारों के निर्गम और आबंटन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए तथा उचित स्तर के प्राधिकरण की एक उपयुक्त प्रणाली है।

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट्स

संदीप मानकतला
भागीदार
सदस्यता संख्या : 91408

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2003

1600 मेगावाट की सुबानसिरी मिडिल परियोजना (अरूणाचल प्रदेश) – बांध स्थल

31 मार्च, 2003 का तुलन पत्र

(मिलियन रुपए)

	अनुसूची			31 मार्च, 2003			31 मार्च, 2002
निधियों के स्रोत							
क. हिस्सेदारों की निधियां							
i) हिस्सा पूंजी	1		66,934			52,931	
ii) हिस्सा पूंजी जमा			1,214			6,268	
iii) इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि			4,258			4,258	
iv) आरक्षित व अधिशेष	2		28,524	100,930		24,201	87,658
ख. ऋण निधियां							
i) आरक्षित ऋण	3		46,771			37,449	
ii) अनारक्षित ऋण	4		28,307	75,078		24,723	62,172
ग. मूल्यह्रास के बदले बतौर पेशगी अग्रिम रूप से प्राप्त आय				8,010			6,484
घ. आकस्मिकताओं के लिए स्वयं बीमा				2,132			1,784
ड. आस्थगित कर							
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं			12,935			11,329	
घटाएं : आस्थगित कर वसूलने योग्य			12,935	-		11,329	-
कुल				**186,150**			**158,098**
निधियों का उपयोग							
क. स्थिर पूंजीगत खर्च							
i) स्थिर परिसंपत्तियां	5						
क) सकल ब्लॉक		82,809			81,135		
घटाएं : मूल्यह्रास		16,722			15,267		
ख) शुद्ध ब्लॉक			66,087			65,868	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		70,780			52,183	
iii) निर्माण भंडार और पेशगियां	7		6,217	143,084		5,255	123,306
ख. निवेश	8			25,379			19,650
ग. चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	9						
i) उपचित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं		-			825		
ii) माल सूचियां		641			837		
iii) निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके)		105			11		
iv) विविध देनदार		14,938			12,715		
v) नकद व बैंक शेष		6,023			5,417		
vi) अन्य चालू परिसंपत्तियां		763			532		
vii) ऋण व पेशगियां		3,189	25,659		2,109	22,446	
घटाएं : चालू, देयताएं व व्यवस्थाएं	10						
i) देयताएं		3,698			4,161		
ii) व्यवस्थाएं		4,155			3,163		
iii) विकास अधिभार (ट्रस्ट में लिया गया)		131	7,984		-	7,324	
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां				17,675			15,122
घ. विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजन न की गई की सीमा तक)	11			12			20
कुल				**186,150**			**158,098**
लेखा नीतियां	20						
लेखों और आकस्मिक देयताओं पर टिप्पणियां	21						

अनुसूची 1 से 21 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

संदीप मानकतला
भागीदार
सदस्यता सं. 91408

विजय गुप्ता
सचिव

एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2003

31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(मिलियन रुपए)

	अनुसूची			31 मार्च, 2003			31 मार्च, 2002
आय							
i) बिक्री			13,249			13,496	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए पेशगी			1,526	11,723		1,286	12,210
ii) ठेके व परामर्श	12			536			1,144
iii) अन्य आय	13			2,493			2,160
कुल आय				**14,752**			**15,514**
खर्च							
i) उत्पादन, प्रशासन व अन्य खर्चे	14			1,244			1,412
ii) कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ	15			1,601			1,492
iii) मूल्यह्रास				1,404			2,316
iv) ब्याज व वित्त प्रभारें	16			3,779			4,388
v) ठेका एवं परामर्श खर्च	17			310			712
vi) प्रावधान	18			801			-
vii) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	19			63			63
कुल खर्च				**9,202**			**10,383**
लाभ (कर पूर्व)				**5,550**			**5,131**
कर के लिए प्रावधान							
i) चालू कर			437			422	
ii) पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन			8			-	
iii) आस्थगित कर		1,606			2,198		
घटाएं : आस्थगित कर बसूली योग्य समायोजन		1,606	-	445	2,198	-	422
कर के पश्चात् लाभ				**5,105**			**4,709**
पिछले लेखों से आगे लाया गया शेष				**8,346**			**4,137**
निपटान योग्य लाभ				**13,451**			**8,846**
विनियोजन –							
i) अंतरिम लाभांश				500			-
ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश				250			500
iii) कारपोरेट लाभांश कर				32			-
तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष				**12,669**			**8,346**
				13,451			**8,846**
प्रति शेयर आय (मूल) (रुपए)				**81.69**			**91.05**
अंकित मूल्य (रुपए)				**1000 /-**			**1000 /-**
लेखा नीतियाँ	20						
लेखों तथा प्रासंगिक देयताओं पर टिप्पणियाँ	21						

अनुसूची 1 से 21 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

संदीप मानकतला
भागीदार
सदस्यता सं. 91408

विजय गुप्ता
सचिव

एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2003

अनुसूची–1 शेयर पूंजी

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
क. प्राधिकृत		
100,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 70,000,000) 1000/– रुपए प्रति शेयर	**100,000**	**70,000**
ख. निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त		
1000/– रुपए प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त 66,933,897 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 52,930,547) (भारत सरकार के साथ हुए करार के अनुसरण में इनमें से 6,29,529 शेयर ठेकों के नकद परसूएन्ट के अतिरिक्त कंसीडरेशन के लिए आवंटित कर दिए गए है और एक शेयर का आवंटन नकदी के अलावा आंशिक कंसीडरेशन के लिए किया गया है)	66,934	52,931
कुल	**66,934**	**52,931**

अनुसूची–2 आरक्षित व अधिशेष

(मिलियन रुपए)

	1 अप्रैल, 2002	बढ़ोत्तरी	कटौती	31 मार्च, 2003
क. आरक्षित पूंजी (स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री)	1	-	-	1
ख. बॉण्ड रिडेम्पशन रिजर्व	2,654	-	-	2,654
ग. सामान्य रिजर्व	13,200	-	-	13,200
	15,855			15,855
घ. लाभ व हानि लेखा के अनुसार अधिशेष	8,346	5,105	782	12,669
कुल	**24,201**	**5,105**	**782**	**28,524**

अनुसूची–3 ऋण निधियां–आरक्षित

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
दीर्घकालीन ऋण				
क. बॉण्ड (अपरिवर्तनीय एवं असंचयी)				
i) बॉण्ड – 'जे' सीरिज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट) 21 जुलाई, 2002 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/– रुपए प्रत्येक के 16.5% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स		-		250
ii) बॉण्ड – 'एल' सीरिज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट) 31 मार्च, 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/– रुपए प्रत्येक के 16% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (एक वर्ष में 633 मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए)	633		633	
31 मार्च, 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/– रुपए प्रत्येक के 10.5% (करमुक्त) पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (एक वर्ष में 510 मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए)	510	1,143	510	1,143
iii) बॉण्ड – 'एम' सीरिज *5 (प्राइवेट प्लेसमेंट) 07.01.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय 100000/– रुपए प्रत्येक के 9.55% पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स (एक वर्ष में शून्य रुपए प्रतिदेय के लिए)		4,300		4,300
iv) बॉण्ड – 'एन' सीरिज *8 (नोट 1) 1,00,00,000/– रुपए प्रत्येक के 6.50%, 32 माह के बाण्ड, जो 15.11.03 से 6 महीनों में 5 समान किस्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। (एक वर्ष में 140 मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए)		700		-
v) बॉण्ड – 'ओ' सीरिज *2 (नोट 1) 10 अलग–अलग हस्तांतरणीय प्रतिदेय 10,00,00,000/– रुपए प्रत्येक के 7.7%, पर 15 वर्षीय बॉण्ड तथा प्रत्येक अलग–अलग हस्तांतरणीय प्रतिदेय मूल हिस्से में बाद के 1/10वें अन्तिम मूल्य शामिल है। शीघ्रतम प्रतिदेय 31.3.2009 को। (एक वर्ष में शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए)		5,700		-
vi) उपचित ब्याज एवं देय		1		-
ख. आवधिक ऋण				
i) बैंक ऑफ इंडिया *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (28.03.2007 से आगे 8 समान तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	500		500	
ii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (02.11.2007 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	500		500	
iii) केनरा इंडिया *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 200 मिलियन रुपए) (27.03.2004 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	1,000		1,000	
iv) केनरा बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (26.09.2006 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	1,000		1,000	
v) इंडियन ओवरसीज बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (06.12.2008 से आगे 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	500		500	
vi) इंडियन बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (19.12.2005 को प्रतिदेय)	1,000		1,000	

अनुसूची–3 ऋण निधियां–आरक्षित

(मिलियन रुपए)

		31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
vii)	भारतीय जीवन बीमा निगम *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (15.02.2005 को प्रतिदेय)	1,000	1,000
viii)	भारतीय जीवन बीमा निगम *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (15.03.2005 को प्रतिदेय)	1,500	1,500
ix)	भारतीय जीवन बीमा निगम *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (15.09.2005 को प्रतिदेय)	1,500	1,500
x)	पंजाब नेशनल बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (01.10.2008 को प्रतिदेय)	500	500
xi)	पंजाब नेशनल बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (3.12.2008 को प्रतिदेय)	500	500
xii)	स्टैट बैंक ऑफ पटियाला *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (9.01.2007 को प्रतिदेय)	400	400
xiii)	स्टैट बैंक ऑफ इंदौर *1 (एक वर्ष में 133.33 मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (22.12.2003 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	400	400
xiv)	स्टैट बैंक ऑफ सौराष्ट्र *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (11.09.2006 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	500	500
xv)	स्टैट बैंक ऑफ हैदराबाद *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (20.07.2004 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	600	600
xvi)	बैंक ऑफ महाराष्ट्र *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (02.02.2005 को प्रतिदेय)	1,000	1,000
xvii)	कारपोरेशन बैंक *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 1000 मिलियन रुपए)	1,000	1,000
xviii)	केनरा बैंक *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 214.29 मिलियन रुपए) (26.03.2000 से आगे 7 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है।)	643	857
xix)	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया *2 (एक वर्ष में 100 मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (30.07.2000 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है।)	200	300
xx)	हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि. *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 17.18 मिलियन रुपए) (01/2004 को समाप्त 7 वर्षों से अधिक अवधि ईएमआई के रूप में अदायगी की जा रही है।)	17	36
xxi)	आईसीआईसीआई बैंक लि. *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 1000 मिलियन रुपए)	1,000	1,000
xxii)	आईसीआईसीआई बैंक लि. *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए) (11.05.2002 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है।)	1,000	1,500
xxiii)	आईसीआईसीआई बैंक लि. *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए) (28.07.2002 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है।)	1,000	1,500

अनुसूची–3 ऋण निधियां–आरक्षित

(मिलियन रुपए)

		31 मार्च, 2003 को		31 मार्च, 2002 को	
xxiv)	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 2000 मिलियन रुपए)	2,000		3,000	
xxv)	इंडियन ओवरसीज बैंक *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए)	500		500	
xxvi)	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (27.09.2004 को प्रतिदेय)	1,000		1,000	
xxvii)	स्टैट बैंक ऑफ इंडिया आवधिक ऋण *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (28.06.2009 को प्रतिदेय)	4,000		2,000	
xxviii)	स्टैट बैंक ऑफ पटियाला *2 (एक वर्ष में 166.67 मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (03.02.2003 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है।)	333		500	
xxix)	बैंक ऑफ इंडिया *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (24.12.2006 से 10 वर्षों में 40 समान तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	810		410	
xxx)	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 50 मिलियन रुपए) (जुलाई, 2003 संचालन तारीख की शर्त के अधीन) (20 अर्धवार्षिक किस्तों में पुनर्अदायगी 50 मिलियन रुपए)	810		310	
xxxi)	हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि. *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए) (13.02.2009 से 14 समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	910		310	
xxxii)	पंजाब एंड सिंध बैंक *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (24.10.2006 से 10 वर्षों में 40 तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	700		310	
xxxiii)	पंजाब नैशनल बैंक *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (10 वर्षों में 20 अर्धवार्षिक किस्तों के रूप में पुनर्अदायगी के लिए संवितरण की पहली तारीख यानी 18.09.2001 से 5 वर्ष विलम्ब काल के बाद या वाणिज्यिक संचालन की तारीख से एक वर्ष, जो भी पहले हो।)	1,200		470	
xxxiv)	स्टैट बैंक ऑफ पटियाला *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (30.01.2007 से 14 अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	400		160	
xxxv)	स्टैट बैंक ऑफ हैदराबाद *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (07.01.2007 से 7 वर्षों में 14 अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	400		160	
xxxvi)	स्टैट बैंक ऑफ इंडिया *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (18.09.2006 से 14 अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	1,200		770	
xxxvii)	केनरा बैंक *6 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (28.06.2009 से आगे 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	500		-	
xxxviii)	भारतीय जीवन बीमा निगम लि. *7 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (15.04.2009 से 12 वर्षों में 24 अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	1,000		-	
xxxix)	उपचित ब्याज और देय (सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)	1	33,024	-	28,493

अनुसूची–3 ऋण निधियां–आरक्षित

(मिलियन रुपए)

		31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
XL)	बैंकों से कार्यकारी पूंजी मांग ऋण (अल्प अवधि) *3	712	2,090
XLI)	बैंकों से नकद उधार (अल्प अवधि) *3	1,191	1,173
	कुल आरक्षित ऋण	**46,771**	**37,449**

टिप्पणी :-

*1) कारपोरेशन की हिमाचल प्रदेश में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन के बुक डेब्ट्स और स्टोरों को छोड़कर अचल/चल संपत्तियों के बदले सामयिक मार्टगेज/बंधक रख कर समरूप प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*2) कारपोरेशन के जम्मू व कश्मीर राज्य में अवस्थित उड़ी पावर स्टेशन के बुक डेब्ट्स और स्टोरों को छोड़कर अचल/चल संपत्तियों के बदले सामयिक मार्टगेज/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*3) देनदारों तथा ओ. एण्ड एम. सामग्रियों के बदले बंधक रखकर आरक्षित।

*4) कारपोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण–II के अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मार्टगेज/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*5) कारपोरेशन की सिक्किम राज्य में अवस्थित रंगित पावर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले बैंकों की पूर्व शर्तों के अधीन बुक डेब्ट्स और स्टोरों के बदले सामयिक मार्टगेज/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभार के रूप में आरक्षित।

*6) कारपोरेशन के मणिपुर राज्य में अवस्थित लोकतक पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मार्टगेज/बंधक रखकर खास प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*7) कारपोरेशन के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण – II की चल/अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मार्टगेज/बंधक रखकर प्रथम प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*8) कारपोरेशन के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित बैरा स्यूल पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मार्टगेज एवं बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

टिप्पणी–1)

'एन' और 'ओ' सीरिज बांड्स क्रमशः 15 मार्च, 2003 और 31 मार्च, 2003 को आबंटित किए गए थे। दोनों सीरिज बाण्ड प्रतिभूति के लिए न्यासी मैसर्स यू.टी.आई. बैंक लि. के साथ निष्पादित किए गए ट्रस्ट डीड/ट्रस्टी एग्रीमेंट से संबंधित दस्तावेजों को तुलन–पत्र की तारीख तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। यद्यपि 'एन' और 'ओ' सीरिज बांडों के संबंध में प्रभार 06.06.2003 तक लिए गए हैं। 'एन' और 'ओ' सीरिज बांडों की मार्टगेज प्रक्रियाधीन है।

अनुसूची–4 ऋण निधियां – अनारक्षित

(मिलियन रुपए)

		31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
क.	**अल्पावधि ऋण**				
i)	बैंक ऑफ महाराष्ट्र (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए)	500		-	
ii)	बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	-		500	
iii)	कारपोरेशन बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	-		500	
iv)	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 750 मिलियन रुपए)	750		-	
v)	इंडियन बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए)	500		400	
vi)	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए)	500		-	
vii)	स्टैट बैंक ऑफ मैसूर (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	-		500	
viii)	स्टैट बैंक ऑफ पटियाला (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 400 मिलियन रुपए)	400		400	
ix)	स्टैट बैंक ऑफ इंदौर (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	-		500	
x)	स्टैट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए)	500		500	
xi)	यूनाईटेट बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 1,000 मिलियन रुपए)	1,000		-	
xii)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 1,000 मिलियन रुपए)	1,000	5,150	-	3,300
ख.	**भारत सरकार से ऋण** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)		-		287
ग.	**आवधिक ऋण**				
	अन्य से ऋण				
i)	एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	-		843	
	अन्य से. ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीयुक्त)				
i)	वैस्ट एलबी (पूर्व – वैस्ट मर्चेंट बैंक लि.) (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	-		1,015	
ii)	स्केन्डिनाविस्का एनस्किलडा बैंकन एबी (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 1,088.96 मिलियन रुपए)	3,267		4,048	
iii)	नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 240.21 मिलियन रुपए)	1,922		2,216	
iv)	क्रेडिट कॉमर्शियल डी.ई. फास (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 872.52 मिलियन रुपए)	6,551		6,137	
v)	एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 227.80 मिलियन रुपए)	3,808		2,156	
vi)	जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन – (पूर्व ओ.ई.सी.एफ.) ट्रेंच–I (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)	1,984		1,787	
vii)	जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन – (पूर्व ओ.ई.सी.एफ.) ट्रेंच–II (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	4,999		2,934	
viii)	डच बैंक तथा अन्य (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	626	23,157	-	21,136
	कुल अनारक्षित ऋण		**28,307**		**24,723**

अनुसूची–5 स्थिर परिसंपत्तियां

(मिलियन रुपए)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.2002	बढ़ोत्तरियां/ समायोजन	कटौतियां/ समायोजन	31.3.2003	1.4.2002 तक	वर्ष के लिए*	समयो-जन**	31.3.2003 तक	31.3.2003	31.3.2002
i) फ्रीहोल्ड भूमि	1,533	127	1	1,659	-	-	-	-	1,659	1,533
ii) लीजहोल्ड भूमि	186	55	-	241	20	3.000	-	23	218	166
iii) अवर्गीकृत भूमि	223	115	-	338	-	-	-	-	338	223
iv) भवन	7,579	490	6	8,063	1,673	165	2	1,840	6,223	5,906
v) सड़कें व पूल	978	183	5	1,156	219	10	-	229	927	759
vi) निर्माण संयंत्र व मशीनरी	707	10	35	682	316	46	(33)	329	353	391
vii) उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	19,586	411	5	19,992	4,455	367	-	4,822	15,170	15,131
viii) सब–स्टेशन उपस्कर	495	3	-	498	133	(4)	-	129	369	362
ix) हाइड्रॉलिक कार्य (बांध, टनल आदि)	47,902	220	6	48,116	7,466	866	4	8,336	39,780	40,436
x) वाहन	292	43	8	327	175	20	(5)	190	137	117
xi) फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर	500	132	9	623	166	93	(2)	257	366	334
xii) ट्रांसमिशन लाइनें	228	13	-	241	114	1	-	115	126	114
xiii) विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर	289	80	9	360	80	18	(3)	95	265	209
xiv) अतिरिक्त घोषित निर्माण संयंत्र व मशीनरी	551	27	170	408	364	5	(117)	252	156	187
xv) 5000/– रुपए तक की कम कीमत वाली स्थिर परिसंपत्तियां	86	19	-	105	86	19.000	-	105	-	-
कुल	81,135	1,928	254	82,809	15,267	1,609	(154)	16,722	66,087	65,868
पिछले वर्ष	*78,927*	*2,373*	*165*	*81,135*	*12,801*	*2,521*	*(55)*	*15,267*	*65,868*	*66,126*

* वर्ष के लिए मूल्य ह्रास नीचे दिए अनुसार प्रदत्त किया गया है:–

क)	लाभ व हानि लेखा	1404
ख)	निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च	203
ग)	कांट्रेक्ट एवं परामर्शी खर्च	2
		1609

** 15 मिलियन रुपए की भी पूर्व अवधि समायोजन शामिल है।

अनुसूची–6 चालू पूंजीगत कार्य

(मिलियन रुपए)

	1.4.2002	बढ़ोत्तरी	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2003
i) सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा अन्य खर्च	474	162	(18)	-	618
ii) भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार	2,167	882	(13)	416	2,620
iii) सड़कें और पुल	688	373	3	179	885
iv) हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, टनल व पावर चैनल	19,637	9,498	(38)	-	29,097
v) रेलवे साइडिंग	1	1	-	-	2
vi) पेनस्टॉक	204	-	-	-	204
vii) जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी	7,767	1,873	-	-	9,640
viii) विद्युत संस्थापनाएं व सब–स्टेशन उपस्कर	62	42	(1)	7	96
ix) विविध परिसंपत्तियां	8	5	-	6	7
x) ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें	139	31	-	13	157
xi) विनिमय दर अंतर	224	(27)	(197)	-	-
xii) निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च (अनुसूची–6 का अनुबंध)	20,812	6,728	(86)	-	27,454
कुल	52,183	19,568	(350)	621	70,780
पिछले वर्ष	*37,108*	*19,518*	*(3,813)*	*630*	*52,183*

अनुसूची–6 का अनुबंध निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
क. कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ				
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	1,832		1,552	
ii) ग्रेच्यूटी व भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	385		381	
iii) स्टाफ कल्याण खर्च	241		158	
iv) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	13	2,471	14	2,105
ख. मरम्मत व रखरखाव				
i) भवन	34		26	
ii) मशीनरी व निर्माण उपस्कर	18		20	
iii) अन्य	97	149	70	116
ग. प्रशासन व अन्य खर्च				
i) किराया	94		73	
ii) दरें व कर	7		3	
iii) बिजली प्रभारें	59		38	
iv) बीमा	19		16	
v) यात्रा व वाहन	84		67	
vi) स्टाफ कारों व वाहन निरीक्षण पर खर्च	85		70	
vii) टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	25		28	
viii) विज्ञापन व प्रचार	33		23	
ix) विदेशी परामर्श प्रभारें	6		7	
x) डिजाइन व परामर्श प्रभारें	6		5	
xi) क्षतिपूरक वनरोपण/जल अधिग्रहण उपचार क्षेत्र पर किया गया खर्च	42		78	
xii) सत्कार	2		1	
xiii) छपाई व लेखन सामग्री	30		25	
xiv) भूमि, जो निगम की नहीं है, के लिए खर्च	119		240	
xv) भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास	7		12	
xvi) लेखा परीक्षकों को भुगतान	2		2	
xvii) सुरक्षा खर्च	125		93	
xviii) अन्य खर्च	101		68	
xix) सामग्रियों/परिसंपत्तियों पर हानि, जो बट्टे खाते डाली गई	8	854	2	851
घ. ब्याज व वित्त प्रभारें				
i) भारत सरकार के ऋण पर ब्याज	10		42	
ii) बॉण्ड्स पर ब्याज	109		130	
iii) विदेशी ऋण पर ब्याज	938		668	
iv) नकद उधार सुविधाओं/आवधिक ऋण पर ब्याज	1,206		745	
v) बॉण्ड जारी करने के लिए खर्च	18		-	
vi) कमिटमेंट फीस	24		48	
vii) विदेशी ऋण पर गारंटी फीस	156		112	
viii) अन्य वित्त प्रभारें	762	3,223	48	1,793
ङ. विनिमय दर अंतर–शुद्ध (लाभ)		323		-
च. मूल्यह्रास		203		198
छ. पूर्व अवधि खर्च (शुद्ध)				
i) आय	-		1	
घटाएं :–				
ii) खर्च				
क) वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	5		-	
ख) मरम्मत व रखरखाव	-		1	
ग) अन्य	(14)		82	
घ) मूल्यह्रास	(1)		4	
ङ.) ब्याज	-	(10)	1	87
कुल खर्च		**7,213**		**5,150**
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां				
i) संयंत्र व मशीनों का किराया प्रभार/आउट टर्न	8		10	
ii) ऋणों व पेशगियों पर ब्याज	237		157	
iii) विविध प्राप्तियां व वसूलियां	77		67	
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	19		1	
v) बट्टे खाते न डाली गई प्रावधान/देयताएं	2		49	
कुल प्राप्तियां व वसूलियां		**343**		**284**
शुद्ध खर्च		**6,870**		**4,866**
घटाएं: प्रचलित एवं रख–रखाव वाले परियोजनाएं तथा डिपॉजिट/टर्नकी कांट्रेक्ट्स को आबंटित निगम मुख्यालय का हिस्सा		**142**		**161**
पूंजीगत चालू कार्य को हस्तांतरित राशि		**6,728**		**4,705**

अनुसूची–7 निर्माण भंडार एवं पेशगियां

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
क. निर्माण भंडार				
(प्रबंध वर्ग द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर)				
i) ट्रांजिट में निर्माण सामग्री	203		7	
ii) भंडार	783	986	984	991
ख. पूंजी खर्च के लिए पेशगी				
i) आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	2,350		2,649	
ii) अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)	2,881	5,231	1,615	4,264
कुल		6,217		5,255

अनुसूची – 8 निवेश

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
दीर्घ कालीन		
क. सहायक कंपनी में निवेश		
अनुद्धृत		
i) नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में 1000/– रुपए प्रत्येक, के 6,900,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	6,900	2,095
ख. निवेश अन्य (गैर व्यापार)		
अनुद्धृत		
i) उत्तर प्रदेश सरकार – 11% रिडीमेबल बॉण्ड्स प्रामिजरी नोट्स के रूप में	3,000	3,000
ii) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. – 12% बॉण्ड के बदले प्रतिदेय बांड/प्रामिजरी नोट्स	2,873	2,873
उपचित ब्याज और देय	539	172
iii) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. – 11.89% नॉन–कंवर्टीबल नॉन–क्यूमिलेटिब बांड्स	3,000	3,000
उपचित ब्याज और देय	531	178
iv) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. – 11% रिडीमेबल नॉन–कंबर्टीबल नॉन–क्यूमिलेटिब बांड्स	500	500
उपचित ब्याज और देय	82	28
v) जम्मू व कश्मीर सरकार – 12 रिडीमेबल नॉन–कंबर्टीबल बांड्स	7,200	7,200
उपचित ब्याज और देय	54	-
vi) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड – 11.85% रिडीमेबल बांड्स	600	600
उपचित ब्याज और देय	16	-
vii) पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन लि. में 10/–रुपए प्रत्येक के 80,00,000 पूर्ण इक्विटी शेयर को–प्रोमोटर के रुप में	80	-
उद्धृत		
इंडियन ओवरसीज बैंक में 10/– रुपए प्रत्येक, के 360800 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	4	4
कुल	25,379	19,650
टिप्पणी :		
उद्धृत निवेश		
बुक वैल्यू	4	4
मार्किट वैल्यू	6	3

अनुसूची–9 चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां

(मिलियन रुपए)

			31 मार्च, 2003				31 मार्च, 2002	
चालू परिसंपत्तियां								
क. उपचित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं				-				825
ख. मालसूचियां								
(प्रावधान द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर)								
i) सामग्री व पुर्जे			643				847	
ii) लूज औजार			1				2	
			644				849	
घटाएं : प्रावधान			3	641			12	837
ग. निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके)				105				11
घ. विविध देनदार (अनारक्षित)								
i) छः मास से अधिक अवधि के लिए			11,655				8,524	
ii) अन्य ऋण			4,043				4,966	
			15,698				13,490	
घटाएं : प्रावधान			760	14,938			775	12,715
विविध देनदार (अनारक्षित) का विवरण								
	2002-2003	**2001-2002**						
i) कंसीडर्ड गुड (नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से 57 मिलियन रुपए)	14,938	12,715						
ii) कंसीडर्ड संदेहजनक व व्यवस्थित	760	775						
ड. नकद व बैंक शेष								
नकद, अग्रदाय, बैंक व ड्राफ्ट			229				5,358	
i) अनुसूचित बैंकों में शेष								
क) चालू खाता			2,570				32	
ख) जमा खाता (अल्प अवधि) *			3,221				1	
ii) गैर–अनुसूचित बैंकों में शेष (बैंक ऑफ भूटान में) चालू खाता			3	6,023			26	5,417
च. अन्य चालू परिसंपत्तियां								
i) जमा राशि पर उपचित ब्याज			1				-	
ii) अन्य			764				532	
घटाएं : प्रावधान			2	763			-	532
छ. ऋण व पेशगियां								
i) सहायक कंपनियों से वसूली योग्य पेशगियां			40				5	
ii) कर्मचारियों को ऋण (अनारक्षित कंसीडर्ड गुड)			718				548	
iii) नगद या माल अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य पेशगियां								
क) आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	292				239			
ख) अनारक्षित (कंसीडर्ड संदेहजनक)	5	297			6	245		
घटाएं : संदेहजनक पेशगियों के लिए प्रावधान		5	292			6	239	
iv) इंटर कारपोरेट ऋण अनारक्षित (प्राप्ति योग्य गुड)			1,000				-	
v) अग्रिम कर जमा और स्रोत पर काटा गया कर			821				918	
vi) अन्य वसूली योग्य पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. से देय			318	3,189			399	2,109
कुल				**25,659**				**22,446**

* जमा लेखे (अल्पावधि) में 'सी' सीरिज बांड की गैर दावा राशि के कारण पीएनबी कैपिटल सर्विसेज ट्रस्टी के नाम में 21 मिलियन रुपए भी शामिल है।

क. वर्ष के दौरान–गैर अनुसूचित बैंकों में अधिकतम शेष का विवरण

	2002-2003	2001-2002
बैंक ऑफ भूटान		
i) चालू खाता	5	213
ii) आवधिक जमा	-	50

ख. निदेशकों से प्राप्य ऋण व पेशगियों का विवरण

	2002-2003	2001-2002
i) वर्ष के अंत में प्राप्य राशि	0.62	0.80
ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	0.83	1.00

निगम का कोई निदेशक, जिन कंपनियों में सदस्य अथवा निदेशक हैं, उन कंपनियों द्वारा देय पेशगी – शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

ग. वर्ष के दौरान सहायक कंपनी में अधिकतम शेष का विवरण

	2002-2003	2001-2002
नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	1,000	57

अनुसूची–10 चालू देयताएं व प्रावधान

(मिलियन रुपए)

		31 मार्च, 2003			31 मार्च, 2002	
क. देयताएं						
i) विविध लेनदार						
क) लघु औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) को कुल बकाया देय राशि (30 दिनों से अधिक देय – शून्य)	-			1		
ख) अन्य	1,897	1,897		2,585	2,586	
ii) डिपॉजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि		16			13	
iii) डिपॉजिट/प्रतिधारण राशि		648			312	
iv) उपचित ब्याज लेकिन ऋण पर देय नहीं		387			803	
v) परियोजना लागत के नामे पेशगियां		54			54	
vi) ठेकेदारों से पेशगियां		101			33	
vii) अन्य देयताएं		595	3,698		360	4,161
ख. प्रावधान						
i) कराधान		863			830	
ii) प्रस्तावित लाभांश		250			500	
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर		32			-	
iv) प्रोत्साहन (बाण्ड्स) के लिए प्रावधान		801			-	
v) बेतन संशोधन के लिए प्रावधान		-			1	
vi) एक्स–ग्रेशिया के लिए प्रावधान		68			68	
vii) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान		482			343	
viii) उपदान के लिए प्रावधान		1,243			916	
ix) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान		306			225	
x) आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान		110	4,155		280	3,163
ग. विकास अधिभार (ट्रस्ट में रखा)						
विकास अधिभार – बिल्ड		1,105			-	
घटाएं : वसूलने योग्य		581			-	
घटाएं : कारपोरेट लिक्विडिटी टर्म डिपॉजिट लेखा में निवेशित		393			-	
विकास अधिभार – निवेश योग्य			131			-
कुल			**7,984**			**7,324**

अनुसूची–11 विविध खर्च

(बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
i) आस्थगित राजस्व खर्च		12		20
ii) बट्टे खाते डालें जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियां	46		37	
घटाएं : के लिए प्रावधान	46	-	37	-
कुल		12		20

अनुसूची–12 संविदा व परामर्शी आय

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
i) संविदा आय	372		1,070	
जोड़ें : संविदा कार्य प्रगति पर – इतिशेष	105		11	
घटाएं : संविदा कार्य प्रगति पर – अतिशेष	11	466	18	1,063
ii) परामर्शी आय		70		81
कुल		536		1,144

अनुसूची–13 अन्य आय

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
i) लघुकालीन जमा से आय	-	9
ii) बांडों पर ब्याज	1,181	1,988
iii) ऋणों व पेशगियों पर ब्याज	11	7
iv) लाभांश आय (सकल)	1	-
v) अधिभार	1,221	65
vi) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	17	17
vii) प्रावधान/देयता जिन्हें लेखों में लिया जाना अपेक्षित नहीं था	16	59
viii) बेकार माल से आय	1	4
ix) कारपोरेट ऋण पर ब्याज	4	-
x) आवधिक ऋण और बचत बैंक पर ब्याज	1	-
xi) अन्य विविध आय	40	11
कुल	2,493	2,160

अनुसूची–14 उत्पादन, प्रशासनिक व अन्य खर्च

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
i) सामग्री व पुजों की खपत		27		69
ii) मरम्मत व रख–रखाव				
क) भवन	39		36	
ख) मशीनें	157		160	
ग) अन्य	109	305	134	330
iii) विविध संचालनात्मक खर्च		31		19
iv) किराया		5		3
v) दरें व कर		3		1
vi) बीमा		3		5
vii) आकस्मिकताओं के लिए स्वयं बीमा		387		386
viii) सुरक्षा खर्चा		141		174
ix) बिजली प्रभारें		5		6
x) यात्रा व वाहन		26		21
xi) स्टाफ कार पर खर्च		20		21
xii) टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च		12		9
xiii) विज्ञापन व प्रचार		4		5
xiv) अनुदान (50,000/– रुपए)		-		-
xv) छपाई व लेखन सामग्री		6		4
xvi) निगम मुख्यालय प्रबंधन खर्च		128		131
xvii) स्टोर्स और स्पेयर्स के मूल्य में ह्रास		65		63
xviii) बट्टे खाते डाले गए परियोजना खर्च		-		119
xix) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		5		4
xx) आस्थगित राजस्व खर्च के लिए बट्टे खाते डाली गई रकम		8		8
xxi) अन्य सामान्य खर्चे		66		23
xxii) विनिमय दर अंतर		(3)		11
कुल		1,244		1,412

अनुसूची–15 कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
i) बेतन, मजदूरी व भत्ते	1,149	1,068
ii) ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	245	265
iii) स्टाफ कल्याण खर्च	207	159
कुल	**1,601**	**1,492**

अनुसूची–16 ब्याज व वित्त प्रभारें

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
i) ऋणों पर ब्याज				
क) भारत सरकार के ऋण	3		520	
ख) बॉण्ड	474		461	
ग) विदेशी ऋण	224		448	
घ) आवधिक ऋण	2,569	3,270	2,285	3,714
ii) नकद उधार सुविधाओं पर ब्याज		118		318
iii) बॉण्ड खर्च		13		9
iv) ग्राहकों को छूट		267		234
v) विदेशी ऋणों पर गारंटी फीस		87		109
vi) अन्य वित्त प्रभारें		24		4
कुल		**3,779**		**4,388**

अनुसूची–17 संविदा और परामर्शी खर्चे

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
क. प्रत्यक्ष खर्चे (श्रम, सामग्री, परिसंपत्तियों और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान सहित)		198		520
ख. कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ				
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	37		87	
ii) ग्रेच्यूटी व भविष्य निधि में अंशदान	6		10	
iii) स्टाफ कल्याण खर्च	2	45	2	99
ग. मरम्मत व रखरखाव				
i) भवन	2		1	
ii) मशीनरी व निर्माण उपस्कर	-		10	
iii) अन्य	5	7	6	17
घ. प्रशासन व अन्य खर्च				
i) किराया	1		3	
ii) यात्रा व वाहन	6		11	
iii) स्टाफ कारों तथा निरीक्षण वाहनों पर खर्च	4		6	
iv) बीमा	1		3	
v) टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	2		4	
vi) विज्ञापन व प्रचार	1		1	
vii) छपाई व लेखन सामग्री	1		1	
viii) निगम मुख्यालय प्रबंधन खर्च	14		30	
ix) आकस्मिकताएं	-		49	
x) अन्य खर्च	41	71	8	116
ङ. मूल्यह्रास		2		6
कुल खर्च		**323**		**758**
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां				
i) विविध	10		41	
ii) प्रावधान/देयता जिन्हें लेखों में लिया जाना अपेक्षित नहीं था	2	12	1	42
वर्ष के दौरान शुद्ध खर्च		**311**		**716**
च. पूर्व अवधि समायोजन		(1)		(4)
कुल		**310**		**712**

अनुसूची – 18 प्रावधान

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
प्रोत्साहन के लिए प्रावधान – बाण्ड्स	801	-
कुल	**801**	-

अनुसूची – 19 पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
क. आय				
i) बिजली की बिक्री		(3)		5
ii) अन्य		3		12
		-		**17**
ख. खर्च				
i) वेतन एवं मजदूरी	13		-	
ii) मरम्मत व रख–रखाव	2		1	
iii) ब्याज	-		1	
iv) अन्य	32		46	
v) मूल्यह्रास	16	63	32	80
कुल		**63**		**63**

अनुसूची – 20 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1 लेखाकरण परम्पराएं

1.1 निगम के लेखे लेखाकरण की संभूति विधि का प्रयोग करते हुए पारम्परिक लागत परम्परा के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

1.2 ग्राहकों से प्रभारित ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा जब संग्रहण की युक्तिसंगत निश्चितता हो, आय माना जाता है।

2. स्थिर परिसम्पत्तियां

2.1 नियत परिसम्पत्तियों का कथन अर्जन/निर्माण आधार पर किया जाता है। जिन मामलों में संविदाकारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, किन्तु परिसंपत्ति पूर्ण तथा प्रयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनुमानित आधार पर किया जाता है।

2.2 निगम के स्वामित्वरहित भूमि पर सृजित स्थिर परिसम्पत्यिों को स्थिर परिसंपत्तियों के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

2.3 भूमि से संबंधित क्षतिपूर्ति तथा अन्य व्ययों के लिए अनंतिम रूप से किए गए भुगतानों को भूमि की लागत माना जाता है।

2.4 सहायतानुदान/अभिकरण अथवा डिपॉजिट आधार पर परियोजनाओं में अधिप्राप्त/सृजित परिसंपत्तियों को परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि स्वामित्व निगम में निहित नहीं है।

2.5 अतिशेष घोषित निर्माण उपकरणों का मूल्य, बही मूल्य तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम दर्शाया जाता है।

3. मशीनरी के कल पुर्जे

3.1 उत्पादन इकाईयों, पावर स्टेशन एवं स्विचयार्ड आदि के लिए मशीनरी के कल पुर्जे, जो उपस्करों के साथ या उसके बाद खरीदे गए तथा जिनका उपयोग अनियमित माना गया था, को पूंजीकृत किया गया और सम्बद्ध प्लांट एवं मशीनरी को शेष उपयोगिता के दौरान उसका मूल्यह्रास किया गया। अन्य अतिरिक्त पुर्जों को "स्टोर्स तथा स्पेयर्स" माना गया जो सामान सूची में शामिल थे तथा जारी करते समय उन्हे खर्च में दर्ज किया गया।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 संचालनाधीन परियोजनाओं तथा अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत आधार पर लिया जाता है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में, निर्माण के दौरान प्रयुक्त नियत परिसंत्तियों पर ब्याज तथा मूल्यह्रास सहित प्रासंगिक तथा आरोग्य व्ययों को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के भाग के रूप में लिया जाता है जिसका आबंटन परियोजना के संचालन पर भूमि तथा आधारभूत सुविधाओं को छोड़कर बृहत् अचल परियोजना परिसम्पत्तियों को किया जाना है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सामान्य जन सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन इत्यादि पर हुए व्यय को 'निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय' में प्रभारित किया जाता है।

5. मूल्यह्रास एवं पारिशोधन

5.1 विद्युत विनियामक आयोग के अधिनियम, 1998 (एक केन्द्रीय अधिनियम) के तहत गठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की शर्तों के अनुसार अधिसूचित दरों पर सीधी पद्धति से विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1947 के अनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है। परिसम्पत्तियों के मामले में, जहां सीईआरसी की शर्तों के अनुसार दरें अधिसूचित नहीं की गई हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत बनाई गई दरों पर सीधी पद्धति आधार पर मूल्य ह्रास प्रभारित किया गया है कम्प्यूटरों और सम्बद्ध सामग्री के अलावा, जहां कंपनी द्वारा अनुमानित दरों को अपनाया गया है।

5.2 मूल्यह्रास का प्रावधान उस वर्ष में यथानुपात में किया गया है, जिस वर्ष में परिसंपत्ति उपयोग के लिए प्राप्त हुई है।

5.3 वर्ष के प्रारम्भ में 5000 रुपए या उससे कम कीमत की परिसंपत्ति में तथा ऐसी मदें (अचल परिसम्पत्तियों को छोड़कर) 5000/– रुपए या उससे कम कीमत की हैड का पूरी तरह मूल्यह्रास किया गया है।

5.4 वर्ष के दौरान परिवर्तन के कारण दीर्घकालिक देयताओं में वृद्धि/कमी के कारण जहां मूल्यह्रास योग्य परिसम्पत्तियों की लागत में परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी अपरिशोधित शेष परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यह्रास की व्यवस्था परिसम्पत्तियों के अवशिष्ट उपयोगी काल के लिए प्रत्याशित रूप से की जाती है।

6. **निवेश**

निवेश का अभिप्राय दीर्घ अवधि से है और ये लागत पर आधारित होते हैं।

7. **वस्तु सूचियां**

7.1 (क) अतिशेष निर्माण उपस्करों के स्क्रेप एवं अतिरिक्त पुर्जों के अलावा भण्डारों तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

(ख) स्क्रैप का मूल्य निर्धारण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(ग) अतिशेष निर्माण उपस्करों के लिए अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यनिर्धारण लागत से कम तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

7.2 वर्ष के दौरान निर्गत लूज टूल्स को खपत लेखे में प्रभारित किया जाता है जहां पृथक मदों की लागत 5000/– रुपए या इससे कम है तथा अन्य मामलों में 5 वर्षीय समान किस्तों में बट्टे खाते डाल दिया जाता है।

7.3 पावर स्टेशनों में संचालन तथा अनुरक्षण के लिए निर्गत किन्तु वर्ष के अंत में स्थल पर प्रयोग न किए गए भंडारों का मूल्यांकन इंजीनियरिंग अनुमानों के आधार पर किया जाता है तथा इन्हें भण्डारों के रूप में माना जाता है।

8. **विविध व्यय**

वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के पश्चात पांच वर्षों की अवधि के बाद परियोजना के विविध व्यय को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

9. **विदेशी मुद्रा उतार – चढ़ाव**

विदेशी मुद्रा में लेनदेन को उसी तिथि को प्रवृत्त विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को लेखाकरण वर्ष के अंतिम दिन प्रवृत्त विनिमय दर पर रूपांतरित किया जाता है। नियत परिसंपत्तियों से संबंधित देयताओं के पुनःभुगतान अथवा पुनः कथन के कारण उत्पन्न हुए विनिमय अंतरों को संबंधित नियत परिसंपत्तियों, यदि वे पूंजीकृत हों, की वर्तमान मूल्यराशि में समायोजित कर दिया जाता है अथवा चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ले लिया जाता है, यदि परिसंपत्ति निर्माणाधीन हो अन्य मामलों में रूपांतरण/परिवर्तन के कारण हुए लाभ या हानि को पावर स्टेशन में मामले में लाभा तथा हानि लेखे में तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

10. **सेवानिवृत्ति लाभ**

उपदान, अवकाश नकदीकरण तथा पश्च–सेवानिवृति चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान प्रत्येक वर्ष बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

11. **राजस्व**

11.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखाजोखा भारत सरकार/केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टेरिफ के अनुसार किया जाता है। पावर स्टेशनों के मामले में, जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं होता, बिक्रियों का बिल निर्धारण समुचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों तथा विधि के आधार पर परिकलित अनंतिम दरों पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के लिए वसूली/प्रतिदाय तथा आयकर के लिए वसूली का लेखाजोखा वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों को टैरिफ अधिसूचनाओं के अनुसार मान्य किया जाता है। पावर स्टेशन के मामले में जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं किए गए हैं, प्रोत्साहनों को उनकी स्वीकृति की संभावना के निर्धारण के आधार पर अनंतिम रूप से मान्य किया जाता है।

(ग) विश्वव्यापी व्यय लेखों को अंतिम रूप दिए जाने से प्रत्युत्पन्न समायोजन, चाहे वे महत्वपूर्ण न हो, अंतिम रूप दिए जाने के संबंधित वर्ष से प्रभावी किए जाते हैं।

(घ) ऋणों की चुकौती को सरल बनाने के लिए आरम्भिक वर्षों में टैरिफ के घटक के रूप में, मूल्यह्रास के प्रति दिए गए अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है तथा इसे अनुवर्ती वर्षों में शामिल की जाने वाली आस्थगित आय माना जाता है।

11.2. लागत जमा/डिपॉजिट/टर्नकी आधार पर संविदा कार्यों से राजस्व को समापन विधि की प्रतिशतता पर निम्न प्रकार से मान्य किया जाता है :

	कार्य की प्रगति	राजस्व मान्यता
(क)	66.67 प्रतिशत तक	शून्य
(ख)	66.67 से ऊपर 90 प्रतिशत तक	80 प्रतिशत
(ग)	90 प्रतिशत से अधिक	100 प्रतिशत

संविदाओं में प्रत्याशित हानियों सहित हानियों को तत्काल मान्य किया जाता है एक से मामलों तथा यथावश्यक समझी जाने वाली सीमा तक त्रुटि देयता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले किन्ही दावों के लिए आकस्मकताओं हेतु व्यवस्था की जाती है।

11.3 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी संविदाओं के संबंध में राजस्व को करार की शर्तों तथा संविदा के अन्तर्गत किए गए कार्य की प्रमात्रा के आधार पर मान्य किया जाता है।

11.4 निवेशों पर ब्याज की गणना संभूति आधार पर की जाती है।

12. कारपोरेट कार्यालय व्ययों का आबंटन

कॉरपोरेट कार्यालय व्ययों का आबंटन इस प्रकार किया जाता है –

(क) पावर स्टेशनो पर कर तथा शुल्कों को निकाल कर वर्ष में ऊर्जा की बिक्री के 1 प्रतिशत की दर से।

(ख) निगम को प्रदान किए गए तथा उसके द्वारा निष्पादित निर्माण संविदा कार्यों के मामले में वर्ष के दौरान उपगत परियोजना व्यय के 5 प्रतिशत की दर से।

(ग) शेष व्यय का आबंटन निर्माण परियोजनाओं को वर्ष के दौरान उपगत शुद्ध पूंजीगत व्यय के अनुपात में किया जाता है।

13. स्व–बीमा

तुलन–पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार पावर स्टेशन के सकल ब्लॉक 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लाभ तथा हानि लेखे को 'आकस्मिकताओं के लिए स्व–बीमा के तौर पर माना जाता है। इस प्रकार सृजित आरक्षित राशि का उपयोग विनिर्दिष्ट आकस्मिकताओं के लिए परिसम्पत्तियों की हानियों के लिए किया जाता है।

14. विविध

14.1. पारगमन में वस्तुओं/निष्पादित पूँजीगत कार्यों, किन्तु जो प्रमाणित नहीं हैं, के लिए देयताओं की व्यवस्था निगम द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति के लंबित होने तक नहीं की जाती है।

14.2. निर्माणाधीन परियोजनाओं को पावर स्टेशनों से आपूरित विद्युत पर सामान्य टैरिफ के अनुसार प्रभार लगाया जाता है।

14.3. 50,000/– रुपए तथा उससे कम राशि की मदों के पूर्व प्रदत्त व्ययों तथा पूर्वावधि/आय को सामान्य लेखाशीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

15. उधार लागत

निर्माण/नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के दौरान नियत परिसम्पत्तियों को आरोप्य उधार लेने की लागतों को पूंजीकृत किया जाता है। उधार लेने की अन्य लागतों को उनके उपगत किए जाने की अवधि में व्यय में माना जाता है।

16. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर करों का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर को वर्ष के लिए लेखाकरण आय तथा कर योग्य आय के बीच समयांतरों के आधार पर मान्य किया जाता है तथा तुलन–पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार अधिनियमित या स्वायत्त अधिनियमित कानूनों तथा कर दरों का प्रयोग करते हुए उसका प्रमात्रात्मक निर्धारण किया जाता है। आस्थागित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य तथा अग्रेनीत किया जाता है जहां तक युक्तिसंगत निश्चितता है कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होंगी जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को वसूल किया जा सकता है। आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखे को भावी वर्षों में वास्तविक भुगतान आधार पर लाभानुभोगियों से प्रभार्य कर व्यय की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है।

अनुसूची – 21 लेखों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं

क) निगम के विरूद्ध दावे की राशि 10,247 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 9,964 मिलियन रुपए) बनती है, जिसे ऋण के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। इसमें विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के संबंध में 757 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 757 मिलियन रुपए) अतिरिक्त गारंटी फीस के शामिल हैं जिसे समाप्त करने के लिए किया गया आवेदन अभी भी भारत सरकार के पास लम्बित है।

ख) निगम द्वारा कस्टम प्राधिकारियों को 174 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 174 मिलियन रुपए) की कीमत कर्मचारी कस्टम बॉण्ड निष्पादित किए गए।

ग) निगम की एक सहायक कंपनी, नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. की ओर से बैंक को 3000 मिलियन रुपए (पूर्व वर्ष–शून्य) के लिए दी गई निगम गारंटी।

2. पूंजी लेखों पर निष्पादित होने वाले ठेके संबंधी शेष खर्चों की अनुमानित राशि की व्यवस्था नहीं की गई है, जो 31,289 मिलियन रुपए बनती है (पिछले वर्ष 22,154 मिलियन रुपए)

3. क) विद्युत मंत्रालय तथा एनसीईएस के दिनांक 9.2.89 तथा 12.7.91 के पत्र संख्या 4/1/78–डीओ (एन.एच.पी.सी.) के अनुसार सलाल पावर स्टेशन (चरण–I) नवम्बर, 1987 में निगम को हस्तांतरित की गई थी। हस्तांतरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने और कानूनी मत के आधार पर इस परियोजना की परिसम्पत्तियां व देयताएं निगम के लेखों में निगमित किए गए हैं। इसके लिए उन्हीं नियमों व शर्तों को ध्यान में रखा गया है, जिनका भारत सरकार द्वारा अन्य परियोजनाओं के संबंध में पालन किया गया था। तद्नुसार 3316 मिलियन रुपए (जिसमें 2976 मिलियन रुपए अनुमानित संशोधित लागत के प्रथम 50 प्रतिशत के तथा 340 मिलियन रुपए आईडीसी के 50 प्रतिशत के हैं) की राशि को सरकार द्वारा निवेश के तौर पर माना गया है और इसकी गणना इक्विटी में समंजन योग्य भारत सरकार की निधि के तौर पर की गई है।

ख) निर्माण के दौरान भारत सरकार से 942 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 942 मिलियन रुपए) की मंजूरी लंबित होने के कारण इस राशि के ब्याज के प्रथम 50 प्रतिशत हिस्से को चमेरा–I, टनकपुर, उड़ी तथा रंगित परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की निधि के तौर पर पूंजीकृत किया गया, जिसे भारत सरकार की इक्विटी के तौर पर समायोजित दर्शाया गया है।

4. क) कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि को उपलब्ध प्रलेखन के आधार पर यथासंभव फ्रीहोल्ड तथा लीज़होल्ड के तौर पर वर्गीकृत किया गया है तथा शेष को अवर्गीकृत दर्शाया गया है।

ख) 4,162 हेक्टेयर क्षेत्र में, 461 मिलियन रुपए वाली कुछ परियोजनाओं/यूनिटों के संदर्भ में टाइटल डीड/टाइटल को अभी निष्पादित/पास किया जाना है। उनके पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प डयूटी आदि पर जब व जैसे खर्च होगा, उसे लेखे में दर्ज किया जाएगा।

ग) जम्मू व कश्मीर की कुछ परियोजनाओं में लीज़ डीड का निष्पादन लम्बित होने के कारण लीज़ की अवधि 99 वर्ष रखी गई है। जम्मू की भूमि को छोड़कर, जहां यह 40 वर्ष रखी गई है और तदनुसार परिस्थापित की गई है।

5. क) 'राज्य विद्युत बोर्ड की देयराशि के परिशोधन संबंधी स्कीम' नामक भारत सरकार की स्कीम के अनुसरण में भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार 30 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार एन.एच.पी.सी. लिमिटेड

को देय बकाया राशि के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 8.5 प्रतिशत करमुक्त बाण्ड जारी किए जाने हैं। दिनांक 1.3.1998 के बाद राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा पूर्व में जारी बाण्ड भी दिनांक 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि की सीमा तक 8.5 प्रतिशत कर मुक्त बाण्डों में परिवर्तित किए जाने के पात्र हैं। 17,173 मिलियन रुपए के मौजूदा बाण्डों पर ब्याज आय वर्ष 2001–02 में कूपन दरों एवं 8.5 प्रतिशत की दर के विभेदक 281 मिलियन रुपए के समायोजन के बाद 1,181 मिलियन रुपए तक 8.5 प्रतिशत की दर से स्वीकृत किया गया है। बाण्डों पर ब्याज आय में 23 मिलियन रुपए के बाण्डों पर वास्तविक रूप से प्राप्त 2 मिलियन रुपए शामिल हैं जो निवेश के रूप में अभी प्राप्त एवं स्वीकृत किए जाने हैं।

ख) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में निगम के निवेश के लिए 500 मिलियन रुपए का बाण्ड सर्टीफिकेट अभी प्राप्त किया जाना है।

ग) उपर्युक्त नोट 5(क) में उल्लिखित त्रिपक्षीय समझोते के अनुसार, राज्य विद्युत बोर्ड कई छूटों के हकदार हैं। निगम ने इस हिसाब से 1,877 मिलियन रुपए की देयता का अनुमान किया है और 801 मिलियन रुपए प्रदान किए हैं जिससे 1076 मिलियन रुपए की ब्याज आय के बराबर का अंतर रह गया है जिसकी प्राप्ति नहीं होने के कारण इसे 8,453 मिलियन रुपए के बाण्ड के खाते में स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

घ) उपर्युक्त नोट 5(क) में उल्लिखित त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणामस्वरूप और निगम की लेखागत नीति संख्या 1.2 के अनुसार दिनांक 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार मौजूदा बाण्डों पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज के लिए 341 मिलियन रुपए तथा अधिशुल्क के प्रत्यावर्तन के लिए 103 मिलियन रुपए के समायोजन के बाद 1,221 मिलियन रुपए की अधिशुल्क आय स्वीकृत की गई है।

6. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के आदेशानुसार, उत्पादक कंपनी होने के नाते एन.एच.पी.सी. क्षमता वृद्धि एवं परियोजना विकास संबंधी कार्यों के प्रयोजनार्थ क्षमता एवं प्राथमिक ऊर्जा दोनो पर 5 प्रतिशत विकास अधिशुल्क लेने की हकदार है। उत्पादक कंपनी अपनी बही में पृथक लेखा रखती है और विकासगत अधिशुल्क संचित निधि लेखा तथा उनके सामने दर्शाए गए निवेश के शेष को तुलन पत्र में दर्शाती है। इस वर्ष के दौरान उक्त संचित निधि में से कुछ भी राशि का उपयोग नहीं किया गया है। तदनुसार विकासगत अधिशुल्क संचित निधि लेखा और उसके सामने दर्शाए गए निवेश को चालू देयता राशि के अंतर्गत रखा गया है।

7. बिक्री में 421 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 395 मिलियन रुपए) का ऐसा प्रभार शामिल है जिसको चालू वर्ष में आयकर हेतु लाभार्थियों के बिल में डाला जाना है।

8. क) संविदाकर्ताओं को जारी धनराशि के अंतर्गत दर्शायी गई शेष राशि, वसूली योग्य दावे (पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड एवं बीमा कंपनी सहित), पूंजीगत व्यय, फुटकर श्रेणियों के लिए अग्रिम, संविदाकर्त्ताओं, फुटकर ऋणदाताओं को अग्रिम और संविदाकत्ताओं की जमा/पेशगी राशि समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन हैं।

ख) संविदाकर्ताओं को जारी धनराशि में शामिल 28 मिलियन रुपए, 27 मिलियन रुपए, 10 मिलियन रुपए, 4 मिलियन रुपए और 21 मिलियन रुपए की राशि, संविदाकर्ताओं को अग्रिम, वसूली योग्य दावे, क्रमशः चमेरा–I एवं सलाल पावर स्टेशन से संबंधित, दावों के परिशोधन के बाद समायोजन के अधीन हैं। प्रबंधन की राय में इस समय उपर्युक्त के लिए किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ग) प्रबंधन की राय में व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली के बाद चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य तुलनपत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होगा।

घ) वसूली योग्य दावों में भारत सरकार के आदेशानुसार उनको सौंपी गई बगलिहार परियोजना के लिए जे. एण्ड के. पी.डी.सी. से देय 167 मिलियन रुपए शामिल हैं। सावलकोट परियोजना के संबंध में परियोजना को अंतिम रूप से सौंपे जाने का काम लंबित रहने के कारण कुल 48 मिलियन रुपए का पूंजीगत व्यय निगम की परिसम्पत्तियों के भाग के रूप में बना हुआ हैं। जबकि इस परियोजना के लिए जे. एण्ड के. पी.डी.सी. से प्राप्त 54 मिलियन रुपए की तदर्थ अग्रिम 'वर्तमान देयता राशि' के अंतर्गत दिखाई गई है और लेखा के अंतिम परिशोधन के उपरांत इसको समायोजित किया जाएगा।

9. क) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सियांग (13400 मेगवाट) और सुबांसिरी (7500 मेगावाट) परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र बोर्ड से निगम को हस्तांतरित कर दी गई है। हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखे का परिशोधन का कार्य लंबित होने के कारण इन परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों और देयता राशि को निगम द्वारा प्रोद्भूत राशि के बराबर दर्ज की गई है।

ख) भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में निगम में जे.के.पी.डी.सी. से उड़ी–II, किशनगंगा, पक्लदुल, सेवा–II बरसर, निम्मो–बाजगो, चुटक परियोजनाएं अपने जिम्मे ले ली हैं। जिनके लिए जे.एण्ड के. पी.डी.सी. ने 849 मिलियन रुपए की मांग रखी है। परियोजनाओं को लेने के बाद हुए व्यय अतिरिक्त निगम ने सेवा–III परियोजना के लिए 333 मिलियन रुपए का कुल व्यय दर्ज किया है जबकि हस्तांतरित की गई परिसम्पत्तियों की जांच और जे. एण्ड के. पी.डी.सी. लेखा के समाधान के आधार पर उक्त परियोजना के लिए 415 मिलियन रुपए का दावा किया गया था। जे. एण्ड के. पी.डी.सी. द्वारा मांगे गए शेष व्यय को उनके द्वारा प्रस्तुत मदों और लेखा के अंतिम समाधान के उपरांत दर्ज किया जाएगा।

ग) सेवा–II परियोजना में जे. एण्ड के. पी.डी.सी. द्वारा हस्तान्तरित स्थिर परिसम्पत्तियों से जे. एण्ड के. पी.डी.सी. द्वारा अधिग्रहण/निर्माण की कीमत पर पूंजी सृजित की गई है तथा उस पर 31 मार्च, 2003 तक संचित मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है।

10. चालू पूंजीगत कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं:–

क) कोयलकारो परियोजना पर वर्ष 1980 से प्रोद्भूत 686 मिलियन रुपए। इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी लंबित है।

ख) पार्बती (चरण–I) परियोजना पर 16 मिलियन रुपए और फरक्का परियोजना पर 22 मिलियन रुपए। इन परियोजनाओं को छोड़ दिया गया है क्योंकि इन्हें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है। भारत सरकार से अनुदेश प्राप्त होने के बाद ही आगे का समायोजन, यदि कोई हो, किया जाएगा।

11. माननीय जम्मू उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को संबद्ध कर्मचारियों पर लागू किया गया है और इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लंबित है। अधिकतर कर्मचारियों के अंशदान की बकाया राशि वसूल कर ली गई है और आर.पी.एफ.सी. में जमा कर दी गई है। शेष कर्मचारियों के संबंध में बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसी परियोजना/यूनिटों से कर्मचारियों के पिछले पारिश्रमिक एवं अन्य ब्यौरे प्राप्त किए जा रहे हैं जहां ये कर्मचारी इसके पहले समय–समय पर तैनात किए गए थे। अतिरिक्त देयता, यदि कोई हो, का परिशोधन होते ही हिसाब लगा लिया जाएगा।

12. भारत सरकार का अनुमोदन नहीं मिल पाने के कारण कार्यपालक अधिकारियों के लिए आई.डी.ए. पैटर्न पर संशोधित वेतन ढांचा हेतु कोई प्रावधान लेखाबही में नहीं किया गया है।

13. (क) इस वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय में हुए उतार–चढ़ाव का प्रभाव इस प्रकार है :–

(रुपए मिलियन में)

		2002-03	2001-02
(i)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित राशि	(3)	11
(ii)	निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय पर प्रभारित राशि	323	–
(iii)	चल रहे पूंजीगत कार्य पर प्रभारित राशि	1,492	250
(iv)	स्थिर परिसम्पत्तियों की वहन राशि में बढ़ोतरी करके समायोजित की गई राशि	307	429
(v)	आर्थिक परिसम्पत्तियों में बढ़ोतरी करके समायोजित की गई राशि	5	–

(ख) इस वर्ष के दौरान निर्माण के समय आकस्मिक व्यय में हस्तांतरित की गई ऋण लागत की राशि 3,217 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 1,745 मिलियन रुपए) है।

14. संबंधित प्राधिकारियों से कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाण पत्र और मांग नोटिस प्राप्त नहीं होने के कारण फरीदाबाद कार्यालय परिसर के लिए संपत्तिकर हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। इसी प्रकार मांग की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण मुम्बई में निगम के पांच फ्लैटों के लिए भूमि की प्रीमियम हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

15. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा कार्य, ब्याज, आय एवं परामर्शी सेवाएं इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया द्वारा जारी सिगमेंट रिपोर्टिंग संबंधी लेखागत मानक–17 के अनुसार रिपोर्टेबल सिगमेंट के तहत नहीं आते हैं।

(ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं और इसलिए भौगोलिक विभाजन लागू नहीं होते हैं।

(ग) निगम द्वारा अर्जित ब्याज आय निगम को आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए उनके ऋणों के परिसमापन में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा निगम को जारी किए गए बांड/वचनपत्र है और यह उत्पादन संबंधी कार्यकलाप के लिए है।

16. (क) इस वर्ष के दौरान निगम के "सामानों के मूल्यांकन" संबंधी लेखामानक–2 (संशोधित) और "स्थिर परिसंपत्तियों का लेखा" संबंधी लेखामानक–10 के अनुरूप 1.4.2002 से मशीनरी कलपुर्जों से 243 मिलियन रुपए की पूंजी सृजित की है जो पूर्व के वर्षों में सामान माने जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसम्पत्तियों में वृद्धि और उस सीमा तक चालू परिसम्पत्तियों में कमी हुई है। ऐसे कलपुर्जों पर प्रभारित मूल्यह्रास, जोकि 22 मिलियन रुपए का है, 66 मिलियन रुपए के राजस्व पर प्रभावित कलपुर्जों के प्रतिलेखन, 11 मिलियन रुपए के प्रावधान के प्रतिलेखन के कारण और साथ ही अधिशेष निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी के कल पुर्जों का वसूली योग शुद्ध मूल्य निर्धारित करने से, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कलपुर्जों के मूल्य में 65 मिलियन रुपए की कमी आई, इस वर्ष का लाभ 10 मिलियन रुपए से कम हो गया है।

(ख) मूल्यांकन में जटिलताओं के कारण निर्माणाधीन दुलहस्ती परियोजना में पड़े 115 मिलियन रुपए की बुक वैल्यू वाले आयातित कलपुर्जों/सामग्री का वसूली योग्य शुद्ध मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका। इसका लाभ एवं हानि लेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

17. निगम ने वर्ष 2001–02 से मूल्यह्रास के प्रभार से संबंधित लेखागत नीति संख्या 5 को इस वर्ष के दौरान संशोधित किया है। निगम अब तक महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुसूचित दरों के अनुसार और आगामी वर्ष से मूल्य ह्रास का प्रभार लेता था। अब मूल्य ह्रास का प्रभार सी.ई.आर.सी. के विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों पर और उस वर्ष में अनुपातिक आधार पर लिया जाना है जिस वर्ष में परिसम्पत्ति उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। नीति में संशोधन के कारण निम्नलिखित बातें हुई हैं:–

(क) इस वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार (शुद्ध) लाभ एवं हानि लेखा के मामले में 941 मिलियन रुपए, निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय के मामले में 64 मिलियन रुपए और संविदा एवं परामर्शी व्यय के मामले में एक मिलियन रुपए कम हो गया है। तथापि वर्ष 2001–02 और वर्ष 2001–03 में प्रभाव क्रमशः 495 मिलियन रुपए और 511 मिलियन रुपए रहा।

(ख) आनुपातिक आधार के कारण मूल्यह्रास प्रभार पर प्रभाव वर्ष 2001–02 और 2002–03 में क्रमशः 43 मिलियन रुपए, 39 मिलियन रुपए रहा।

18. 'स्व बीमा संचित निधि' जो अब तक संचित निधि एवं अधिशेष के भाग के रूप में प्रकट की जा रही थी, अब निधियों के स्रोतों के अंतर्गत आकस्मिक व्यय हेतु स्व–बीमा नामक एक पृथक शीर्षक के रूप में प्रकट की गई है। तथापि, लाभ एवं हानि लेखा में कार्यवाही लगभग स्थिर ही रही।

19. चूंकि भारत सरकार ने अवधि और उस प्रयोज्य दर, जिस पर कंपनी अधिनियम की धारा 441ए के अंतर्गत बिक्री पर उपकर देय है, को निर्दिष्ट करते हुए समुचित अधिसूचना जारी नहीं की है इसलिए निगम ने इसके लिए प्रावधान नहीं किया है।

20. क) इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकांउटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी आय पर कर का हिसाब लगाने संबंधी लेखा मानक 22 के अनुपालन में 1606 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2198 मिलियन रुपए) की आस्थगित कर देयता का प्रावधान चालू वर्ष के दौरान किया गया है। संचयी आस्थगित कर देयता का मदवार ब्यौरा इस प्रकार है :–

(रुपए मिलियन में)

		31.03.2003	31.03.2002
आस्थगित कर देयता			
i)	मूल्यह्रास	17,864	16,965
घटाएं : आस्थागित कर परिसंपत्तियां			
ii)	संचित अनावशोषित मूल्सह्रास	1,784	2,929
iii)	कर की गणना में आय समझे जाने वाले मूल्यह्रास के लिए अग्रिम	1,419	1,419
iv)	संदिग्ध ऋणों, बीमा, आकस्मिक खर्च और प्रोत्साहन (बांड) हेतु प्रावधान	1,397	1,043
v)	कर्मचारी लाभ योजना हेतु प्रावधान	329	245
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)		**12,935**	**11,329**

ख) निगम के पास कोई कर योग्य सम्पत्ति नहीं है इसलिए सम्पत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

21. इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इण्डिया द्वारा जारी "प्रति शेयर आय" संबंधी लेखा मानक–20 के अनुपालन में प्रति शेयर आय (मूल एवं परिवर्तित) की गणना हेतु निम्नलिखित तत्वों पर विचार किया गया है :

	31.03.2003	31.03.2002
कर के बाद लाभ (रुपए मिलियन में)	5,105	4,709
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	6,24,89,876	5,17,16,576
प्रति शेयर आय (मूल) (रुपए में)	81.69	91.05
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपए में)	1,000	1,000

22. इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक–18 के अनुपालन में निम्नलिखित सूचना अपेक्षित है :–

क) पूर्णकालिक निदेशक :

श्री योगेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर. नटराजन	निदेशक (वित्त) (6.5.03 तक)
श्री एस.के. गर्ग	निदेशक (वित्त) (1.7.03 से)
श्री बिनय कुमार	निदेशक (कार्मिक) (7.7.03 से 'अनिवार्य प्रतीक्षा' के अधीन)
श्री ए.के. गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री आर. के. शर्मा	निदेशक (तकनीकी)

ख) संबंध

संयुक्त उद्यम कंपनियां शून्य

ग) व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित पार्टियों के साथ किए गए कारोबार का ब्यौरा

(i) उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित पार्टियों से संबंधित ब्यौरे शून्य

(ii) उपर्युक्त मद (ख) में उल्लिखित पार्टियों से संबंधित ब्यौरे लागू नहीं

23. क) निदेशकों को भुगतान किए गए/देय पारिश्रमिक

(रुपए मिलियन में)

	2002-03	2001-02
(i) वेतन एवं भत्ते	2.6	2.4
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	0.3	0.3
(iii) आवास के लिए किराया	1.1	0.7
(iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.1	0.1
(v) सिटिंग शुल्क	-	-

ख) पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यालय संबंधी यात्रा के लिए और 1000 किमी तक निजी यात्रा के लिए कंपनी के कार का उपयोग करने की अनुमति भी थी जिसका भुगतान का ब्यौरा इस प्रकार है :

	बिना वातानुकूलित कार	वातानुकूलित कार
16 एचपी तक	325 रुपए प्रति महीना	520 रुपए प्रति महीना
16 एचपी से अधिक	490 रुपए प्रति महीना	780 रुपए प्रति महीना

24. सांविधिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक

(रुपए मिलियन में)

	2002-03	2001-02
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.89	0.65
कर का लेखा परीक्षा शुल्क	0.22	0.18
लेखा परीक्षा व्यय	1.00	0.47
अन्य मदें	0.09	0.45

25. उत्पादन की गई और बेची गई ऊर्जा से संबंधित परिमाणात्मक ब्यौरे :

	2002-03	2001-02
(i) लाइसेंस प्राप्त क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2,149.20	2,149.20
(iii) वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिटों में)	9,862.74	8,912.29
(iv) वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिटों में)	8,598.24	7,754.45

26. (रुपए मिलियन में)

	2002-03	2001-02
क) सी आई एफ आधार पर आयातित संयंत्र, मशीनरी और कल–पुर्जों का मूल्य	1,098	1,268
ख) विदेशी मुद्रा में व्यय		
i) सूचना	26	14
ii) ब्याज	1,162	1,110
iii) अन्य विविध मदें	2,220	322
ग) प्रचालन यूनिटों में उपयोग में आए कल–पुर्जों एवं घटकों का मूल्य		
i) आयातित	-	19 (28%)
ii) स्वदेशी	27(100%)	50 (72%)
घ) विदेशी मुद्रा में आय		
i) ब्याज	-	-
ii) अन्य	-	-

27. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित/ संशोधित किया गया।

विजय गुप्ता	एस.के. गर्ग	योगेन्द्र प्रसाद
सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 जुलाई, 2003

तुलनपत्र सार एवं कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

I पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या	राज्य कोड	तुलन पत्र दिनांक		
32564	05	31	03	2003

II वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (मिलियन रुपए)

सार्वजनिक निर्गम: शून्य

राईट निर्गम: शून्य

बांड निर्गम: शून्य

निजी नियोजन *: 8949

* भारत सरकार से प्राप्त अंशपूंजी जमाराशि

III निधियों के संग्रहण तथा नियोजन की स्थिति (मिलियन रुपए)

कुल देयताएं: 194134

कुल परिसम्पतियां: 194134

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी #: 72406

आरक्षित एवं अधिशेष $: 38666

आरक्षित ऋण: 46771

अनारक्षित श्रृण: 28307

\# इसमें 1214 मिलियन रुपए की अंशपूंजी जमाराशि तथा इक्विटी में समायोजनीय भारत सरकार की निधि के 4258 मिलियन रुपए शामिल हैं।

$ इसमें मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के लिए प्राप्त 8010 मिलियन रुपए की अग्रिम आय और स्व–बीमा के लिए 2132 मिलियन रुपए की आकस्मिक देयताएं शामिल हैं।

निधियों का प्रयोग

शुद्ध नियत परिसम्पत्तियां: 143084 @

निवेश: 25379

शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां: 17675

विविध व्यय: 12

संचित हानियां: शून्य

@ इसमें 70780 मिलियन रुपए के चालू पूंजीगत कार्य और 6217 मिलियन रुपए के निर्माण भण्डार व पेशगी के कार्य शामिल हैं।

IV कंपनी का कार्य निष्पादन (मिलियन रुपए)

कुल कारोबार: 12259 **

कुल व्यय: 9202

कर–पूर्व लाभ
5 5 5 0

कर के पश्चात् लाभ
5 1 0 5

प्रति शेयर मूल अर्जन रुपए में
8 1 . 6 9

लाभांश की राशि
7 5 0

** इसमें अन्य आय के 2493 मिलियन रुपए शामिल नहीं हैं।

V कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के जातिगत नाम

i) उत्पाद विवरण
वि द्यु त का उ त् पा द न

मद कोड संख्या
-

ii) उत्पाद विवरण
नि र्मा ण सं वि दा एं

मद कोड संख्या
-

iii) उत्पाद विवरण
प रा म र्शी से वा एं

मद कोड संख्या
-

विजय गुप्ता सचिव	एस.के. गर्ग निदेशक (वित्त)	योगेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र का अनुबंध

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो				
कर–पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें		5,550		5,131
जोड़ें :				
मूल्यह्रास	1,422		2,354	
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	(170)		49	
अदा किया गया ब्याज	3,779		4,388	
आकस्मिकताओं के लिए स्व–बीमा	349		385	
प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	801		-	
आस्थगित राजस्व परिशोधित खर्च	8		8	
सामान्य सूची के मूल्य में कमी	65		63	
बट्टे खाते डाले गए परियोजना खर्च	-		119	
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि	5		4	
विनिमय दर अंतर	(3)		11	
मूल्यह्रास के लिए पेशगी	1,526	7,782	1,286	8,667
घटाएं :				
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	17		17	
आस्थगित राजस्व खर्च	-		1	
ग्राहकों को दी गई छूट	267		234	
प्रदत्त विनिमय दर अंतर	(3)		11	
अति प्रावधानों व देनदारियों का पश्च लेखन	16		59	
लाभांश आय	1	298	-	322
कार्यकारी पूंजी समायोजनों से पूर्व संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो		13,034		13,476
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन				
मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	132		4	
चालू संविदा कार्यों में (वृद्धि)/कमी	(94)		7	
प्राप्ति योग्य में (वृद्धि)/कमी	(3,504)		(3,963)	
व्यापार व अन्य देय में (वृद्धि)/कमी	(745)	(4,211)	(1,186)	(5,138)
कर पूर्व संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो		8,823		8,338
घटाएं : कर		445		422
संचालित गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (क)		**8,378**		**7,916**
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो				
स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद और निर्माण परियोजना पर खर्च (निर्माण के दौरान आकस्मिक खर्च शामिल है)		(16,709)		(14,311)
स्थिर परिसंपत्तियों के निपटान से बिक्री प्राप्तियां		116		89
सहायक कंपनी व अन्यों के शेयरों में निवेश		(4,884)		(1,300)
प्राप्त लाभांश		1		-
निवेश गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ख)		**(21,476)**		**(15,522)**
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो				
हिस्सा पूंजी जारी करने से प्राप्ति		7,735		5,305
हिस्सा पूंजी जमा		1,214		6,268
लाभांश तथा कर प्रदत्त लाभांश		(1,000)		(331)
उधार (शुद्ध) से प्राप्ति		12,906		5,742
ब्याज व वित्तीय प्रभार		(7,151)		(6,167)
वित्त गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ग)		**13,704**		**10,817**
नकद/नकद के समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		**606**		**3,211**
वर्ष के आरंभ में नकद व नकद समतुल्य		5,417		2,206
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य		6,023		5,417

कैश फ्लो स्टेटमेंट की विवरणात्मक टिप्पणियां

1. नकद व नकद समतुल्य में शामिल है उपलब्ध चैक/ड्रफ्ट सहित नकद राशि एवं बैंक बैलेंस
2. कारपोरेशन को ऋण चुकाने के लिए प्रदत्त बांडों पर अर्जित ब्याज को कोर जनरेटिंग गतिविधि में संचालन संबंधी गतिविधियों से नकदी के तौर पर माना गया है।
3. उपरोक्त में वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा देयताओं के पुनः सारणीकृत (रि–स्टेटमेंट) विनिमय अंतर से हानि के 2114 मिलियन रुपए शामिल है।
4. ब्याज तथा पूंजीगत वित्तीय प्रभारों के 3223 मिलियन रुपए को स्थिर परिसंपत्तियों व निर्माण कार्य प्रगति पर निवेश में शामिल नहीं किया गया है।
5. पिछले वर्षों के आंकड़ों को, जहां आवश्यक है, पुनः–समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
संदीप मानकतला
भागीदार
सदस्यता सं. 91408

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

विजय गुप्ता
सचिव

एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.7.2003

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में सहायक कंपनी से संबंधित विवरण

1.	कंपनी का नाम एवं पता	नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड(एनएचडीसी), एनएचडीसी, ब्लॉक, 2–5वां तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स कालोनी, भोपाल (मध्य प्रदेश)
2.	सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष का समापन	31.03.2003
3.	नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और इसके नामितों के पास उपरोक्त तारीख को सहायक कंपनी का शेयर	
	(क) शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य	1000 रुपए प्रत्येक के 65,95,512 इक्विटी शेयर–पूर्ण रूप से भुगतान किया गया।
	(ख) धारण का विस्तार	जारी किए गए 1,07,70,612 शेयरों में से 65,95,512 शेयर नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पास हैं।
*4.	सहायक कंपनी की कुल शुद्ध लाभ/(हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड से हो और इसको नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के लेखे में नहीं दर्शाया गया हो।	
	(i) सहायक कंपनी के लिए मार्च, 2003 में समाप्त वित्तीय वर्ष	शून्य
	(ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए, जबसे यह सहायक कंपनी बनी है।	शून्य
*5.	सहायक कंपनी की कुल शुद्ध लाभ/(हानि) राशि जहां तक इसका संबंध नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों से हो और इसको नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के लेखे में दर्शाया गया हो।	
	(i) सहायक कंपनी के लिए मार्च, 2003 को समाप्त वित्तीय वर्ष में	शून्य
	(ii) सहायक कंपनी के लिए पिछले वित्तीय वर्षों में जबसे यह सहायक कंपनी बनी है।	शून्य

6.	सहायक कंपनी और नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच सहायक कंपनी में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के ब्याज में परिवर्तन	शून्य
7.	अपनी देयताओं को पूरा करने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए सहायक कंपनी की स्थिर परिसम्पत्तियों, निवेशों, ऋण देने और लेने के लिए सहायक कंपनी और नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच वास्तविक परिवर्तन।	शून्य

* चूंकि कंपनी ने वाणिज्यिक रूप से कार्य करना आरम्भ नहीं किया है इसलिए कोई लाभ एवं हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है। तुलन पत्र की तारीख तक हुए व्यय को अग्रनीत किया गया है और इसे चल रहे पूंजीगत कार्य तथा निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

विजय गुप्ता	एस.के.गर्ग	योगेन्द्र प्रसाद
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

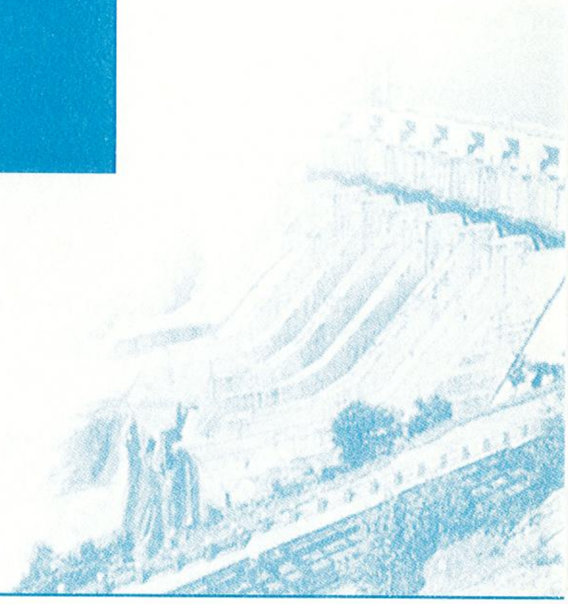

अनुबंध-V

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., फरीदाबाद के दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टिप्पणियां	प्रबंध वर्ग का उत्तर
क. तुलन पत्र	
1. निर्माण सामग्रियां व पेशगियां (अनुसूची – 7) पूंजीगत खर्च के लिए पेशगी आरक्षित (कंसीडर्ड गुड) – 2350 मिलियन रुपए	
उपरोक्त में 1641 मिलियन रुपए की अनारक्षित पेशगी एवं 36 मिलियन रुपए लागत के चालू पूंजीगत कार्य शामिल हैं, जिसे आरक्षित पेशगी में गलती से शामिल कर लिया गया है।	नोट कर लिया गया है।
2. चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची – 10) जमा राशि/अवधारण राशि : 648 मिलियन रुपए	
कंपनी ने धौलीगंगा परियोजना के लिए प्राप्त सामग्री के विषय में 28.76 मिलियन रुपए की शेष राशि (10 प्रतिशत) का हिसाब नहीं दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि उस राशि के कारण चालू देयताएं एवं चालू पूंजीगत कार्य विवरणाधीन हो गई हैं।	नोट कर लिया गया है।
ख. लाभ एवं हानि लेखा	
1. बिक्री : 11723 मिलियन रुपए	
लेखों हेतु टिप्पणियों के लिए टिप्पणी सं.7 को देखने का कष्ट करें। कंपनी केवल कोर गतिविधि से प्राप्त आय पर आयकर वसूल करने के लिए अधिकृत है। फिर भी, कंपनी ने लाभानुभोगियों से वसूल किए गए बॉण्ड्स एवं अधिभार पर लागू ब्याज से प्राप्त आय पर 31 मार्च, 2003 तक 493 मिलियन रुपए आयकर भी वसूल किया है, जो इनके कोर गतिविधि के भाग के रूप में कार्यरत नहीं है। परिणामस्वरूप, लाभ (पिछले वर्षों को शामिल करते हुए) एवं विभिन्न देनदारों को 493 मिलियन रुपए तक बढ़ा–चढ़ा कर आंके गए हैं।	कंपनी द्वारा उठाए गए कदम सही हैं और लाभानुभोगी द्वारा सीईआरसी टैरिफ आदेशों/अधिसूचना के अनुसार आय कर अदा किया जा रहा है।
2. प्रावधान : 801 मिलियन रुपए	
लेखों हेतु टिप्पणियों के लिए टिप्पणी सं.5(ग) को देखने का कष्ट करें। कंपनी ने 8453.13 मिलियन रुपए कीमत के बॉण्ड, जो एक बार में निपटान योजना के तहत लाभानुभोगियों द्वारा जारी किया जाना शेष था, पर 1076 मिलियन रुपए के ब्याज आय को लेखा में शामिल करने के पश्चात् 801 मिलियन रुपए की राशि प्रोत्साहानों के भुगतान के लिए देयता का अनुमान किया है। ऐसा करके कंपनी ने वास्तव में आय के साथ–साथ बॉण्ड्स पर देयता, जिसे प्राप्त किया जाना शेष है, की पहचान की है जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष हेतु 538.64 मिलियन रुपए तक के लाभ का अधिविवरण हो गया है।	अनुसूची 21 की टिप्पणी सं. 5 में व्यक्त की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी द्वारा उठाए गए कदम सही हैं।

ग. सामान्य

1. वर्ष 2002–03 के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान पर विनिमय दर रूपानतंरण (ईआरवी) के कारण परियोजना लागत में बढ़ोत्तरी पर टैरिफ का समाधान कर लिया गया है जो ऐसे ईआरवी को इक्विटी में काल्पनिक तौर पर बाँट कर तथा सीईआरसी के मानदंडों के आधार पर 50:50 के अनुपात में ऋण द्वारा किया गया है। फिर भी, 513.85 मिलियन रुपए की टैरिफ, जो वर्ष 2001–02 के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान पर वास्तविक आधार पर बिल किया गया है, को उपरोक्त पद्धति के अनुसार समायोजित नहीं किया गया है।

कंपनी द्वारा सीईआरसी के साथ दायर किए गए समादेश–याचिका के निपटान पर समायोजन किया जाएगा। फिर भी, कंपनी को लाभ पर कोई नाकारात्मक प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

2. संविदाओं के लिए अनुमानित राशि, जिसे पूंजीगत लेखा में कार्यान्वित किया जाना है एवं उल्लिखित नहीं की गई है, को चालू संविदाओं के मामले में 1406 मिलियन रुपए (कुल) तक कम करके बताया गया।

नोट कर लिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

ह./–

(रेवती बेदी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा–परीक्षा एवं पदेन सदस्य,
लेखा बोर्ड–111, नई दिल्ली–110011

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.09.2003

ह./–

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 30.09.2003

अनुबंध-VI

31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. फरीदाबाद, के लेखों की भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा

नोट : लेखों की इस समीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दी गई अहर्यताओं और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत की गई टिप्पणीयों को ध्यान में रखे बिना तैयार किया गया है।

वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई तालिका में पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति का सार मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

(करोड़ रुपए में)

	2000 - 2001	2001 - 2002	2002 - 2003
1. देयताएं			
क) प्रदत्त पूंजी			
i) सरकारी (इक्विटी में समंजन योग्य सरकारी निधि सहित)	5188.20	6345.70	7240.60
ii) अन्य	-	-	-
ख) आरक्षित व अधिशेष			
i) स्वतंत्र आरक्षित व अधिशेष	2139.00	2598.40	2852.30
ii) शेयर प्रीमियम खाता	-	-	-
iii) आरक्षित पूंजी	0.10	0.10	0.10
iv) आकस्मिकताओं के लिए स्व बीमा	-	-	213.20
ग) उधार			
i) भारत सरकार से	439.70	28.70	-
ii) वित्तीय संस्थाओं से	2142.40	2849.30	3302.30
iii) विदेशी मुद्रा ऋण	1935.30	2113.60	2315.70
iv) नकद उधार/अल्प अवधि ऋण	518.60	656.30	705.34
v) अन्य	607.10	569.30	1184.30
vi) उपचित और देय ब्याज	-	-	0.20
घ) i) चालू देयताएं और प्रावधान	608.50	640.81	674.10
ii) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	60.10	91.59	124.30
च) आस्थगित कर देयताएं	-	1132.90	1293.50
छ) अग्रिम रूप में प्राप्त आय			
i) मूल्यह्रास के बदले पेशगी	519.90	648.40	801.00
कुल	**14158.90**	**17675.10**	**20706.90**
परिसंपत्तियां			
ज) सकल ब्लॉक	7892.70	8113.50	8280.90
झ) घटाएं : संचयी मूल्यह्रास	1280.10	1526.70	1672.20
ट) शुद्ध ब्लॉक	6612.60	6586.80	6608.70
ठ) निर्माण भंडार व पेशगियों सहित चालू पूंजीगत कार्य व पेशगियां	4323.80	5743.80	7699.70
ड) निवेश	679.90	1927.20	2537.90
ढ) चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	2332.80	2282.40	2565.90
त) आस्थगित कर परिसंपत्तियां/वसूली योग्य	-	1132.90	1293.50
थ) बट्टे खाते न डाला गया विविध खर्च	9.80	2.00	1.20
द) संचित हानि	-	-	-
कुल	**14158.90**	**17675.10**	**20706.90**
ध) कार्यकारी पूंजी {ट-घ(i)-ग(vi)}	1924.30	1641.59	1891.60
न) नियोजित पूंजी (ट+ध)	8536.90	8228.39	8500.30
प) नियत मूल्य {क+ख(i)+ख(ii)-थ-द}	7317.40	8942.10	9878.50
फ) प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपए शुद्ध मूल्य (रुपए में)	1.41	1.41	1.36

2. निधियों के स्रोत और उपयोग

वर्ष 2002–03 के दौरान 3062.21 करोड़ रुपए की निधियां आंतरिक और बाह्य स्रोतों से एकत्र की गई और उनका नीचे दिए अनुसार उपयोग किया गया :

(करोड़ रुपए में)

निधियों के स्रोत		
संचालन से प्राप्त निधियां		
क)	वर्ष के लिए लाभ	510.50
जोड़ें : वर्ष के दौरान मूल्यह्रास		145.50
जोड़ें : बट्टे खाते डाला गया विविध खर्च		0.80
जोड़ें : आकस्मिकताओं के लिए स्व बीमा में वृद्धि		34.80
कुल (क)		691.60
ख)	प्रदत्त पूंजी में वृद्धि	894.90
ग)	उधार ली गई निधि में वृद्धि	1290.40
घ)	ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान में वृद्धि	32.71
च)	मूल्यह्रास के बदले पेशगी में वृद्धि	152.60
कुल		**3062.21**

निधियों का उपयोग		
क)	स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि	167.40
ख)	कार्यकारी पूंजी में वृद्धि	250.01
ग)	निर्माण भंडार व पेशगियों सहित चालू पूंजीगत कार्य में वृद्धि	1955.90
घ)	प्रदत्त लाभांश	78.20
च)	बट्टे खाते डाला गया विविध खर्च	-
छ)	निवेश	610.70
कुल		**3062.21**

3. कार्यकारी परिणाम

31 मार्च, 2003 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के कंपनी के कार्यकारी परिणाम नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए में)

		2000-2001	2001-2002	2002-2003
i)	बिक्री	1142.80	1221.00	1172.30
ii)	घटाएं : उत्पाद शुल्क	-	-	-
iii)	शुद्ध बिक्री	1142.80	1221.00	1172.30
iv)	अन्य या विविध आय	788.10	334.40	302.90
v)	कर पूर्व लाभ व पूर्व अवधि समायोजन	455.50	519.60	561.30
vi)	पूर्व अवधि समायोजन	-8.40	-6.50	-6.30
vii)	कर पूर्व लाभ	447.10	513.10	555.00
viii)	कर के लिए प्रावधान	3.70	42.20	44.50
ix)	कर के बाद लाभ	443.40	470.90	510.50
x)	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	33.10	50.00	78.20

4. अनुपात विश्लेषण

31 मार्च, 2003 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर कंपनी की वित्तीय स्थिति और कार्य प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं :

(प्रतिशत में)

		2000-2001	2001-2002	2002-2003
लिक्विडिटी अनुपात				
क)	चालू अनुपात	4.16	3.56	3.81
	(चालू देयताओं व प्रावधान के लिए चालू परिसंपत्तियों और उपचित एवं देय ब्याज लेकिन ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान को छोड़कर) {ट/घ(i) + ग(vi)}			
ख)	ऋण इक्विटी अनुपात शुद्ध मूल्य के लिए दीर्घ अवधि ऋण {ग(i से v तक लेकिन अल्प अवधि ऋणों को छोड़कर)/प}	0.70	0.62	0.69
ग)	लाभ अनुपात			
	निम्न के लिए लाभ (कर पूर्व)			
	(i) नियोजित पूंजी	5.24	6.24	6.53
	(ii) शुद्ध मूल्य	6.11	5.74	5.62
	(iii) बिक्री	39.12	42.02	47.34
	(iv) इक्विटी	8.62	8.09	7.67
घ)	प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	86.18	80.86	76.65

5. वस्तुसूची स्तर

31 मार्च, 2003 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर वस्तुसूची स्तर नीचे दिए अनुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

	2000-2001	2001-2002	2002-2003
भंडार, पुर्जे एवं लूज टूल्स	90.4	83.7	64.1

6. विविध देनदार

31 मार्च, 2003 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के विविध देनदार और बिक्री संबंधी ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

विविध देनदार 31 मार्च को	कंसीडर्ड गुड	कंसीडर्ड संदेहजनक	कुल	बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	प्रतिशत में बिक्री के विविध देनदार
2001	1982.50	77.50	2060.00	1142.80	180.26
2002	1271.50	77.50	1349.00	1221.00	110.48
2003	1493.80	76.00	1569.80	1172.30	133.91

वर्ष 2002–2003 की समाप्ति पर विविध देनदारों का अवधि के अनुसार विवरण नीचे दिए अनुसार है :

	राशि (करोड़ रुपए में)
एक वर्ष से कम के लिए बकाया देनदार	523.00
1–2 वर्ष के लिए	147.44
2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए	513.49
3 वर्ष और उससे अधिक के लिए	385.87
कुल	**1569.80**

ह./–

(रेवती बेदी)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य,
लेखापरीक्षा बोर्ड–**III**, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : **29.9.2003**

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षकों की समेकित रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के 31 मार्च, 2003 के संलग्न समेकित तुलन पत्र व उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा तथा समेकित कैश फ्लो विवरण की लेखा परीक्षा कर ली गई है। इन समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।	
हम साधारणतः भारत में प्रचलित लेखा परीक्षा मानदंडों के अंतर्गत लेखापरीक्षा करते हैं, जिसकी आवश्यकतानुसार हम योजना बनाते हैं तथा वित्तीय विवरणों के दोषरहित विवरण सामग्री हेतु उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा पूर्ण करते हैं। लेखा परीक्षा में जांच आधारित परीक्षण राशि के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धातों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के साथ–साथ पूरे वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत हेतु एक उचित आधार प्रदत्त करता है।	
हमने सहायक कंपनी नर्मदा हाइड्रो विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिस की 31 मार्च, 2003 को कुल परिसंपत्ति (नेट) 17755 मिलियन रुपए दर्शाई गई है। इस सहायक कंपनी की परियोजनाओं के निर्माण चरण में रहने के कारण इसके लाभ व हानि के लेखे तैयार नहीं किए गए हैं। इस सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा जहां तक इस सहायक कंपनी में राशि को शामिल करने का संबंध है, हमारी राय में यह पूरी तरह लेखा परीक्षकों की रिपार्ट पर आधारित है।	
हम सूचित करते हैं कि कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरणों को भारत के आई.सी.ए. द्वारा जारी समेकित विवरणों के लेखा मानक(एएस)–21, जो कि नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा समेकित विवरण में शामिल इसकी उपरोक्त सहायक कंपनी, को जारी किए गए थे, के आधार पर ही तैयार किया है।	
के अधीनः	
I) *कोयलकारो परियोजना के संबंध में वर्ष 1980 से 686 मिलियन रुपए की पूंजी को न तो बट्टे खाते में डाला गया है और न ही लाभ राशि में जोड़ा गया है। परिणामस्वरुप लाभ का इस सीमा तक अतिकथन हुआ है।*	इस परियोजना के क्रियान्वयन पर किए गए खर्च को इस स्तर पर बट्टे खाते में नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।

II)	*चूंकि पार्बती–**I** परियोजना और फरक्का परियोजना के खर्च को छोड़ दिया गया है तथा इन परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य घोषित किया गया है। इन परियोजनाओं के चालू पूंजीगत कार्य पर क्रमशः 16 मिलियन रुपए और 22 मिलियन रुपए खर्च किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप बढ़ाकर लाभ का विवरण किया गया है।*	कारपोरेशन, भारत सरकार से परियोजना विशिष्ट इक्विटी प्राप्त कर रहा है। दोनों योजनाएं नियोजित योजनाएं थीं और इनको अन्वेषण संबंधी कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया था। भविष्य में कोई भी समायोजन, यदि कोई हो भारत सरकार से अनुदेश प्राप्त करने पर ही किए जाएंगे।
III)	*कारपोरेशन ने विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया है जबकि चालू वर्ष में उसी दर को सीईआरसी के विनियमनों द्वारा अधिसूचित दरों पर प्रभारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में कमी आई है और लाभ बढ़कर 941 मिलियन रुपए हो गया है।*	कारपोरेशन ने सीईआरसी द्वारा 26 मार्च, 2001 के अधिसूचना संख्या एल.7/25(1)2001–सीईआरसी में अधिसूचित दरों के अनुसार अपनी मूल्यह्रास नीति में संशोधन कर लिया है।

प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों संबंधी प्रत्येक लेखा परीक्षा पर विचार करने के पश्चात् हमारे विचार में समेकित वित्तीय विवरण भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखा सिद्धातों के अनुसार सत्य और उचित हैं।

i) नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों की समेकित कार्यों की 31 मार्च, 2003 को समेकित तुलन–पत्र के मामले में।

ii) नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों का उस समय समाप्त वर्ष के कार्यों के समेकित परिणाम के समेकित लाभ और हानि लेखा के मामले में

तथा

iii) नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के उस समय समाप्त वर्ष के समेकित कैश फ्लो के समेकित कैश–फ्लो विवरण के मामले में।

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

संदीप मानकतला
भागीदार
सदस्यता संख्या : 91408

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2003

31 मार्च, 2003 का समेकित तुलन पत्र

(मिलियन रुपए)

	अनुसूची		31 मार्च, 2003			31 मार्च, 2002	
निधियों के स्रोत							
क. हिस्सेदारों की निधियां							
i) हिस्सा पूंजी	1		66,934			52,931	
ii) हिस्सा पूंजी जमा			1,214			6,268	
iii) इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि			4,258			4,258	
iv) आरक्षित व अधिशेष	2		30,615	103,021		24,146	87,603
ख. ऋण निधियां							
i) आरक्षित ऋण	3		46,771			37,449	
ii) अनारक्षित ऋण	4		32,856	79,627		33,112	70,561
ग. मूल्यह्रास के बतौर पेशगी अग्रिम रूप से प्राप्त आय				8,010			6,484
घ. आकस्मिकताओं के लिए स्व–बीमा				2,132			1,784
ङ. आस्थगित कर							
शुद्ध आस्थगित कर देनदारियां			12,935			11,329	
घटाएं : आस्थगित कर वसूलने योग्य			12,935	-		11,329	-
च. अल्पांश ब्याज				8,690			-
कुल				**201,480**			**166,432**
निधियों का उपयोग							
क. स्थिर पूंजीगत खर्च							
i) स्थिर परिसंपत्तियां	5						
क) सकल ब्लॉक		83,056			81,178		
घटाएं : मूल्यह्रास		16,781			15,278		
ख) शुद्ध ब्लॉक			66,275			65,900	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		88,999			62,261	
iii) निर्माण भंडार व पेशगियां	7		8,526	163,800		6,466	134,627
ख. निवेश	8			18,479			17,555
ग. चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	9						
i) उपचित ब्याज लेकिन निवेश पर देय नहीं		-			825		
ii) माल सूचियां		641			837		
iii) निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके)		105			11		
iv) विविध देनदार		14,938			12,660		
v) नकद व बैंक शेष		8,046			5,491		
vi) अन्य चालू परिसंपत्तियां		833			570		
vii) ऋण व पेशगियां		3,195	27,758		2,129	22,523	
घटाएं : चालू देयताएं व व्यवस्थाएं	10						
i) देयताएं		4,289			5,138		
ii) व्यवस्थाएं		4,170			3,175		
iii) विकास प्रभार (ट्रस्ट में रखे हुए)		131	8,590		-	8,313	
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां				19,168			14,210
घ. विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजन न की गई की सीमा तक)	11			33			40
कुल				**201,480**			**166,432**
लेखों तथा प्रासंगिक देयताओं पर टिप्पणियां	20						

अनुसूची 1 से 21 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

संदीप मानकतला
भागीदार
सदस्यता सं. 91408

विजय गुप्ता
सचिव

एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2003

31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा

(मिलियन रुपए)

	अनुसूची			31 मार्च, 2003			31 मार्च, 2002
आय							
i) बिक्री			13,249			13,496	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए पेशगी			1,526	11,723		1,286	12,210
ii) ठेके व परामर्श	12			500			1,089
iii) अन्य आय	13			2,489			2,160
कुल आय				**14,712**			**15,459**
खर्च							
i) उत्पादन, प्रशासन व अन्य खर्चे	14			1,244			1,412
ii) कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ	15			1,601			1,492
iii) मूल्यह्रास				1,404			2,316
iv) ब्याज व वित्त प्रभारें	16			3,779			4,388
v) ठेका व परामर्श खर्चे	17			310			712
vi) प्रावधान	18			801			-
vii) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	19			63			63
कुल व्यय				**9,202**			**10,383**
कर से पूर्व लाभ				**5,510**			**5,076**
कर के लिए प्रावधान							
i) चालू कर			437			422	
ii) पूर्व वर्षो से सम्बद्ध समायोजन			8			-	
iii) आस्थगित कर		1,606			2,198		
घटाएं : आस्थगित कर वसूली योग्य समायोजन		1,606	-	445	2,198	-	422
कर के पश्चात् लाभ				**5,065**			**4,654**
पिछले वर्ष के लेखों से आगे लाया गया शेष				**8,291**			**4,137**
अप्रायोज्य लाभ				**13,356**			**8,791**
विनियोजन –							
i) अंतरिम लाभांश				500			-
ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश				250			500
iii) कारपोरेट लाभांश कर				32			-
तुलन पत्र से आगे ले जाया गया शेष				**12,574**			**8,291**
				13,356			**8,791**
प्रति शेयर अर्जन (मूल) (रुपए)				**81.05**			**89.99**
फेस वैल्यू (रुपए)				**1000 /-**			**1000 /-**
लेखों तथा प्रासंगिक देयताओं पर टिप्पणियां	20						

अनुसूची । से 21 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

संदीप मानकतला
भागीदार
सदस्यता सं. 91408

विजय गुप्ता
सचिव

एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2003

अनुसूची–1 शेयर पूंजी

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
क. प्राधिकृत		
100,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 70,000,000) 1000/– रुपए प्रति शेयर	**100,000**	**70,000**
ख. निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त		
1000/– रुपए प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त 66,933,897 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 52,930,547) (इनमें से 6,29,529 शेयर ठेकों के नकद परसूएन्ट के अतिरिक्त कंसीडरेशन के लिए आबंटित कर दिए गए हैं और एक शेयर का आबंटन नकदी के अलावा आंशिक कंसीडरेशन के लिए किया गया है)।	66,934	52,931
कुल	**66,934**	**52,931**

अनुसूची–2 आरक्षित व अधिशेष

(मिलियन रुपए)

	1 अप्रैल, 2002	बढ़ोत्तरी	कटौती	31 मार्च, 2003
क. पूंजी आरक्षित	1	2186	-	2,187
ख. बॉण्ड रिडेम्पशन रिजर्व	2,654	-	-	2,654
ग. सामान्य रिजर्व	13,200	-	-	13,200
	15,855			18,041
घ. लाभ व हानि लेखा के अनुसार अधिशेष	8,291	5,065	782	12,574
कुल	**24,146**	**7,251**	**782**	**30,615**

अनुसूची–3 ऋण निधियां – आरक्षित

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
दीर्घकालीन ऋण				
क. बॉण्ड (अपरिवर्तनीय, असंचयी)				
i) बॉण्ड – 'जे' सीरिज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट) 21 जुलाई, 2002 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/– रुपए प्रत्येक के 16.5% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स		-		250
ii) बॉण्ड – 'एल' सीरिज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट) 31.3.2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/– रुपए प्रत्येक के 16% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (एक वर्ष में 633 मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए)	633		633	
31 मार्च, 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/– रुपए प्रत्येक के 10.5% (करमुक्त) पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (एक वर्ष में 510 मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए)	510	1,143	510	1,143
iii) बॉण्ड – 'एम' सीरिज *5 (प्राइवेट प्लेसमेंट) 07.01.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1,00,000/– रुपए प्रत्येक के 9.55% पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स (एक वर्ष में शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए)		4,300		4,300
iv) बॉण्ड – 'एन' सीरिज *8 (नोट 1) 1,00,00,000/– रुपए प्रत्येक के 6.50%, 32 माह के बॉण्ड, जो 15.11.03 से 6 महीनों में 5 समान किस्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। (एक वर्ष में 140 मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए)		700		-
v) बॉण्ड – 'ओ' सीरिज *2 (नोट 1) 10 अलग–अलग हस्तांतरणीय प्रतिदेय 10,00,00,000/– रुपए प्रत्येक के 7.7% पर 15 वर्षीय बॉण्ड तथा प्रत्येक अलग–अलग हस्तांतरणीय प्रतिदेय मूल हिस्से में बाद के 1/10वें अंकित मूल्य शामिल हैं। पूर्व प्रतिदेय 31.3.2009 को (एक वर्ष में शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए)		5,700		-
vi) उपचित ब्याज एवं देय		1		-
ख. आवधिक ऋण				
i) बैंक ऑफ इंडिया *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (28.03.2007 से आगे 8 समान तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	500		500	
ii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (02.11.2007 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	500		500	
iii) केनरा इंडिया *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए 200 मिलियन रुपए) (27.03.2004 से आगे 5 समान वार्षिक क़िस्तों में प्रतिदेय)	1,000		1,000	
iv) केनरा बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (26.09.2006 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	1,000		1,000	
v) इंडियन ओवरसीज बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (06.12.2008 से आगे 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	500		500	
vi) इंडियन बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (19.12.2005 को प्रतिदेय)	1,000		1,000	

अनुसूची–3 ऋण निधियां – आरक्षित

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
vii) भारतीय जीवन बीमा निगम लि. *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (15.02.2005 को प्रतिदेय)	1,000	1,000
viii) भारतीय जीवन बीमा निगम लि. *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (15.03.2005 को प्रतिदेय)	1,500	1,500
ix) भारतीय जीवन बीमा निगम लि. *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (15.09.2005 को प्रतिदेय)	1,500	1,500
x) पंजाब नैशनल बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (01.10.2008 को प्रतिदेय)	500	500
xi) पंजाब नैशनल बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (31.12.2008 को प्रतिदेय)	500	500
xii) स्टैट बैंक ऑफ पटियाला *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (09.01.2007 को प्रतिदेय)	400	400
xiii) स्टैट बैंक ऑफ इंदौर *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी 133.33 मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (22.12.2003 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	400	400
xiv) स्टैट बैंक ऑफ सौराष्ट्र *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (11.09.2006 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	500	500
xv) स्टैट बैंक ऑफ हैदराबाद *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (20.07.2004 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	600	600
xvi) बैंक ऑफ महाराष्ट्र *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (02.02.2005 को प्रतिदेय)	1,000	1,000
xvii) कारपोरेशन बैंक *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 1,000 मिलियन रुपए)	1,000	1,000
xviii) केनरा बैंक *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 214.29 मिलियन रुपए) (26.03.2000 से आगे 7 समान किस्तों में अदायगी की जा रही है।)	643	857
xix) सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया *2 (एक वर्ष में 100 मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (30.07.2000 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है।)	200	300
xx) हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि. *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 17.18 मिलियन रुपए) (01/2004 को समाप्त 7 वर्षों से अधिक अवधि ईएमआई के रूप में अदायगी की जा रही है।)	17	36
xxi) आईसीआईसीआई बैंक लि. *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 1,000 मिलियन रुपए)	1,000	1,000
xxii) आईसीआईसीआई बैंक लि. *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए) (11.05.2002 से 3 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है।)	1,000	1,500
xxiii) आईसीआईसीआई बैंक लि. *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए) (28.07.2002 से 3 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है।)	1,000	1,500
xxiv) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 2,000 मिलियन रुपए)	2,000	3,000
xxv) इंडियन ओवरसीज बैंक *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए)	500	500
xxvi) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (27.09.2004 को प्रतिदेय)	1,000	1,000

अनुसूची–3 ऋण निधियां – आरक्षित

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
xxvii) स्टैट बैंक आफ इंडिया *आवधिक ऋण* *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (28.06.2009 को प्रतिदेय)	4,000		2,000	
xxviii) स्टैट बैंक ऑफ पटियाला *2 (एक वर्ष में 166.67 मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (03.02.2003 से 3 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही हैं।)	333		500	
xxix) बैंक ऑफ इंडिया *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (24.12.2006 से 10 वर्षों में 40 समान तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	810		410	
xxx) सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए 50 मिलियन रुपए) (जुलाई, 2003 संचालन तारीख की शर्त के अधीन) (20 अर्धवार्षिक किस्तों में पुनर्अदायगी 50 मिलियन रुपए)	810		310	
xxxi) हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि. *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (13.02.2009 से 14 समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	910		310	
xxxii) पंजाब एण्ड सिंध बैंक *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (24.10.2006 से 10 वर्षों में 40 तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	700		310	
xxxiii) पंजाब नैशनल बैंक *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (10 वर्षों में 20 अर्धवार्षिक किस्तों के रूप में पुनर्अदायगी के लिए संवितरण की पहली तारीख यानी 18.09.2001 से 5 वर्ष बाद या वाणिज्यिक संचालन की तारीख से एक वर्ष बाद, जो भी पहले हो।)	1,200		470	
xxxiv) स्टैट बैंक ऑफ पटियाला *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी शून्य मिलियन रुपए प्रतिदेय के लिए) (30.01.2007 से 14 अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	400		160	
xxxv) स्टैट बैंक ऑफ हैदराबाद *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (07.01.2007 से 7 वर्षों की 14 अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	400		160	
xxxvi) स्टैट बैंक ऑफ इंडिया *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (18.09.2006 से 14 अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	1,200		770	
xxxvii) केनरा बैंक *6 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (28.06.2009 से आगे 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	500		-	
xxxviii) भारतीय जीवन बीमा निगम लि. *7 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए) (15.04.2009 से 12 वर्षों में 24 अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	1,000		-	
xxxix) उपचित ब्याज और देय (सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया)	1	33,024	-	28,493

अनुसूची–3 ऋण निधियां – आरक्षित

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
xl) बैंकों से कार्यकारी पूंजी मांग ऋण (अल्प अवधि) *3	712	2,090
xli) बैंकों से नकद उधार (अल्प अवधि) *3	1,191	1,173
कुल आरक्षित ऋण	**46,771**	**37,449**

टिप्पणी **:-**

*1) कारपोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन के बुक डेब्ट्स और स्टोरों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मार्टगेज/बंधक रख कर समरुप प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*2) जम्मू व कश्मीर राज्य में अवस्थित उड़ी पावर स्टेशन के बुक डेब्ट्स और स्टोरों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मार्टगेज/बंधक रखकर समरुप के माध्यम से आरक्षित।

*3) देनदारों व ओ. एण्ड एम. सामग्रियों के बदले बंधक रखकर आरक्षित।

*4) निगम की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण–II का अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मार्टगेज/बंधक रखकर समरुप के माध्यम से आरक्षित।

*5) निगम की सिक्किम राज्य में अवस्थित रंगित पावर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले बैंकों की पूर्व शर्तों के अधीन परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मार्टगेज/बंधक रखकर प्रथम समरुप के माध्यम से आरक्षित।

*6) निगम की मणिपुर राज्य में अवस्थित लोकतक पावर स्टेशन के अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मार्टगेज/बंधक रखकर विशेष प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*7) निगम की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण–II की चल तथा अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मार्टगेज और बंधक रखकर प्रथम प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*8) निगम की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित बैरा स्यूल पावर स्टेशन की अचल और चल परिसंत्तियों के बदले मार्टगेज और प्रथम प्रभार समरुप के माध्यम से आरक्षित।

टिप्पणी–**1)**

'एन' और 'ओ' सीरिज बांड्स क्रमशः 15 मार्च, 2003 और 31 मार्च, 2003 को आबंटित किए गए थे। दोनों सीरिज बाण्ड प्रतिभूति के लिए न्यासी मैसर्स यू.टी.आई. बैंक लि. के साथ निष्पादित किए गए ट्रस्ट डीड/ट्रस्टी एग्रीमेंट का अनंतिम रूप से लंबित निपटान तुलन–पत्र की तारीख तक पूरा नहीं किया जा सका है। यद्यपि 'एन' और 'ओ' सीरिज बांडों के संबंध में प्रभार 06.06.2003 तक लिए गए हैं। 'एन' और 'ओ' सीरिज बांडों की मार्टगेज प्रक्रियाधीन है।

अनुसूची–4 ऋण निधियां – अनारक्षित

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
क. अल्पावधि ऋण				
i) बैंक आफ महाराष्ट्र (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए)	500		-	
ii) बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	-		500	
iii) कारपोरेशन बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	-		500	
iv) एचडीएफसी बैंक लि. (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 750 मिलियन रुपए)	750		-	
v) इंडियन बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए)	500		400	
vi) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए)	500		-	
vii) स्टैट बैंक ऑफ मैसूर (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	-		500	
viii) स्टैट बैंक ऑफ पटियाला (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 400 मिलियन रुपए)	400		400	
ix) स्टैट बैंक ऑफ इंदौर (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	-		500	
x) स्टैट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 500 मिलियन रुपए)	500		500	
xi) यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 1,000 मिलियन रुपए)	1,000		-	
xii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 1,000 मिलियन रुपए)	1,000		-	
xiii) स्टैट बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 3,000 मिलियन रुपए)	3,000	8,150	-	3,300
ख. भारत सरकार से ऋण (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)		-		287
ग. आवधिक ऋण				
अन्य से ऋण				
i) एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	-		843	
अन्य से ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीयुक्त)				
i) वैस्ट एलबी (पूर्व – वैस्ट मर्चेंट बैंक लि.) (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	-		1,015	
ii) स्केन्डिनाविस्का एनस्किलडा बैंकन एबी (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 1,088.96 मिलियन रुपए)	3,267		4,048	
iii) नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 240.21 मिलियन रुपए)	1,922		2,216	
iv) क्रेडिट कॉमर्शियल डी.ई. फ्रांस (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 872.52 मिलियन रुपए)	6,551		6,137	
v) एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 227.80 मिलियन रुपए)	3,808		2,156	
vi) जापान बैंक ऑफ इंटरनैशनल कोऑपरेशन – (पूर्व ओ.ई.सी.एफ.) ट्रेंच–I (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	1,984		1,787	
vii) जापान बैंक ऑफ इंटरनैशनल कोऑपरेशन – (पूर्व ओ.ई.सी.एफ.) ट्रेंच–II (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	4,999		2,934	
viii) डच बैंक तथा अन्य (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	626		-	
ix) मध्य प्रदेश सरकार (एनवीडीए) (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	1,549	24,706	8,389	29,525
कुल अनारक्षित ऋण		**32,856**		**33,112**

अनुसूची–5 स्थिर परिसंपत्तियां

(मिलियन रुपए)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.2002	बढ़ोत्तरियां/ समायोजन	कटौतियां/ समायोजन	31.3.2003	1.4.2002 तक	वर्ष के लिए*	समायो–जन**	31.3.2003 तक	31.3.2003	31.3.2002
i) फ्रीहोल्ड भूमि	1,533	127	1	1,659	-	-	-	-	1,659	1,533
ii) लीजहोल्ड भूमि	186	55	-	241	20	3	-	23	218	166
iii) अवर्गीकृत भूमि	223	115	-	338	-	-	-	-	338	223
iv) भवन	7,582	557	6	8,133	1,674	190	2	1,866	6,267	5,908
v) सड़कें व पुल	979	264	5	1,238	219	23	-	242	996	760
vi) निर्माण संयंत्र व मशीनरी	708	12	35	685	314	47	(33)	328	357	394
vii) उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	19,586	453	5	20,034	4,456	367	-	4,823	15,211	15,130
viii) सब–स्टेशन उपस्कर	495	3	-	498	133	(4)	-	129	369	362
ix) हाइड्रोलिक कार्य (बांध, टनल आदि)	47,902	220	6	48,116	7,466	866	4	8,336	39,780	40,436
x) वाहन	298	44	8	334	179	22	(5)	196	138	119
xi) फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर	527	139	9	657	168	97	(2)	263	394	359
xii) ट्रांसमिशन लाइनें	228	13	-	241	114	1	-	115	126	114
xiii) विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर	289	81	9	361	81	18	(3)	96	265	208
xiv) अतिरिक्त घोषित निर्माण संयंत्र व मशीनरी	551	27	170	408	363	5	(117)	251	157	188
xv) 5000/– रुपए तक की कम कीमत वाली स्थिर परिसंपत्तियां	91	22	-	113	91	22	-	113	-	-
कुल	81,178	2,132	254	83,056	15,278	1,657	(154)	16,781	66,275	65,900
पिछले वर्ष	*78,993*	*2,392*	*207*	*81,178*	*12,804*	*2,529*	*(55)*	*15,278*	*65,900*	-

* निम्नानुसार वर्ष के लिए मूल्यह्रास की व्यवस्था की गई है :–

क) लाभ व हानि लेखा	1404
ख) निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च	251
ग) कांट्रेक्ट एवं परामर्शी खर्च	2
	1657

** पूर्व अवधि समायोजन के 15 मिलियन रुपए शामिल हैं।

अनुसूची–6 चालू पूंजीगत कार्य

(मिलियन रुपए)

	1.4.2002	बढ़ोत्तरी	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2003
i) सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा अन्य खर्च	474	191	(18)	-	647
ii) भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार	4,309	1,313	(13)	480	5,129
iii) सड़कें और पुल	703	441	3	257	890
iv) हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, टनल व पावर चैनल	22,078	10,598	(38)	-	32,638
v) रेलवे साइडिंग	1	1	-	-	2
vi) पेनस्टॉक	204	-	-	-	204
vii) जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी	9,274	3,328	-	42	12,560
viii) विद्युत संस्थापनाएं व सब–स्टेशन उपस्कर	63	42	(1)	7	97
ix) विविध परिसंपत्तियां	9	5	-	6	8
x) ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें	139	32	-	13	158
xi) विनिमय दर अंतर	224	(27)	(197)	-	-
xii) पुनर्वास खर्चे	1,637	2,466	-	-	4,103
xiii) निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च (अनुसूची–6 का अनुबंध)	23,146	9,503	(86)	-	32,563
कुल	62,261	27,893	(350)	805	88,999
पिछले वर्ष	*37,931*	*28,776*	*(3,813)*	*633*	*62,261*

अनुसूची–6 का अनुबंध निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

(मिलियन रुपए)

		31 मार्च, 2003			31 मार्च, 2002	
क. कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ						
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ		1,972			1,659	
ii) ग्रेच्यूटी व भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)		392			394	
iii) स्टाफ कल्याण खर्च		251			171	
iv) छूट्टी वेतन और पेंशन अंशदान		16	2,631		16	2,240
ख. मरम्मत व रखरखाव						
i) भवन		39			28	
ii) मशीनरी व निर्माण उपस्कर		18			20	
iii) अन्य		111	168		81	129
ग. प्रशासन व अन्य खर्च						
i) किराया		104			81	
ii) दरें व कर		7			3	
iii) बिजली प्रभारें		87			50	
iv) बीमा		26			17	
v) यात्रा व वाहन		94			75	
vi) स्टाफ कारों व वाहन निरीक्षण पर खर्च		101			80	
vii) टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च		28			31	
viii) विज्ञापन व प्रचार		38			26	
ix) विदेशी परामर्श प्रभारें		6			7	
x) डिजाइन व परामर्श प्रभारें		49			101	
xi) क्षतिपूरक वनरोपण/जल ग्राह्य सुधार क्षेत्र पर किया गया खर्च		42			78	
xii) सत्कार		3			2	
xiii) छपाई व लेखन सामग्री		33			29	
xiv) भूमि, जो निगम की नहीं है, के लिए खर्च		119			240	
xv) भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास		7			12	
xvi) लेखापरीक्षकों को अदायगी		2			2	
xvii) सुरक्षा खर्च		129			93	
xviii) अन्य खर्च		109			81	
xix) सामग्रियों/परिसंपत्तियों पर हानि, जो बट्टे खाते डाली गई		11	995		2	1,010
घ. ब्याज व वित्त प्रभारें						
i) भारत सरकार के ऋण पर ब्याज		10			42	
ii) बॉण्ड्स पर ब्याज		109			130	
iii) विदेशी ऋण पर ब्याज		938			668	
iv) नकद उधार सुविधाओं/आवधिक ऋण पर ब्याज		1,208			745	
v) बॉण्ड जारी करने के लिए खर्च		18			-	
vi) कमिटमेंट फीस		24			48	
vii) विदेशी ऋण पर गारंटी फीस		156			112	
viii) अन्य वित्त प्रभारें		765	3,228		48	1,793
ड. विनिमय दर अंतर–शुद्ध (लाभ)			323			-
च. मूल्यह्रास			251			206
छ. एनवीडीए अवधि के दौरान खर्च			2,427			2,078
ज. पूर्व अवधि खर्च (शुद्ध)						
i) आय		-			1	
घटाएं :–						
ii) खर्च						
क) वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ		5			-	
ख) मरम्मत व रखरखाव		-			1	
ग) अन्य		(14)			83	
घ) मूल्यह्रास		(1)			4	
च) ब्याज		-	(10)		1	88
कुल खर्च			**10,013**			**7,544**
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां						
i) संयंत्र व मशीनों का किराया प्रभार/आउट टर्न		8			10	
ii) निम्न पर ब्याज						
क) आवधिक जमा व बचत खाता	20			-		
ख) ऋण व पेशगियां	237			164		
घटाएं : बैंक ब्याज पर आयकर	7	250		2	162	
iii) विविध प्राप्तियां व वसूलियां		84			184	
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		19			1	
v) बट्टे खाते न डाली गई प्रावधान/देयताएं		7			49	
कुल प्राप्तियां व वसूलियां			**368**			**406**
शुद्ध खर्च			**9,645**			**7,138**
घटाएं : परिचालन व अनुरक्षण वाली परियोजनाओं तथा डिपॉजिट/टर्न–की ठेकों को आबंटित निगम मुख्यालय का शेयर			**142**			**161**
चालू पूंजीगत कार्य को हस्तांतरित राशि			**9,503**			**6,977**

अनुसूची–7 निर्माण भंडार व पेशगियां

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
क. निर्माण भंडार				
(प्रबंधवर्ग द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर)				
i) ट्रांजिट में निर्माण सामग्री	203		7	
ii) भंडार	787	990	985	992
ख. पूंजी खर्च के लिए पेशगी				
i) आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	2,350		2,649	
ii) अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)	5,186	7,536	2,825	5,474
कुल		**8,526**		**6,466**

अनुसूची–8 निवेश

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
दीर्घकालीन		
निवेश (गैर–व्यापारिक)		
अनुद्धृत		
i) उत्तर प्रदेश सरकार – 11% रिडीमेबल बॉण्ड्स प्रामिजरी नोट के रूप में	3,000	3,000
ii) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. – 12% रिडीमेबल बॉण्ड्स/बाण्ड्स के बदले प्रामिजरी नोट	2,873	2,873
उपचित ब्याज और देय	539	172
iii) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. – 11.89% रिडीमेबल नॉन–कंवर्टीबल नॉन–क्यूमिलेटिव बाण्ड्स	3,000	3,000
उपचित ब्याज और देय	531	178
iv) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. – 11% रिडीमेबल नॉन–कंवर्टीबल नॉन–क्यूमिलेटिव बाण्ड्स	500	500
उपचित ब्याज और देय	82	28
v) जम्मू व कश्मीर सरकार – 12% रिडीमेबल नॉन–कंवर्टीबल बाण्ड्स	7,200	7,200
उपचित ब्याज और देय	54	-
vi) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड – 11.85% रिडीमेबल बांड्स	600	600
उपचित ब्याज और देय	16	-
vii) पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन लि. में 10/– रुपए प्रत्येक, के 80,00,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर को–प्रोमोटर के रूप में	80	-
उद्धृत		
इंडियन ओवरसीज बैंक में 10/– रुपए प्रत्येक, के 360800 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	4	4
कुल	**18,479**	**17,555**

टिप्पणी :

	31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
उद्धृत निवेश		
बुक वेल्यू	**4**	**4**
मार्किट वेल्यू	**6**	**3**

अनुसूची–9 चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां

(मिलियन रुपए)

			31 मार्च, 2003				31 मार्च, 2002	
चालू परिसंपत्तियां								
क. उपचित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं				-				825
ख. मालसूचियां								
(प्रबंधवर्ग द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर)								
i) सामग्री व पूर्जे			643				847	
ii) लूज टूल्स			1				2	
			644				849	
घटाएं : प्रावधान			3	641			12	837
ग. ठेका कार्य प्रगति पर (ठेके)				105				11
घ. विविध देनदार (अनारक्षित)								
i) छः मास से अधिक अवधि से बकाया ऋण			11,655				8,524	
ii) अन्य ऋण			4,043				4,911	
			15,698				13,435	
घटाएं : प्रावधान			760	14,938			775	12,660

विविध देनदारों (अनारक्षित) का विवरण

	2002-2003	2001-2002
i) कंसीडर्ड गुड	14,938	12,660
ii) कंसीडर्ड संदेहजनक व प्रदत्त	760	775

			31 मार्च, 2003				31 मार्च, 2002	
ड. नकद व बैंक शेष								
नकद, अग्रदाय, चैक व ड्राफ्ट			229				5,358	
i) अनुसूचित बैंकों में शेष								
क) चालू खाता			2,993				42	
ख) जमा खाता (अल्प अवधि) *			4,821				15	
ग) अन्य (पोस्ट ऑफिस)			-				50	
ii) गैर–अनुसूचित बैंकों में शेष (बैंक ऑफ भूटान में) चालू खाता			3	8,046			26	5,491
च. अन्य चालू परिसंपत्तियां								
i) जमा राशि पर उपचित ब्याज			3				-	
ii) अन्य			832				570	
घटाएं : प्रावधान			2	833			-	570
छ. ऋण व पेशगियां								
i) कर्मचारियों को ऋण (अनारक्षित कंसीडर्ड गुड)			743				548	
ii) नगद या माल या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य पेशगियां								
क) अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)	302				265			
ख) अनारक्षित (कंसीडर्ड संदेहजनक)	5	307			6	271		
घटाएं : संदेहजनक पेशगियों के लिए प्रावधान		5	302			6	265	
iii) इंटर कारपोरेट ऋण–अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)			1,000				-	
iv) अग्रिम कर जमा और स्रोत पर काटा गया कर			832				918	
v) अन्य वसूली योग्य पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. से देय			318	3,195			398	2,129
कुल				**27,758**				**22,523**

* जमा राशि (अल्प अवधि) में पीएनबी कैपिटल नामक ट्रस्टी के लेखा में 'सी' सीरीज बांड की दावा न की गई 21 मिलियन रुपए की राशि शामिल है।

क. वर्ष के दौरान गैर–अनुसूचित बैंकों में अधिकतम शेष का विवरण

	2002-2003	2001-2002
बैंक ऑफ भूटान		
i) चालू खाता	5	213
ii) आवधिक जमा	-	50

ख. निदेशकों से प्राप्य ऋण व पेशगियों का विवरण

	2002-2003	2001-2002
i) वर्ष के अंत में देय राशि	0.62	0.80
ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	0.83	1.00

कारपोरेशन का कोई निदेशक जिन कम्पनियों में निदेशक या सदस्य है, से कोई देय पेशगी राशि शून्य रुपए (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) है।

अनुसूची–10 चालू देयताएं व प्रावधान

(मिलियन रुपए)

		31 मार्च, 2003			31 मार्च, 2002	
क. देयताएं						
i) विविध लेनदार						
क) लघु औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) की कुल बकाया देय राशि (30 दिनों से अधिक देय शून्य)	-			1		
ख) अन्य	2,444	2,444		3,524	3,525	
ii) डिपॉजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि		16			13	
iii) डिपॉजिट/प्रतिधारण राशि		680			336	
iv) ऋणों पर उपचित ब्याज परंतु देय नहीं		387			803	
v) परियोजना लागत के नामे पेशगियां		54			54	
vi) ठेकेदारों से पेशगियां		101			33	
vii) अन्य देयताएं		607	4,289		374	5,138
ख. प्रावधान						
i) कराधान		876			835	
ii) प्रस्तावित लाभांश		250			500	
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर		32			-	
iv) प्रोत्साहन (बाण्ड्स) के लिए प्रावधान		801			-	
v) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान		-			8	
vi) एक्स–ग्रेशिया के लिए प्रावधान		68			68	
vii) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान		484			344	
viii) उपदान के लिए प्रावधान		1,243			916	
ix) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान		306			224	
x) आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान		110	4,170		280	3,175
ग. विकास अधिभार (ट्रस्ट के अधीन)						
विकास अधिभार – बिल		1,105			-	
घटाएं : वसूली योग्य		581			-	
घटाएं : कारपोरेट लिक्विडिटी आवधिक जमा लेखे में निवेश किया गया		393			-	
विकास अधिभार – निवेश योग्य			131			
कुल			**8,590**			**8,313**

अनुसूची–11 विविध खर्च

(बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
i) प्रारम्भिक खर्च		21		20
ii) आस्थगित राजस्व खर्च		12		20
iii) बट्टे खाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियां	46		37	
घटाएं : के लिए प्रावधान	46	-	37	-
कुल		**33**		**40**

अनुसूची–12 संविदा व परामर्श आय

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
i) संविदा आय	372		1,070	
जोड़ें : संविदा कार्य प्रगति पर – इतिशेष	105		11	
घटाएं : संविदा कार्य प्रगति पर – अतिशेष	11	466	18	1,063
ii) परमर्शी आय		34		26
कुल		**500**		**1,089**

अनुसूची–13 अन्य आय

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
i) अल्पकालीन जमा से आय	-	9
ii) बाण्डों पर ब्याज	1,181	1,988
iii) ऋणों व पेशगियों पर ब्याज	11	7
iv) लाभांश आय (सकल)	1	-
v) अधिभार	1,221	65
vi) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	17	17
vii) प्रावधान/देयता जिन्हें लेखों में लिया जाना अपेक्षित नहीं था	16	59
viii) बेकार माल से आय	1	4
ix) आवधिक ऋण और बचत बैंक पर ब्याज	1	-
x) अन्य विविध आय	40	11
कुल	**2,489**	**2,160**

अनुसूची–14 उत्पादन, प्रशासनिक व अन्य खर्च

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
i) सामग्री व पूर्जो की खपत		27		69
ii) मरम्मत व रख–रखाव				
क) भवन	39		36	
ख) मशीनें	157		160	
ग) अन्य	109	305	134	330
iii) विविध संचालनात्मक खर्च		31		19
iv) किराया		5		3
v) दरें व कर		3		1
vi) बीमा		3		5
vii) आकस्मिकताओं के लिए स्व–बीमा		387		386
viii) सुरक्षा खर्च		141		174
ix) बिजली प्रभारें		5		6
x) यात्रा व वाहन		26		21
xi) स्टाफ कार पर खर्च		20		21
xii) टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च		12		9
xiii) विज्ञापन व प्रचार		4		5
xiv) अनुदान (50,000/– रुपए)		-		-
xv) छपाई व लेखन सामग्री		6		4
xvi) निगम मुख्यालय प्रबंधन खर्च		128		131
xvii) भण्डार व अतिरिक्त पूर्जो के मूल्य का ह्रास		65		63
xviii) बट्टे खाते डाले गए परियोजना खर्च		-		119
xix) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		5		4
xx) आस्थगित राजस्व खर्च के लिए बट्टे खाते डाली गई रकम		8		8
xxi) अन्य सामान्य खर्चें		66		23
xxii) विनिमय दर अंतर		(3)		11
कुल		**1,244**		**1,412**

अनुसूची–15 कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
i) वेतन, मजदूरी व भत्ते	1,149	1,068
ii) ग्रेच्यूटी व भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	245	265
iii) स्टाफ कल्याण खर्च	207	159
कुल	**1,601**	**1,492**

अनुसूची–16 ब्याज व वित्त प्रभारें

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
i) ऋणों पर ब्याज				
क) भारत सरकार के ऋण	3		520	
ख) बॉण्ड	474		461	
ग) विदेशी ऋण	224		448	
घ) आवधिक ऋण	2,569	3,270	2,285	3,714
ii) नकद उधार सुविधाओं पर ब्याज		118		318
iii) बॉण्ड खर्चे		13		9
iv) ग्राहकों को छूट		267		234
v) विदेशी ऋणों पर गारंटी फीस		87		109
vi) अन्य वित्त प्रभारें		24		4
कुल		**3,779**		**4,388**

अनुसूची–17 संविदा और परामर्शी खर्चे

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
क. प्रत्यक्ष खर्चे (श्रम, सामग्री, परिसंपत्तियों और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान सहित)		198		520
ख. कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ				
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	37		87	
ii) ग्रेच्यूटी व भविष्य निधि में अंशदान	6		10	
iii) स्टाफ कल्याण खर्च	2	45	2	99
ग. मरम्मत व रखरखाव				
i) भवन	2		1	
ii) मशीनरी व निर्माण उपस्कर	-		10	
iii) अन्य	5	7	6	17
घ. प्रशासनिक व अन्य खर्चे				
i) किराया	1		3	
ii) यात्रा व वाहन	6		11	
iii) स्टाफ कारों तथा निरीक्षण वाहनों पर खर्च	4		6	
iv) बीमा	1		3	
v) टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	2		4	
vi) विज्ञापन व प्रचार	1		1	
vii) छपाई व लेखन सामग्री	1		1	
viii) निगम मुख्यालय प्रबंधन खर्च	14		30	
ix) आकस्मिकताएं	-		49	
x) अन्य खर्च	41	71	8	116
ङ. मूल्यह्रास		2		6
कुल खर्च		**323**		**758**
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां				
i) विविध	10		41	
ii) प्रावधान/देयता जिन्हें लेखों में लिया जाना अपेक्षित नहीं था	2	12	1	42
वर्ष के दौरान शुद्ध खर्च		**311**		**716**
च. पूर्व अवधि समायोजन		(1)		(4)
कुल		**310**		**712**

अनुसूची–18 प्रावधान

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003	31 मार्च, 2002
प्रोत्साहन के लिए प्रावधान – बाण्ड्स	801	-
कुल	**801**	**-**

अनुसूची–19 पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003		31 मार्च, 2002	
क. आय				
i) बिजली की बिक्री		(3)		5
ii) अन्य		3		12
		-		**17**
ख. खर्च				
i) अन्य	13		-	
ii) मरम्मत व रख–रखाव	2		1	
iii) ब्याज	-		1	
iv) अन्य	32		46	
v) मूल्यह्रास	16	63	32	80
कुल		**63**		**63**

अनुबंध – 20 समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. क) समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) तथा इसकी सहायक कंपनी नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी), जो एनएचपीसी एवं मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

   ख) इन्हें भारत के सनद लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखाकरण मानक–21 के अनुसार परिसंपत्तियां/देयता तथा आय/व्यय जैसी समान मदों को इकट्ठा जोड़कर रेखा–दर–रेखा आधार पर संयोजित करके तैयार किया गया है।

   ग) एनएचडीसी का लाभ एवं हानि लेखा तैयार नहीं हुआ है क्योंकि इसकी परियोजनाएं निर्माणावस्था में हैं, किन्तु 'निर्माण के दौरान अनुषंगी व्यय' लेखे, को 'चालू पूंजीगत कार्य' का भाग बनाते हुए तैयार किया गया है।

2. समेकित वित्तीय विवरण मूल्यह्रास को छोड़कर एकसमान लेखाकरण नीतियों का प्रयोग करके तैयार किए गए हैं :–

   - एनएचडीसी विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के अनुसार दी गई दरों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करता है, जबकि एनएचपीसी केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित दरो पर मूल्यह्रास का प्रावधान करता है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्ष के लिए लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तथा यह तथ्य की नियत परिसंपत्तियों को आवंटन हेतु "निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय" के अन्तर्गत एनएचडीसी द्वारा दी गई कुल मूल्यह्रास नीति को एनएचपीसी के समनुरूप बनाने के लिए एनएचडीसी के वित्तीय विवरण में कोई समायोजन नहीं किया गया है। एनएचपीसी की नियत परिसंपत्तियों का कुल भाग 82809 मिलियन रुपए (99.70 प्रतिशत) है तथा एनएचडीसी का हिस्सा 247 मिलियन रुपए (0.3 प्रतिशत) है।
   - भूमि से संबंधित मुआवजे और अन्य खर्चों के मामले में एनएचडीसी इस तरह के खर्चो को पूंजीगत चालू कार्य के हिस्से के रूप में दर्शा रही है, जबकि एनएचपीसी में इसे भूमि की लागत के तौर पर लिया गया है।

3. नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के गठन से पूर्व, मध्य प्रदेश सरकार (एनबीडीए) ने इंदिरा सागर तथा ओमकारेश्वर परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया था तथा इसने 31.03.2003 की स्थिति के अनुसार इन परियोजनाओं पर 12372 मिलियन रुपए का व्यय सूचित किया है। आवश्यक सत्यापन/मिलान के पश्चात् निगम ने 12025 मिलियन रुपए (गत वर्ष 8390 मिलियन रुपए) को लेखाकृत किया है। शेष राशि के लिए, सत्यापन तथा मिलान कार्य चल रहा है।

4. संबद्ध पार्टी प्रकटिकरण पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकीकरण 18 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार से है :–

   क) पूर्ण कालिक निदेशक :

श्री योगेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
श्री आर. नटराजन	निदेशक (वित्त) (06.05.2003 तक)
श्री एस.के. गर्ग	निदेशक (वित्त) (01.07.2003 से)
श्री बिनय कुमार	निदेशक (कार्मिक) (7.7.2003 से अनिवार्य प्रतीक्षाधीन)
श्री ए.के. गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री आर.के. शर्मा	निदेशक (तकनीकी)
श्री एस.सी. शर्मा	प्रबंध निदेशक (21.11.2002 तक) (एनएचडीसी)
श्री एस.के. डोडेजा	21.11.2002 से मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एनएचडीसी)

   ख) संबंधित पार्टी कारोबार : निदेशकगण को पारिश्रमिक संबंद्ध लेखों के अनुसार

5. आकस्मिक देयताएं :–

   क) 13074 मिलियन रुपए के दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (गत वर्ष 11291 मिलियन रुपए)।

   ख) सीमाशुल्क प्राधिकरणों के पक्ष में निष्पादित 174 मिलियन रुपए के बॉण्ड (गत वर्ष 174 मिलियन रुपए)।

ग) टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट के पक्ष में 339 मिलियन रुपए का खोला गया साख पत्र (पिछले वर्ष शून्य)

6. पूंजीगत खाते में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है 36750 मिलियन रुपए (गत वर्ष 24552 मिलियन रुपए)

7. समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक कम्पनी है :

सहायक कम्पनी का नाम	शामिल करने वाला देश	स्वामित्व रुचि का अंश
नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	51%

8. समूह की प्रमुख व्यवसाय गतिविधि बिजली उत्पादन है। भारत के सनद लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक 17 के अनुसार अन्य संचालन अर्थात् संविदा कार्य तथा परामर्शी सेवाएं सूचना देने योग्य खंड नहीं बनता।

9. 'प्रति शेयर अर्जन' पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकीकरण 20 की अनुपालना में प्रति शेयर अर्जन (मूल) की गणना के मूलाधार निम्नप्रकार से है:–

	31.03.2003	31.03.2002
कर के बाद लाभ (मिलियन रुपए)	5,065	4,654
इक्विटी शेयरों के मान्य औसत नम्बर	6,24,89,876	5,17,16,576
प्रति शेयर अर्जन (मूल) (रुपए)	81.05	89.99

10. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखाकरण" संबंधी लेखाकरण मानक 22 के अनुपालन में 1,606 मिलियन रुपए राशि के आस्थगित कर देयताओं का वर्तमान वर्ष में प्रावधान किया गया है। संचित आस्थगित कर देयताओं का मदवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

(मिलियन रुपए में)

	31.03.2003	31.03.2002
आस्थगित कर देयता		
i) मूल्यह्रास	17,864	16,965
घटाएं : आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
ii) संचित असमाहित मूल्यह्रास	1,784	2,929
iii) कर परिकलन में आय समझे जाने वाले मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	1,419	1,419
iv) संदिग्ध ऋणों, बीमा, आकस्मिकताएं व प्रोत्साहन (बॉण्ड्स)	1,397	1,043
v) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	329	245
आस्थगित कर देयता (कुल)	**12,935**	**11,329**

11. निगम तथा इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखा टिप्पणियां तथा लेखाकरण नीतियां उनके संबंधित वित्तीय विवरणों में दी गई हैं।

विजय गुप्ता सचिव	एस.के. गर्ग निदेशक (वित्त)	योगेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2003

समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलन पत्र का अनुलग्नक

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2003 समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2002 समाप्त वर्ष के लिए	
क. संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो				
कर–पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें		**5,510**		**5076**
जोड़ें :				
मूल्यह्रास	1,422		2354	
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	(170)		49	
अदा किया गया ब्याज	3,779		4388	
आकस्मिकताओं के लिए स्व बीमा	349		385	
प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	801			
राजस्व खर्च में आस्थगित राजस्व	8		8	
मालसूचियों के मूल्य में कमी	65		63	
बट्टे खाते डाले गए परियोजना खर्च	-		119	
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि	5		4	
विनिमय दर अंतर	(3)		11	
मूल्यह्रास के लिए पेशगी	1,526	7,782	1,286	8,667
घटाएं :				
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	17		17	
आस्थगित राजस्व खर्च	-		1	
ग्राहकों को दी गई छूट	267		234	
प्रदत्त विनिमय दर अंतर	(3)		11	
अति प्रावधानों व देनदारियों को वापस लिया जाना	16		59	
लाभांश आय	1	298	-	322
कार्यकारी पूंजी समायोजनों से पूर्व संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो		**12,994**		**13,421**
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन				
मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	132		4	
चालू कांट्रेक्ट कार्य में (वृद्धि)/कमी	(94)		7	
वसूली योग्य में (वृद्धि)/कमी	(3,504)		(3,903)	
व्यापार एवं अन्य भुगतानों में (वृद्धि)/कमी	(745)	(4,211)	(1,186)	(5,078)
कर पूर्व संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो		8,783		8,343
घटाएं : कर		445		422
संचालित गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (क)		**8,338**		**7,921**
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो				
स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद और निर्माण परियोजना पर खर्च (निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च शामिल है)		(26,559)		(24,100)
स्थिर परिसंपत्तियों के निपटान की बिक्री प्रक्रिया		116		89
सहायक कम्पनी एवं अन्य के शेयर में निवेश		(80)		-
प्राप्त लाभांश		1		-
निवेश गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ख)		**(26,522)**		**(24,011)**
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो				
हिस्सा पूंजी जारी करने से प्राप्ति		7,735		5305
हिस्सा पूंजी जमा		1,214		6268
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खर्चे के समायोजन से प्राप्त निधि		3,635		-331
लाभांश तथा कर प्रदत्त लाभांश		(1,000)		
उधार (शुद्ध) से प्राप्ति		16,306		14132
ब्याज व वित्तीय प्रभार		(7,151)		(6,167)
वित्त गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो(ग)		**20,739**		**19,207**
नकद/नकद के समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		**2,555**		**3,117**
वर्ष के आरंभ में नकद व नकद समतुल्य		5,491		2374
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य		8,046		5491

कैश फ्लोस्टेटमेंट की विवरणात्मक टिप्पणियां

1. नकद व नकद समतुल्य में शामिल चैक/ड्राफ्ट सहित नकद राशि एवं बैंक बैलेंस
2. कारपोरेशन को ऋण चुकाने के लिए प्रदत्त बांडों पर अर्जित को कोर जनरेटिंग गतिविधि में संचालन संबंधी गतिविधियों के हिस्से के तौर पर माना गया है।
3. उपरोक्त में वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा देयताओं के पुनः सारणीकृत (रि–स्टेटमेंट) विनिमय अंतर से हानि के 2114 मिलियन रुपए शामिल है।
4. ब्याज तथा पूंजीगत वित्तीय प्रभारों के 3228 मिलियन रुपए स्थिर परिसंपत्तियों व निर्माण कार्य प्रगति पर निवेश में शामिल नहीं किया गया है।
5. पिछले वर्षों के आंकड़ों को, जहां आवश्यक है, पुनः–समूहित/पुनः व्यवस्थित/पुनः सृजित किया गया हं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

संदीप मानकतला
भागीदार
सदस्यता सं. 91408

विजय गुप्ता
सचिव

एस. के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2003

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड निदेशकों की रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखे

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.

आपके निदेशकों को कंपनी की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट, जो कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित है, को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसके अतिरिक्त कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन एवं नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार की टिप्पणी भी संलग्न है।

कार्य–निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

एन.एच.पी.सी. और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में कंपनी का निगमन 1 अगस्त, 2000 को हुआ था। कंपनी 1000 मेगावाट की इंदिरा सागर परियोजना एवं 520 मेगावाट की ओमकारेश्वर परियोजना के कार्य का निष्पादन कर रही है। परियोजना के पूर्ण होने पर विद्युत उत्पादन के लाभ के अतिरिक्त यह उद्योगों, मतस्य पालन, पर्यटन, सिंचाई एवं स्थानीय निवासियों के सामाजिक उत्थान एवं उनके जीवन सुधार में भी सहायक होगी।

कार्यो की प्रगति

इंदिरा सागर परियोजना

बाँध

बाँध पर कंक्रीट की अनुमानित कुल मात्रा 14.00 लाख घनमीटर में से 12.65 लाख घनमीटर कंक्रीट डाली जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ब्लॉक नं. 4–15 को विभिन्न स्तरों में ईएल 225 से ईएल 238 मीटर ऊँचाई तक बढ़ाया गया है, जबकि बाँध का औसत स्तर ईएल 229.51 मीटर है। प्रथम चरण के एम्बेडमेंट कार्यो सहित पीयर सं. 16 से 24 को ईएल 265.5 मीटर तक ऊँचा उठा लिया गया है। इसके अतिरिक्त स्पिलवे डेक ब्रिज के दो भागों क्रमशः 24–23 तथा 23–22 का कार्य भी प्रगति पर है। बाँध में कंक्रीटिंग का कार्य मानसून के कारण रुका है।

1000 मेगावाट इंदिरा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश) – बांध स्थल

पावर हाउस

निर्धारित कार्यक्रमानुसार पावर हाउस में सिविल निर्माण कार्य एवं परिनिर्माण कार्य प्रगति पर है। अभी तक पावर हाउस में अनुमानित 3.55 लाख घनमीटर कंक्रीट में से 3.38 लाख घनमीटर कक्रीटिंग हो गई है, जबकि प्रथम 3 यूनिटों ने ईएल 201 मीटर तक के सर्विस बे के स्तर को प्राप्त कर लिया है एवं यूनिट 4 में ई. एण्ड एम. पुर्जों के निर्माण के अलावा ई. एल 191 मीटर से 193 मीटर तक की कंक्रीटिंग का कार्य भी प्रगति पर है। पावर हाउस में अन्य सभी संरचना का कार्य पूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त टेल रेस पूल/चैनल में सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा लगभग 82.6 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। 14.08.2003 को यूनिट 1 की मेकेनिकल स्पिनिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। यूनिट 2 में स्टेटर तथा रोटर को स्थापित कर दिया गया है तथा यूनिट 3 के स्टेटर फ्रेम तथा रोटर कोर फेब्रीकेशन का कार्य प्रगति पर है। यूनिट 5 का हाइड्रो परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। यूनिट 6 में स्पाइरल केसिंग व स्टेरिंग के वेल्डिंग का कार्य पूरा हो चुका है। यूनिट 7 की स्पाइरल केसिंग के सिलिंड्रिकल ज्वाइंट्स का कार्य पूरा हो गया है तथा यूनिट 8 को स्टेरिंग तक पूरा कर लिया गया है। यूनिट 2 की मेकेनिकल स्पिनिंग सितम्बर, 2003 के प्रथम सप्ताह तक होना निश्चित हुआ है। सभी प्रकार से यूनिट 3 तक पावर हाउस रूफ का कार्य पूर्ण हो चुका है।

स्वीचयार्ड नियंत्रक कक्ष का कार्य प्रगति पर है, जिसमें नियत समय तक अनुमानित 1730 घनमीटर कंक्रीट की मात्रा में से 1312 घनमीटर कंक्रीटिंग कर दी गई है तथा भू–तल के छत निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है और प्रथम तल के कालमों को लिंटल स्तर तक उठाया

जा चुका है। 400 के.वी. स्वीचयार्ड की आधारशिला रखने के लिए खुदाई और कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है। सभी ई एण्ड एम पैकेजों को एवार्ड कर दिया गया है, जिसमें आरेखन/वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों से अनुसरण किया जा रहा है।

हाइड्रो–मेकेनिकल कार्य

इंटेक गेट एवं पेनस्टॉक का कार्य पूर्ण हो गया है। सभी ड्राफ्ट ट्यूब गेटों को बना कर स्थापित किया जा चुका है। संकरी टनल एवं डाइवर्जन टनल के लिए आपातिक गेट के संयोजन एवं निर्माण का कार्य हो चुका है। स्पिलवे रेडियल गेट्स के डिजाइन एवं फेब्रीकेशन का कार्य प्रगति पर है। बाँध के रेडियल गेटों का सम्पूर्ण कार्य अक्टूबर, 2004 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

रेलवे लाइन का व्यपवर्तन

उत्तर – दक्षिण के मध्य की मुख्य रेलवे लाइन चेनेज का 583.864 कि.मी. से 635.150 कि.मी. तक का भाग, जो कि तलवड़िया और खिड़किया स्टेशन के बीच 27.11 कि. मी. तक है, विभिन्न स्थानों में इंदिरा सागर परियोजना के निर्माण से डूब क्षेत्र में आ रहा है। यह व्यपवर्तन 57 कि.मी. का है, जो कि मध्य रेलवे 342.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से डिपाजिट वर्क के आधार पर कर रहा है। मध्य रेलवे ने सम्पूर्ण कार्य को सितम्बर, 2003 के अंत तक पूरा करने की योजना बनाई है।

अगस्त, 2003 तक, एक तरफ ट्रेक की अप लाईन तथा 30 कि.मी. तक की डाउन लाइन का कार्य पूर्ण हो गया है। उसमें माल गाड़ी का ट्रायल रन भी हो चुका है। स्टेशनों पर 90 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। बिजली के खम्भों को लगाने एवं बिजली के तारों को खींचने का कार्य 60 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अब तक रेलवे को लगभग 277.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा एन.एच.डी.सी द्वारा क्रिटिकल मदों की पूर्ति तथा प्राप्ति हेतु लगभग 6.00 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

पुनर्वास व पुनर्स्थापना के कार्य

इंदिरा सागर परियोजना बनने के कारण 249 गाँव डूब प्रभावित क्षेत्र में आ रहे हैं, जिनमें से 38 गाँवों में केवल सरकारी भूमि ही डूब प्रभावित क्षेत्र में आ रही है। दिनांक 08.08.2003 तक परियोजना से प्रभावित 33956 परिवारों में से 11777 परियोजना से प्रभावित परिवारों को स्थानान्तरित किया जा चुका है। सभी 211 गाँवों के लिए धारा VI एवं 127 गाँवों के लिए धारा IV जारी हो चुकी है तथा 87 गाँवों के लिए एवार्ड पारित हो चुका है। अभी तक 49 गाँवों को सम्पूर्ण रूप से तथा 26 गाँवों को आंशिक रूप से स्थानान्तरित किया गया है। यह कहना उचित होगा कि प्रथम चरण के तहत डूब में आने वाले सभी 27 गाँवों को पूर्ण रूप से खाली करवाया जा चुका है। मानसून आरंभ होने के कारण परियाजना प्रभावित परिवारों के स्थानान्तरण का कार्य अभी स्थगित कर दिया गया है तथा उक्त कार्य मानसून सत्र के समाप्त होने के पश्चात आरंभ होगा।

विभिन्न 13 पुनर्वास स्थलों पर विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु भू–खंड विकसित करने का कार्य किया गया है। जिसमें दिनांक 31.7.2003 तक 6268 भू–खंड विकसित कर लिए गए हैं। अभी तक केवल 395 परियोजना प्रभावित परिवारों ने इन भू–खंडों का चुनाव किया है तथा अन्य लोगों ने इसके बदले 20,000/– रुपये लेना स्वीकार किया है। इन स्थलों में अभी 5873 भू–खंड उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 6 नये पुनर्वास स्थलों को टास्क फोर्स द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसमें भू–खंड का चिन्हीकरण, सीमा निर्धारण, सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य प्रगति पर है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का कार्य आर. एण्ड आर. नीतियों के अनुसार किया जा रहा है तथा आर. एण्ड आर. के कार्यों की प्रगति का गहनता से परिवीक्षण किया जा रहा है, जिससे उसकी प्रगति परियोजना निर्माण कार्यक्रम के अनुरूप हो सके।

पर्यावरण व वन

पर्यावरण के प्रति निगम की जिम्मेदारियों का समग्र रूपेण संज्ञान लेते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृतियों में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन निगम द्वारा किया जा रहा है। क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्यक्रम के कुल लक्ष्य 80,945 हेक्टेयर में से अब तक 80,359 हेक्टेयर में

वनीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी प्रकार जल ग्रहण क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के कुल लक्ष्य 62975 हेक्टेयर में 52480 हेक्टेयर में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना से प्रभावित होने वाले पुरातत्वीय स्मारकों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन हेतु कार्य प्रगति पर है। इन स्मारकों के पुनर्स्थापन का कार्य वैज्ञानिक तरीकों से इस कार्य में दक्ष संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है। सिंगाजी समाधि के पुनःस्थापन का कार्य प्रगति पर है। पुनघाट, शिवमंदिर की प्रतिकृति का निर्माण किया जा चुका है। पुरातात्विक महत्व के टीले नवलखेड़ा, बीजलपुर खुर्द, गन्नोर इत्यादि के उत्खनन का कार्य मध्य प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया गया है। जोगा फोर्ट के लिए सुरक्षात्मक दीवार का प्राथमिक सर्वेक्षण किया जा चुका है।

वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय उद्यान एवं दो अभ्यारण्यों को स्थापित करने हेतु अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही भी की जा रही है।

ओमकारेश्वर परियोजना

दिनांक 29.05.2003 को 520 मेगावाट की बहु–उद्देशीय ओमकारेश्वर परियोजना के निर्माण हेतु सीसीईए से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। दिनांक 18.07.2003 को मैसर्स जयप्रकाश–वायथ सीमेन्स कन्सोर्टियम, नई दिल्ली द्वारा ओंकारेश्वर परियोजना के टर्नकी निष्पादन के लिए 1476.4 करोड़ रुपये की लागत से 48 महीनों की अवधि में पूरा करने के लिए ठेके पर करार किया गया है। निर्माण पूरा होने पर परियोजना से प्रतिवर्ष 1166 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। ठेकेदारों ने परियोजना स्थल पर प्रारम्भिक कार्य आरंभ कर दिया है, जिसमें निर्माण हेतु संयंत्रों के परिवहन, सर्वेक्षण कार्य तथा अस्थायी आवास इत्यादि के कार्य शामिल हैं। आधारिक संरचना विकास का कार्य हाथ में लिया जा चुका है तथा ये कार्य प्रगति पर है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

i. बड़वाह से सिद्धवरकुट (16 कि.मी.) तक पहुंचने वाले मार्ग के निर्माण को प्रमुखता प्रदान की गई, जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

ii. अंदरूनी सड़कों का निर्माण, प्रिकास्ट फेन्सिंग का कार्य, प्रशासकीय कार्यालय परिसर तथा कार्यपालक फील्ड हॉस्टल के लिए कार्य एवार्ड कर दिया गया है।

iii. ओंकारेश्वर मंदिर के लिए फुट ब्रिज निर्माण के कार्य को फरवरी, 2003 में एवार्ड कर दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है।

ओमकारेश्वर परियोजना का आर. एण्ड आर. कार्य

ओमकारेश्वर परियोजना के निर्माण के कारण 30 गाँव डूब प्रभावित क्षेत्र में आ रहे हैं। ओमकारेश्वर में परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफएस) का सर्वेक्षण किया गया है, जिसके अनुसार 4613 (पीएएफएस) को परिलक्षित किया गया है।

7 गाँवों के लिए धारा IV जारी की गई है एवं 7 गाँवों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सैलानी, मंजारा तथा पंथिया गाँव में परियोजना से प्रभावित 193 परिवारों में से 136 परिवारों को स्थानान्तरित किया जा चुका है। ग्राम कोठी में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है तथा इस उद्देश्य से 30 भू–खंड आबंटित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, पंथिया में पुरातत्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिव मंदिर, चौबीस अवतार मंदिर तथा पशुपतिनाथ मंदिर के पत्थरों को स्थानान्तरित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

लाभांश

निगम की दोनों परियोजनायें, जो अभी तक निर्माणाधीन हैं, ने वाणिज्यिक प्रचालन एवं राजस्व का उत्पादन शुरू नहीं किया है। इसलिए आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय से संबंधित सूचना को कंपनी नियमावली, 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों को प्रकट करना) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) के प्रावधानों के अनुसार इस रिपोर्ट के परिशिष्ट – 'ए' में दिया गया है।

औद्योगिक संबंध

कारपोरेशन में आरंभ से ही औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण हैं तथा कर्मचारी कल्याण के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं, जो इस प्रकार हैं :

i. सभी कर्मचारियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा।

ii. भोपाल एवं इंदौर में अस्पतालों का इम्पेनलमेंट करने के अलावा इंदिरा सागर परियोजना एवं ओंकारेश्वर परियोजना में भी अस्पतालों की स्थापना। कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के उपचार हेतु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती।

iii. इंदिरा सागर परियोजना में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना।

औद्योगिक संबंध पूरे साल मैत्रीपूर्ण रहे।

मानव संसाधन विकास

कारपोरेशन की मानव संसाधन विकास नीति का निर्धारण किया जा रहा है। कर्मचारियों की तकनीक/प्रबंधन योग्यता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी को कम्प्यूटर ज्ञान (कम्प्यूटर की शिक्षा) प्रदान करने हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त एनएचडीसी की आध्यत्मिक समिति ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है, जिसमें कर्मचारियों के मानसिक/आंतरिक शुद्धता/आध्यात्मिक उत्थानार्थ आध्यात्मिक सत्संगों का आयोजन किया जा रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजाभाषा (हिन्दी) के उत्थान एवं कार्यान्वयन हेतु अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं:

i. सामूहिक चर्चा का आयोजन, जिसमें राजभाषा के उत्थानार्थ कमचारियों से सुझाव पूछे जा रहे हैं।

ii. विभागाध्यक्षों की मासिक बैठक।

iii. स्पष्टीकरण एवं व्यवहारिक दृष्टि से ज्ञान वृद्धि हेतु एक्जक्यूटिव/नान–एक्जक्यूटिव के लिए प्रशिक्षण सत्र।

iv. आंतरिक निरीक्षण समिति का गठन।

राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन हेतु सभी विभागों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है जिसकी मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट द्वारा समीक्षा की जा रही है।

लेखा परीक्षक

मैसर्स एम. मेहता एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, इंदौर को वर्ष 2002–2003 के लिए लेखा–परीक्षा संचालित करने हेतु ''सांविधिक लेखा–परीक्षक'' नियुक्त किया गया।

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में अनुसूची–10 में शामिल निगम की विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख है, जो स्वयं में स्पष्ट है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ तथा उनके जवाब परिशिष्ट ''बी'' पर हैं।

निदेशकों की जिम्मेदारियों का विवरण

निदेशकों के उत्तदायित्व संबंधी विवरण के विषय में कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 217 (2एए) के अन्तर्गत अपेक्षा के अनुसार एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है:

i) कि 31.03.2003 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे की तैयारी में, प्रयोज्य लेखा मानदंड का सामग्री प्रेषण संबंधी उचित स्पष्टीकरण सहित अनुसरण किया गया था।

ii) कि निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्यस्थिति तथा उस दौरान के प्रासंगिक व्यय पत्रक की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं।

iii) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रख–रखाव के लिए उचित उपाय किए हैं।

iv) कि निदेशकों ने 31.03.2003 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'अनवरत सम्बद्ध' आधार पर लेखे तैयार किए थे।

लेखा–परीक्षा समिति

बोर्ड लेखा–परीक्षण समिति में श्री एस. के. डोडेजा, मुख्य कार्यपालक, श्री प्रदीप भार्गव, निदेशक एवं श्री शिवनारायण सिंह शामिल हैं। उक्त लेखा–परीक्षण समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए की आवश्यकतानुसार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक ब्यौरों की समीक्षा कर ली है।

सतर्कता गतिविधियां

कारपोरेशन में स्थापित सतर्कता विभाग ने समय–समय पर परियोजना/निगम मुख्यालय में नियमित निरीक्षण और आकस्मिक जाँचें की हैं। इसके अतिरिक्त सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम/सतर्कता सप्ताह का आयोजन भी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हुआ है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी नियमावली 1975 (कर्मचारियों के ब्यौरे) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–217 (2ए) के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना शून्य मानी जाए।

निदेशकों का विवरण

बोर्ड के संयोजन में श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 30.12.02 से प्रभावशील) तथा छः अन्य निदेशक शामिल हैं।

श्री एस. के. डोडेजा ने दिनांक 21.11.2002 को एन.एच.डी.सी में मुख्य कार्यपालक के रूप में अधिभार संभाला एवं श्री एस.सी. शर्मा, दिनांक 20.11.2002 से कंपनी के प्रबंध निदेशक नहीं रहे।

श्री यू.सी. सक्सेना, सदस्य अभियांत्रिकी, एन. वी.डी.ए मध्यप्रदेश सरकार दिनांक 01.11.2002 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे तथा मध्य प्रदेश सरकार ने श्री के.पी. चौबे, सदस्य (अभियांत्रिकी), एन.वी.डी.ए को दिनांक 08.11.2002 से एन.एच.डी.सी. बोर्ड में निदेशक मनोनीत किया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने श्री शिवनारायण सिंह को दिनांक 11.11.2002 से एन.एच.डी.सी. बोर्ड में निदेशक मनोनीत किया है।

श्री अनिल राजदान, संयुक्त सचिव हाइड्रो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 05/06/2003 से कंपनी में निदेशक नहीं रहे और श्री ए.के. कुट्टी, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 11.08.2003 से एन.एच.डी.सी. बोर्ड में अंशकालीन निदेशक मनोनीत किए गए हैं।

कंपनी के निदेशक के रूप में श्री एस.सी. शर्मा, श्री यू.सी. सक्सेना एवं श्री अनिल राजदान द्वारा दिए गए योगदान एवं मार्गदर्शन के लिए बोर्ड आभार प्रकट करता है।

आभार

विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्तर पर दिए गए सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड सांविधिक लेखापरीक्षकों, बैंकों एवं अन्य संबंधित संस्थाओं की उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए सराहना करता है।

इसके साथ ही बोर्ड, निगम के सभी समर्पित कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता है, जिनके बहुमूल्य योगदान और पूर्ण सहयोग के बिना निगम को महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हो सकती थीं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

दिनांक : 17.09.03

ह./–

स्थान : नई दिल्ली

अध्यक्ष

अनुबंध–क

ऊर्जा संरक्षण

क्र.सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर
क.	ऊर्जा की बचत के लिए किए गए उपाय।	इंदिरा सागर पावर हाउस की आक्सिलरीज में होने वाली ऊर्जा खपत के अनुवीक्षण हेतु एलटीएसी सिस्टम में न्यूमेरिकल रिले लगाए गए हैं।
ख.	अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई है, का उपयोग ऊर्जा खपत में कमी करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।	शून्य
ग.	उपरोक्त (क) और (ख) के लिए किए गए उपाय ऊर्जा की खपत और सामान की उत्पादन लागत पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यून करने के लिए किए गए।	विद्युत गृह प्रचालन के समय इसका आकलन किया जाएगा।
घ)	प्रति यूनिट उत्पादन में ऊर्जा की खपत और कुल ऊर्जा खपत इस परिशिष्ट के फॉर्म – ए में संलग्न है।	एन.एच.डी.सी इस अनुसूची में निर्धारित किए गए उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है।

प्रपत्र – ख

क्र.सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर
1	कंपनी द्वारा वे विशेष क्षेत्र जिसमें अनुसंधान एवं विकास (आर. एण्ड डी.) के कार्य किए गए।	इंदिरा सागर परियोजना के विद्युत गृह प्रचालन के पूर्ण रूप से स्वचालन के लिए प्रयास किए गए हैं।
2	उपरोक्त आर एण्ड डी के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ	विद्युत गृह का सुदुर प्रचालन
3	भावी कार्य योजना।	इसे फीडर रिले के रिमोट पेरामीटराइजेशन तक बढ़ाया जायेगा, जिसके लिए एमपीएसबी से चर्चा जारी है।
4	आर. एण्ड डी. पर व्यय (क) पूँजी (ख) आवर्त्ती (ग) कुल (घ) कुल आर. एण्ड डी. खर्च जो कि कुल टर्नओवर का प्रतिशत है।	अनुसंधान एवं विकास पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

प्रौद्योगिकीय समावेशन, ग्राह्यता और नवीकरण

क्र.सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर
1	प्रौद्योगिकीय समावेशन, ग्राह्यता और नवीकरण के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण।	प्रणाली के पूर्व स्वचालन हेतु न्युमेरिकॅल रिले, कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के उपयोग का समर्थन किया गया।
2	उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ, यथा उत्पादन में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि।	इससे प्लांट के स्वचालन एवं सुदुर प्रचालन में सुधार होगा। इससे प्रणाली के उचित अनुवीक्षण में भी मदद होगी।

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी

क्र.सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर
1	पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी	शून्य

विदेशी मुद्रा में आय व व्यय

क्र.सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर
1	निर्यात के क्रियाकलाप, निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए पहल, वस्तु और सेवा के लिए विकसित नये निर्यात के बाजार और निर्यात योजना।	शून्य
2	कुल विदेशी मुद्रा में आय कुल विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य 374 लाख रुपए

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में सदस्यगण,
नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.

हमने नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च, 2003 के संलग्न तुलनपत्र और साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (आबंटन/पूंजीकरण के लिए लंबित) तथा कैश फ्लो स्टेटमेंट के विवरण की लेखापरीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है, हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा संचालित की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण गलत विवरण से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकटनों को समर्थित करने वाले साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ–साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा निर्माणकारी तथा अन्य कंपनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 1988 के तहत अपेक्षित है, हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में एक विवरण परिशिष्ट के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

उपर्युक्त अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम सूचित करते हैं कि :

i) हमने वो सभी सूचनाएँ व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ii) हमारी राय में निगम द्वारा कानूनी तौर पर आवश्यक समुचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों के परीक्षण से स्पष्ट होता है।

iii) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलनपत्र, प्रासंगिक व्यय विवरण तथा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

iv) हमारी राय में इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलनपत्र, प्रासंगिक व्यय विवरण तथा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के समनुरूप हैं।

v) निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2003 तक प्राप्त लिखित प्रतिनिधित्व के आधार पर एवं निदेशक मण्डल के द्वारा लिये गये रिकार्ड के अनुसार हम यह रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खण्ड (जी) के तहत 31 मार्च, 2003 तक कोई भी निदेशक निगम में नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं पाया गया।

vi) हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथाअपेक्षित जानकारी अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं तथा

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप एवं सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं, निम्न टिप्पणी के अधीनः

क) 31 मार्च, 2003 तक निगम के क्रियाकलापों की स्थिति के संदर्भ में लिए तुलन पत्र के मामले में तथा

ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध व्यय में निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (पूंजीकरण/आबंटन के लिए लंबित) के विवरण के मामले में।

ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो के कैश स्टेटमेंट के मामले में।

कृते मैसर्स एम. मेहता एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

पी.आर. बंदी

भागीदार

सदस्यता सं. 16402

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22.07.2003

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के संबंध में नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के सदस्यों की सेवा में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित परिशिष्ट

हमारे द्वारा समुचित समझी गई जांच तथा हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों के आधार पर हम कथन करते हैं कि :

1. निगम द्वारा अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक स्वरूप व स्थान के पूर्ण ब्यौरे देते हुए उचित रिकार्ड रखा गया है। इसके सत्यापन के लिए नियमित कार्यक्रम है, जो कि हमारी राय में निगम के आकार एवं परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुरूप तर्क संगत है। इन सत्यापनों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
2. वर्ष के दौरान किसी भी अचल परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।
3. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भंडारों, अतिरिक्त पुर्जो तथा उपभोग्य माल के स्टॉक का युक्तिसंगत अंतरालों पर भौतिक सत्यापन किया गया है।
4. हमारी राय में निगम के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त पुर्जों तथा भंडारों के भौतिक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया युक्तिसंगत तथा पर्याप्त है।
5. लेखाबहियों के अनुसार स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर कोई महत्वपूर्ण कमियां जानकारी में नहीं आई हैं।
6. हमारी राय में तथा हमारे द्वारा किये परीक्षण के आधार पर भंडारों का मूल्यांकन सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार उचित तथा उपयुक्त है।
7. निगम ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अर्न्तगत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मो तथा अन्य निगमित निकायों से कोई ऋण नहीं लिया है सिवाए एनवीडीए से अधिग्रहित परिसंपत्तियों के समायोजन के लिए गैर जमानती ऋण के रूप में दर्शाया गया ऋण, जिसके लिए किसी ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है एवं अस्थायी गैर जमानती ऋण जो कि यथोचित ब्याज दर से धारक कंपनी से लिया गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 370 की उपधारा (6) के अनुसार, उपधारा के उपबंध कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के लागू होने पर या उसके पश्चात किसी कंपनी पर लागू नहीं है।
8. निगम ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को ऋण के तौर पर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। कंपनी अधिनियम की धारा 370 की उप–धारा (6) के अनुसार, उपधारा, के उपबंध कंपनी (संशोधन) अधिनियम 1999 के लागू होने पर या उसके पश्चात किसी कंपनी पर लागू नहीं है।
9. निगम ने केवल अपने कर्मचारियों को ब्याज पर तथा ब्याज मुक्त ऋणों के तौर पर ऋण तथा अग्रिम दिए हैं। कुल राशि तथा ब्याज की पुनः अदायगी नियमित तथा यथानिर्धारित अनुसार है, जहाँ कही भी लागू होता है।
10. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार स्टोर, कच्चे माल जिसमें कंपोनेंट भी शामिल, संयंत्र तथा मशीनरी, उपस्कर एवं अन्य परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं, की खरीद संबंध में निगम के आकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति के समुनरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रक प्रक्रियाएं हैं।

11. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्ट व्यवस्था या संविदाओं के अनुसरण में वर्ष के दौरान प्रत्येक पार्टी के संबंध में कुल मिलाकर 50,000/– रुपए या अधिक के किसी माल या वस्तुओं की खरीदारी नहीं की गई तथा प्रत्येक पार्टी के संबंध में वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 50,000/– रुपए या अधिक के किसी माल, वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री नहीं की गई, सिवाय धारक कंपनी को रुपए 359 लाख (विगत वर्ष में रुपए 547 लाख) का परामर्श शुल्क अदा करने के जिसमें कुछ निदेशकों की युक्तिसंगत प्रभारों पर रूचि थी, यह मानते हुए कि यह सेवाएं विशेष प्रकृति की हैं तथा तुलनीय नहीं हैं।

12. जैसा कि हमें बताया गया है, निगम के पास परियोजनाओं में बेकार या क्षतिग्रस्त भंडारों के निर्धारण के लिए नियमित प्रक्रिया है।

13. निगम ने चालू वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 58ए के अन्तर्गत जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है, सिवाय धारक कंपनी से लिया अस्थायी ऋण।

14. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार निगम में वसूली योग्य बेकार सामग्री की बिक्री तथा निपटान के लिए उचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं। निगम का कोई उप–उत्पाद नहीं है।

15. वर्ष के दौरान निगम ने अपना स्वयं का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग गठित किया है। हमारी राय से उसमें और सुदृढ़ीकरण क्षेत्रों तथा बारबार जांच की आवश्यकता है।

16. हमें सूचित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (ए) (डी) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण केन्द्र सरकार द्वारा नियत नहीं किया गया है।

17. निगम, कर्मचारी भविष्य निधि से देयताओं का अंतरण एनएचपीसी भविष्य निधि न्यास में करने में, नियमित रहा है, जो कि इसका रिकार्ड रखता है तथा मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की भविष्य निधि तथा सी.जी.आई.एस का भुगतान सम्बद्ध प्राधिकरणों को नियमित रूप से किया जाता है। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 निगम पर लागू नहीं है।

18. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के संबंध में कोई अविवादित राशि उनको देय होने की तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

19. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, निदेशकों के कोई व्यक्तिगत खर्च राजस्व लेखे में प्रभारित नहीं किए गए हैं, सिवाए उनके, जो संविदात्मक दायित्वों के अन्तर्गत देय हैं या सामान्यतः स्वीकृत व्यवसाय पद्धतियों के अनुरूप हैं।

20. निगम रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान), अधिनियम 1985 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ओ) के अर्थ के अन्तर्गत रूग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं हैं।

कृते मैसर्स एम. महेता एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

पी. आर. बंदी
भागीदार
सदस्यता सं. 16402

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2003

31.03.2003 को तुलन पत्र

(लाख रुपये में)

विवरण	अनुसूची सं.			31 मार्च 2003 को			31 मार्च 2003 को
निधियों के स्रोत							
शेयर धारकों की निधियाँ							
अंश पूँजी	1		107706			20955	
जमा अंश पूँजी	1ए		27294			-	
आरक्षित एवं अधिशेष	2		42756	177756		-	20955
ऋण निधि	3						
जमानती ऋण			-			-	
गैर जमानती ऋण			45490	45490		83,896	83,896
कुल				223246			104851
निधियों का उपयोग							
स्थायी पूंजीगत व्यय							
स्थायी परिसंपत्तियाँ	4						
सकल ब्लॉक		2475			430		
मूल्यह्रास		589			116		
शुद्ध ब्लॉक			1886			314	
चालू पूँजीगत कार्य	5		183124			101312	
निर्माण सामग्री एवं पेशगियाँ	6		23090	208100		12115	113741
चालू परिसंपत्तियाँ ऋण एवं पेशगियाँ	7						
माल सूचियाँ		-			-		
संविदा के कार्य प्रगति पर		-			-		
विविध देनदार		-			-		
नगद एवं बैंक में शेष		20228			745		
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		699			374		
ऋण एवं अग्रिम		478	21405		252	1371	
घटायें : चालू देयताएँ एवं प्रावधान	8						
देयताएँ		6313			10340		
प्रावधान		151	6464		126	10466	
शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ				14941			(9095)
विविध व्यय	9			205			205
(बट्टे खाते या समायोजना न की गई की सीमा तक)							
कुल				223246			104851
लेखों एवं आकस्मिक देयताओं पर टिप्पणियाँ	10						

अनुसूची क्र. 1 से 10 और लेखा नीतियाँ
लेखों का अभिन्न अंग है।

वी. के. त्रिपाठी	एन. के. चड्ढा	एच. डी. खुंटेटा	एस. के. डोडेजा	योगेन्द्र प्रसाद
सहायक सचिव	प्रमुख (वि. एवं ले)	निदेशक	मुख्य कार्यपालक	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

हमारी इस दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स एम. मेहता एण्ड कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट्स
पी. आर. बंदी
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2003

अनुसूची–1 अंश पूँजी

(लाख रुपये में)

विवरण		31.03.2003 को	31.03.2002 को
प्राधिकृत			
1000/– रुपए प्रत्येक के 30000000 इक्विटी शेयर		300000	300000
निर्गमित, अभिदत व प्रदत्त			
1000/– रुपए प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत 107,70,612 (गत वर्ष 20,95,513) इक्विटी शेयर है। उपरोक्त में से 65,95,512 (गत वर्ष 20,95,512) शेयर धारक कंपनी नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद और 41,75,100 (गत वर्ष एक) शेयर मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित कर दिए गए हैं।		107706	20955
नोट उपर्युक्त इक्विटी शेयरों में एम.ओ.यू. के तहत पूर्ण प्रदत 4175099 (विगत वर्ष कुछ नहीं) इक्विटी शेयर नकद के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए आवंटित किए गए।	कुल	**107706**	**20955**

अनुसूची–1ए अंश पूँजी जमा

(लाख रुपये में)

विवरण			31.03.2003 को	31.03.2002 को
जमा अंश पूँजी				
i) एन.एच.पी.सी. से प्राप्त		3045		
ii) न.घा.वि.प्रा. के लेखों से स्थानान्तरित	कुल	24249	27294	-
			27294	-

अनुसूची–2 आरक्षित व अधिशेष

(लाख रुपये में)

		31.03.2003 को शेष	31.03.2002 को शेष
आरक्षित पूँजी			
i) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा सागर बांध में सिंचाई घटक हेतु आनुपातिक योगदान अनुदान के तौर पर।		18771	-
ii) न.घा.वि.प्रा. से स्थानान्तरित सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित आनुपातिक आर्थिक सहायता।		23985	-
	कुल	**42756**	-

अनुसूची–3 ऋण निधियाँ

(लाख रुपये में)

विवरण			31.03.2003 को	31.03.2002 को
अ **आरक्षित ऋण**			-	-
	कुल		-	-
ब **अनारक्षित ऋण**				
i) अल्पावधि ऋण (धारक कंपनी द्वारा आश्वासित) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एक साल की अवधि में देय राशि रू. 30000 लाख)			30000	-
ii) अन्य द्वारा देय ऋण निधि मध्यप्रदेश शासन (न.घा.वि.प्रा.) *नोट सं. 3 में देखें				
इंदिरा सागर परियोजना के लिए		10341		83896
ओमकारेश्वर परियोजना के लिए		5149	15490	
	कुल		**45490**	**83896**

अनुसूची–4 स्थिर परिसंपत्तियाँ

(लाख रुपये में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास				शुद्ध खंड	
	1.4.02 को	बढ़ौतियां/ समायोजन	कटौतियां समायोजन	31.3.03 को	1.4.02 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.3.03 को	31.3.03 को	31.3.02 को
फ्री होल्ड भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	37	671	-	708	4	253	-	257	451	33
सड़कें एवं पुल	9	812	-	821	-	127	-	127	694	9
निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी	2	22	-	24	-	1	-	1	23	2
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	-	422	-	422	-	3	-	3	419	-
उपकेन्द्र उपस्कर	-	4	-	4	-	-	-	-	4	-
वाहन	65	5	-	70	28	19	-	47	23	37
फर्नीचर, फिक्सचर एवं उपस्कर	246	73	-	319	32	37	-	69	250	214
पारेषण लाईन्स	6	-	-	6	-	1	-	1	5	6
विविध परिसंपतियाँ	15	6	-	21	2	2	-	4	17	13
5000/– रुपये तक की कम मूल्य की स्थायी परिसंपतियाँ	50	30	-	80	50	30	-	80	-	-
कुल	**430**	**2045**	-	**2475**	**116**	**473**	-	**589**	**1886**	**314**
पिछला वर्ष	**674**	**182**	**(426)**	**430**	**28**	**88**	-	**116**	**314**	**646**

अनुसूची–5 चालू पूँजीगत कार्य

(लाख रुपये में)

विवरण	1 अप्रैल, 2002 को	वर्ष के दौरान बढ़ौतरी	समायोजन	वर्ष के दौरान पूँजीकृत	31 मार्च, 2003 को
1. सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं अन्य खर्च	-	288	-	-	288
2. भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार	21422	4315	-	641	25096
3. सड़कें एवं पुल	155	689	-	778	66
4. हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध टनल एवं पावर चैनल	24432	10996	-	1	35427
5. जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र एवं मशीनरी	15071	14555	-	422	29204
6. विद्युत संस्थापना एवं उपकेन्द्र संयंत्र	-	-	-	-	-
7. विविध परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-
8. ट्रंक पारेषण लाईन्स	2	8	-	-	10
9. निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय					
अ) अन्य	23859	28055	-	-	51914
ब) निर्माण के दौरान ब्याज	-	89	-	-	89
उप जोड़	**84941**	**58995**	-	**1842**	**142094**
10. पुनर्वास पर व्यय	16371	24659	-	-	41030
कुल	**101312**	**83654**	-	**1842**	**183124**
पिछला वर्ष	**8233**	**93109**	-	**30**	**101312**

अनुसूची–5 का परिशिष्ट निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण		1.4.2002 से 31.3.2003 की अवधि में			1.4.2001 से 31.3.2002 की अवधि में	
कर्मचारी का पारिश्रमिक एवं लाभ						
वेतन, मजदूरी भत्ते एवं लाभ एवं ग्रेच्यूटी		1399			1104	
भविष्य निधि में अशंदान (प्राशसनिक फीस सहित)		71			58	
स्टाफ कल्याण खर्च		102			141	
छुट्टी पर वेतन एवं पेंशन अंशदान		32	1604		31	1334
मरम्मत एवं रखरखाव						
भवन		49			26	
मशीनरी एवं निर्माण उपकरण		-			-	
अन्य		142	191		102	128
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय						
कार्यालय किराया		24			14	
रिहायशी किराया		73			66	
दर एवं कर		-			2	
विद्युत प्रभार		280			126	
बीमा		70			5	
यात्रा एवं वाहन		105			73	
स्टॉफ कार एवं निरीक्षण वाहनों पर व्यय		156			108	
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक खर्च		30			31	
विज्ञापन एवं प्रचार		48			37	
रूपांकन एवं परामर्शी प्रभारें		787			1506	
मनोरंजन		6			4	
मुद्रण एवं स्टेशनरी		30			34	
सुरक्षा व्यय		36			55	
अन्य खर्च		89			73	
ऑडिट खर्चे		3			2	
सामग्री का नुकसान/संपत्ति का अपलेखन		24	1761		-	2136
ब्याज एवं वित्त प्रभार			89			
मूल्य ह्रास			473			88
अन्य						
वेतन, मजदूरी, प्रारंभिक व्यय, रोपस्थली, रखरखाव एवं पर्यावरण पर व्यय एन.वी.डी.ए. द्वारा			24268			20778
कुल खर्च			**28386**			**24464**
घटायें : प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ						
मियादी जमा पर ब्याज/बैंक लेखा	195			62		
घटायें : बैंक ब्याज पर आयकर	-72	123		-22	40	
ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज		11			6	
विविध प्राप्तियां एवं वसूलियां		63			1174	
प्रावधान/देयताएं (आवश्यक नहीं है) रिटन बैक		45	242		-	1220
कुल प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ						
शुद्ध व्यय सी.डब्ल्यू.आई.पी. को हस्तानांतरित			**28144**			**23244**

वी. के. त्रिपाठी सहायक सचिव	एन. के. चड्ढा प्रमुख (वि. एवं ले)	एच. डी. खुंटेटा निदेशक	एस. के. डोडेजा मुख्य कार्यपालक	योगेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

हमारी इस दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स एम. मेहता एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पी. आर. बंदी
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2003

क) निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक का विवरण

(लाख रुपये में)

	2002 - 2003	2001 - 2002
i) वेतन एवं भत्ते	4	4
ii) भविष्य निधि हेतु अशंदान	-	-
iii) अन्य लाभ	-	-
iv) व्यय की प्रतिपूर्ति	1	3

ख) सांविधिक लेखा परीक्षकों के भुगतान का विवरण

	2002 - 2003	2001 - 2002
i) लेखा परीक्षा की फीस	2	1
i) कर लेखा परीक्षा फीस	-	-
iii) लेखा परीक्षा पर व्यय	1	1

अनुसूची–6 निर्माण भंडार एवं पेशगियां

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2003 को		31 मार्च 2002 को
निर्माण भंडार				
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित एवं मूल्यांकित लागत पर)				
निर्माण सामग्री पारगमन में	-		-	
भंडार	41	41	12	12
पूँजीगत व्यय हेतु अग्रिम				
जमानती (कन्सीडर्ड गुड)	-		-	
गैर जमानती (कन्सीडर्ड गुड)	23049	23049	12103	12103
कुल		**23090**		**12115**

अनुसूची–7 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं पेशगियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2003 को		31 मार्च 2002 को	
चालू परिसंपत्तियाँ				
माल सूची				
(लागत पर प्रबंधन द्वारा प्रमाणित एवं मूल्यांकित)				
भंडार एवं अतिरिक्त	-		-	
लूज टूल्स	-		-	
निर्माण कार्य प्रगति पर (संविदाएँ)		-		-
विविध देनदार (अनारक्षित)				
छह माह से अधिक अवधि के लिए देनदारियां				
अन्य ऋण	-		-	
कुल देनदार	-		-	
घटायें : प्रावधान	-	-	-	-
विविध देनदारों (अनारक्षित) का विवरण				
कंसीडर्ड गुड				
कंसीडर्ड संदेहजनक व प्रावधानित				
नगद एवं बैंक में शेष				
नकद, अग्रदाय, चैक एवं ड्राफ्ट्स	4		2	
अनुसूचित बैंक में शेष				
चालू खाता	4224		92	
जमा खाता (अल्पावधि)	16000		151	
अन्य (डाकघर)	-	20228	500	745
अन्य चालू परिसंपतियाँ				
जमा राशि पर अर्जित ब्याज	27		3	
अन्य	672	699	371	374
ऋण एवं अग्रिम				
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम (अनारक्षित कंसीडर्ड गुड)	250		174	
नकदी या माल अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य पेशगियाँ				
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	-		-	
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)	103		23	
अनारक्षित (कंसीडर्ड संदेहजनित)	-		-	
घटायें : संदेहजनित के लिए प्रावधान	-	-	-	
जमा अग्रिम कर एवं स्रोत पर काटा गया कर	125	478	55	252
कुल		**21405**		**1371**

(लाख रुपये में)

	2002-2003	2001-2002
अ) गैर अनुसूचित बैंकों में वर्ष के दौरान अधिकतम शेष का विवरण	-	-
ब) निदेशकों पर बकाया ऋण एवं अग्रिमों का विवरण		
वर्ष के अंत में बकाया राशि	-	-
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	-	-

अनुसूची–8 चालू देयताएँ एवं प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2003 को			31 मार्च 2002 को	
देयताएँ						
विविध लेनदार						
लघु औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) की कुल बकाया राशि	-			-		
लघु औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) के अलावा लेनदारों की कुल बकाया देय राशि	5846	5846		9971	9971	
डिपॉजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि		-			-	
डिपॉजिट/प्रतिधारण राशि		318			233	
उपार्जित ब्याज जो कि ऋण पर देय नहीं है		-			-	
जारी किए गए चेक के लिए देयताएँ जो कि प्रस्तुत नहीं की गई		-			11	
निर्माण संविदाओं के लिए अग्रिम		-			-	
अन्य देयताएँ		149	6313		125	10340
प्रावधान						
कराधान		126			54	
प्रस्तावित लाभांश		-			-	
प्रस्तावित लाभांश पर कर		-			-	
स्टॉफ के लिए हित लाभ		25	151		72	126
			6464			**10466**

अनुसूची–9 विविध खर्चे

(बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किये गए की सीमा तक)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2003 को		31 मार्च 2002 को	
प्रारंभिक व्यय		205		205
बट्टे खातें डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियाँ	1		1	
घटायें : के लिए प्रावधान	1	-	1	-
		205		**205**

अनुसूची – 10 : लेखों पर टिप्पणी

1. अकस्मिक देयतायें निम्न पर प्रावधानित नहीं हैं :–

   (क) ऋण के रूप में स्वीकार न किये गये 28268 लाख रुपये (विगत वर्ष 13269 लाख रुपये) जिसमें कि न्यायालयीन प्रकरणों का 685 लाख रुपये (विगत वर्ष शून्य) शामिल हैं, जो कि विस्थापितों को भूमि का मुआवजा व उनके विशेष पुर्नवास अनुदान से संबंधित हैं। इन दावों में जो कि परियोजना को निगम द्वारा हस्तगत किये जाने के दिनांक से पूर्व के संविदा दावे/मध्यस्थता दावे सम्मिलित नहीं हैं। दिनाकं 28.03.2002 को सीसीईए क्लियरेंस के अनुसार, इस प्रकार के सभी दावे मध्यप्रदेश सरकार (एनवीडीए) को स्थानांतरित कर दिये गये हैं।

   (ख) टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट के पक्ष में 3389 लाख रुपये का विदेशी साख पत्र खोला गया जो कि गत वर्ष शून्य था।

2 पूंजी खाते में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, 54611 लाख रुपये हैं (विगत वर्ष 23977 लाख रुपये)।

3 (क) चालू वर्ष में निगम ने मध्यप्रदेश सरकार (एनवीडीए) द्वारा इंदिरा सागर परियोजना पर 31.08.2000 तक किये गये व्यय में 24766 लाख रुपये की रकम (विगत वर्ष 83896 लाख रुपये) और चिन्हित तथा लेखांकित की है जो कि कुल दर्शायी गई 110578 लाख रुपये के विरूद्ध है। निगम द्वारा अभी तक 1916 लाख रूपयों की पहचान तथा समाधान नहीं किया है जो कि समायोजन हेतु लंबित है एवं समाधान का कार्य प्रगति पर है।

   (ख) मध्यप्रदेश शासन ने सितम्बर, 2000 से मार्च, 2003 की अवधि में विभिन्न खातों में रुपये 7256 लाख का व्यय किया जो पत्र दिनांक 10.04.2003 एवं 12.06.2003 में उल्लेखित किया गया है। इसके विरूद्ध निगम ने केवल 6435 लाख रुपये का लेखांकन किया जिसमें से 85 लाख रुपये पूर्व के अग्रिम का समायोजन किया गया है। इसमें 31.08.2000 तक लेखांकित 700 लाख सम्मिलित नहीं हैं एवं शेष 36 लाख का समाधान एवं समायोजन अभी तक लंबित है।

   (ग) इंदिरा सागर परियोजना के संबंध में एनवीडीए खाते में जमा 115097 लाख रुपये में से उपरोक्त विन्दु क्रमांक 3(अ) एवं (ब) में उल्लेखानुसार समायोजन फलस्वरूप तथा वर्ष में प्राप्त 4000 लाख रुपये का समायोजन निम्नानुसार किया गया :–

      (i) मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 24.06.2002 को आवंटित 4175099 ईक्विटी शेयर के रूप में 41751 लाख रुपये।

      (ii) अंश पूंजी जमा के रूप में रुपये 24249 लाख, जिसके लिए 28.03.2002 के सी.सी.ई.ए. क्लियरेन्स के अनुरूप मध्यप्रदेश को 66000 लाख रुपये के लिए इक्विटी शेयर आबंटित किया जाना है।

      (iii) सीसीईए क्लियरेन्स दिनांक 28.03.2002 एवं एनवीडीए पत्र दिनांक 24.06.2003 के अनुरूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा इंदिरा सागर बांध के केपीटल रिजर्व के सिंचाई अवयव के रूप में अनुपातिक अंशदान 18771 लाख रुपये जिसे कुल अनुदान 36352 लाख रुपये के एक भाग के रूप में दिया गया।

      (iv) सीसीईए क्लियरेन्स दिनांक 28.03.2002 एवं एनवीडीए पत्र दिनांक 24.06.2003 के अनुरूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के केपीटल रिर्जव के लिए आनुपातिक राजकीय सहायता के रूप में 23985 लाख रुपये जिसे कुल अंशदान 46451 लाख रुपये के एक भाग के रूप में दिया गया।

      (v) असुरक्षित ऋण के रूप में शेष 10341 लाख रुपये को इंदिरा सागर परियोजना के सिंचाई एवं एसएसपी अवयव के रूप में समायोजित किया जाना है।

   (घ) वर्ष में मध्यप्रदेश शासन (एनवीडीए) ने अपने पत्र दिनांक 24.06.2003 के अनुरूप 5883 लाख रुपये की कुल सम्पत्ति दर्शायी जिसमें से ओमकारेश्वर परियोजना ने 5157 लाख

रुपये की सम्पत्ति/व्यय की पहचान की। उक्त राशि में से चालू वर्ष में 5149 लाख रुपये का लेखा में समायोजन किया गया। असमायोजित राशि 734 लाख रुपये में से निगम ने 8 लाख रुपये के स्टोर को अभी तक समायोजित नहीं किया क्योंकि उक्त सामग्री निगम द्वारा हस्तगत नहीं की गयी। इसी प्रकार 626 लाख रुपये की सम्पत्ति निगम को नहीं सौंपी गयी एवं शेष 100 लाख रुपये जो कि प्रतिपूरक वनीकरण पर व्यय किया गया, उसे लेखांकित भी नहीं किया गया क्योंकि ये व्यय सत्यापन के लिए लंबित हैं। 5149 लाख रुपये की राशि, जिसे असुरक्षित ऋण के रूप में दर्शाया गया है, को अगले वित्तीय वर्ष में सिंचाई अवयव एवं ईक्विटी अंशदान के रूप में समायोजित किया जाना है।

4 निगम ने 6595512 इक्विटी शेयर एनएचपीसी लि., धारक कंपनी को आवंटित किये, जिसमें 31.03.2002 तक आबंटित किये, जिसमें 31.03.2002 तक आबंटित 2095512 ईक्विटी शेयर भी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार 4175100 ईक्विटी शेयर मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 31.03.2003 तक आवंटित किये जिसमें 31.03.2002 तक आवंटित एक इक्विटी शेयर भी सम्मिलित है।

5 (क) विविध लेनदार (अन्य) में 379 लाख रुपये (विगत वर्ष 574 लाख रुपये) सम्मिलित हैं जो कि धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड को देय हैं।

(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियों में 572 लाख रुपये (विगत वर्ष 351 लाख रुपये) सम्मिलित हैं जो कि विद्युत शुल्क के रूप में एनवीडीए द्वारा देय हैं।

6 (क) पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास यथा डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि की लागत, सड़क, स्कूल भवन, अस्पताल भवन, कार्यालय भवन, विद्युतीकरण एवं अन्य अधोसंरचना पर व्यय 40988 लाख रुपये (गत वर्ष 16371 लाख रुपये) को, कार्य प्रगति मद में दर्शाया है।

(ख) निर्माण स्टोर एवं अग्रिम जिसमें 20287 लाख रुपए का पूँजी व्यय (गत वर्ष 9720 लाख रुपये) अग्रिम भी सम्मिलित है, भारतीय रेलवे को रेलवे ट्रेक के परिवर्तन के लिए दिया गया जिसे कार्यपूर्ण होने पर, आर एण्ड आर में समायोजित किया जायेगा।

(ग) निर्माण के दौरान प्रासंगिक जिसमें 359 लाख रुपये परामर्श शुल्क (गत वर्ष 549 लाख रुपये) एवं ब्याज 37 लाख रुपये (विगत वर्ष–शून्य) धारक कंपनी एनएचपीसी लि. को भुगतान किया गया, भी सम्मिलित है।

7. (क) मध्यप्रदेश शासन (एनवीडीए) से निगम को हस्तांतरित संपत्तियों पर मूल्य ह्रास विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 द्वारा निर्धारित दरों पर प्रावधानित किया गया है जो कि सम्पत्ति के संचालन/स्थापन दिनांक से लिया गया है।

(ख) इन सम्पत्तियों पर चालू वर्ष में कुल 403 लाख रुपये का मूल्य ह्रास उपलब्ध कराया गया जिसमें से 337 लाख रुपये का मूल्य ह्रास दिनांक 31.03.2002 तक की अवधि से संबंधित है।

8. एनएचपीसी लिमिटेड से प्राप्त सूचना के आधार पर एनएचपीसी से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान रखा गया है। तथापि, मध्यप्रदेश शासन से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों एवं एनएचपीसी कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा 'बीमांकिक मूल्यांकन' पर उपलब्ध करायी गयी है।

9. बोर्ड के अभिमत में, लेखांकन मानदंड–एएस 18 – 'रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर' जो कि भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किया गया है, इस कंपनी पर लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त कंपनी किसी अन्य राज्य नियंत्रित उद्यम द्वारा नियंत्रित है।

10. कंपनी ने विभिन्न आवासीय एवं कार्यालय परिसर "प्रचालन पट्टे" पर लिये हैं। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है एवं इनकी अवधि सामान्यतया एक वर्ष से तीन वर्ष अथवा इससे अधिक है। इन्हें प्रायः आपसी सहमति से दोनों पक्षों को स्वीकार्य निबंधन एव शर्तों पर नवीनीकृत किया जाता है। पट्टे पर किये गये भुगतान को निर्माण के दौरान किये गये प्रासंगिक व्यय पत्रक में अनुसूची–5 में कार्यालय किराया एवं आवास किराया लेखा शीर्ष में दर्ज किया जाता है। भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी ए एस–19 'लीज एकाउटिंग' के अनुसार यह जानकारी दी गयी।

11. निगम ने अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग न किये गये मामलों के संबंध में, उनमें अन्तनिहित सैद्धांतिक अनुमान के मद्देनजर, जो वास्तवित व्यय से अत्यंत भिन्न, था, अवकाश यात्रा रियायत प्रावधान करने की पद्धति को अब बंद कर दिया है। यदि इसका प्रावधान किया गया होता तो निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के अन्तर्गत अग्रेनीत व्यय लगभग 13 लाख रुपये उच्चतर होता।

12. (क) निगम द्वारा लिये गये विधिक अभिमत के आधार पर चालू वर्ष में प्राप्त ब्याज आय पर आयकर का प्रावधान किया गया है

(ख) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा ए एस–22 (आय पर कर का लेखांकन) के अनुरूप कोई विलंबित कर दायित्व/सम्पत्ति दर्ज नहीं की गई क्योंकि वर्ष में इस प्रकार की कोई लेखाकंन आय/कर योग्य आय नहीं है जिसमें समय की विभन्नता हो।

			2002–03	2001–02
13.	मात्रा विवरण :			
	i.	लाइसेंसी क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
	ii.	संस्थापित उत्पादन (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
	iii.	वास्तविक उत्पादन (मेगावाट)	शून्य	शून्य
	iv.	बिक्रीशून्य (मेगावाट)	शून्य	
14.	विदेशी मुद्रा में व्यय (पूंजीगत वस्तुओं पर)		374 लाख	शून्य
15.	आयातों का सीआईएफ मूल्य		शून्य	शून्य
16.	निविदा विक्रय से विदेशी मुद्रा में आय		शून्य	शून्य

17. (क) कंपनी ने केवल निर्माण (लंबित आवंटन/पूंजीकरण) के दौरान किये गये प्रासंगिक व्यय का पत्रक तैयार किया है। चूँकि परियोजना निर्माण चरण में है, अतः लाभ एवं हानि का लेखा तैयार नहीं किया गया है।

(ख) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस–17 के अंतर्गत आवश्यक खण्ड प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निगम पर लागू नहीं होता है।

18. पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनः व्यवस्थित/वर्गीकृत/पुनः ढालकर जहाँ आवश्यक हों, रखे गये हैं।

वी.के. त्रिपाठी	एन.के. चड्ढा	एच.डी. खुंटेटा	एस.के. डोडेजा	योगेन्द्र प्रसाद
सहायक सचिव	प्रमुख (वित्त)	निदेशक	मुख्य कार्यपालक	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

हमारी इस दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स एम. मेहता एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
पी.आर. बंदी
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2003

तुलन पत्र का सार एवं कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

पंजीकरण विवरण

I. पंजीकरण संख्या: 10 14337 | राज्य कोड: 10 | तुलन पत्र दिनांक: 31 03 2003

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (लाख रुपये में)

सार्वजनिक निर्गम: शून्य | राईट इश्यू: शून्य

बोनस निर्गम: शून्य | निजी प्लेसमेंट*: 114045

*एन.एच.पी.सी एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त शेयर पूंजी शामिल

III. निधियों को जुटाने और अभिनियोजित करने की स्थिति (लाख रुपये में)

कुल देयताएं: 229710 | कुल परिसंपत्तियाँ: 229710

निधियों के स्रोत

चुकता पूंजी: 135000 | आरक्षित एवं अधिशेष: 42756

आरक्षित ऋण: शून्य | अनारिक्षित ऋण: 45490

निधियों का प्रयोग

शुद्ध स्थायी परिसंपत्तियाँ: 208100 | निवेश: शून्य

शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ: 14941 | विविध खर्च: 205

संचित हानियाँ: शून्य

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन (लाख रुपये में)

टर्न ओवर: शून्य | कुल खर्च: शून्य

कर पूर्व लाभ: शून्य | कर पश्चात् लाभ: शून्य

प्रति शेयर अर्जन रुपए: शून्य | लाभांश राशि: शून्य

V. कंपनी के सामान्य तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के नाम

I. उत्पादन विवरण: जल विद्युत का उत्पादन

मद कोड संख्या: –

II. उत्पादन विवरण:

मद कोड संख्या: –

III. उत्पादन विवरण:

मद कोड संख्या: –

वी. के. त्रिपाठी	एन. के. चड्ढा	एच. डी. खुंटेटा	एस. के. डोडेजा	योगेन्द्र प्रसाद
सहायक सचिव	प्रमुख (वि. एवं ले)	निदेशक	मुख्य कार्यपालक	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कैश फ्लो स्टेटमेंट

(लाख रुपये में)

	31.03.2003 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2002 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो				
कर–पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें		-		-
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन से पहले संचालित लाभ	-		-	
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन				
ऋण एवं पेशगियां	(226)		(164)	
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(325)		94	
चालू देयताएं व प्रावधान	(4002)	(4553)	6963	6893
संचालन से कैश का जेनेरेशन (क)		(4553)		6893
ख) निवेश संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो				
स्थायी परिसंपत्तियां	(270)		64	
चालू पूंजीगत कार्य	83654		92683	
निर्माण सामग्री और पेशगियां	10975		11983	
निवेश गतिविधियों में शुद्ध रोकड़ का उपयोग (ख)		(94359)		(104730)
ग) वित्त व्यवस्था संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो				
अंश पूंजी जारी करने से प्राप्ति	45000		13000	
धारक कंपनी की अंश पूंजी जमा से प्राप्ति	3045		-	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अल्पावधि ऋण	30000		-	
इंदिरा सागर परियोजना एवं ओमकारेश्वर परियोजना के खर्च का समायोजन कर मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त फंड	36350		83896	
मध्यप्रदेश शासन से अनुदान के तौर पर प्राप्त फंड	4000		-	
वित्त व्यवस्था संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो		118395		96896
घ) विविध खर्च (बट्टे खाते में ना डालने की सीमा तक)		-		-
नकद व नकद समतुल्यों से शुद्ध वृद्धि/कमी (क+ख+ग+घ)		19483		(941)
नकद व नकद समतुल्य (प्रारम्भिक शेष)		745		1686
नकद व नकद समतुल्य (अन्तिम शेष)		20228		745

वी. के. त्रिपाठी	एन. के. चड्ढा	एच. डी. खुंटेटा	एस. के. डोडेजा	योगेन्द्र प्रसाद
सहायक सचिव	प्रमुख (वि. एवं ले)	निदेशक	मुख्य कार्यपालक	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

हमारी इस दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स एम. मेहता एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पी. आर. बंदी
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2003

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का विवरण

1. लेखांकन परम्पराएँ

1.1 वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

1.2 कंपनी लेखाकंन मरकेन्टाइल पद्धति का अनुसरण करती है।

2. स्थायी परिसंपत्तियाँ

2.1 स्थायी परिसंपत्तियों का निर्धारण अर्जन/निर्माण के आधार पर किया गया है। फिर भी, जहाँ संविदाकर्ताओं/आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि द्वारा देयक प्रस्तुत न करने/समायोजन न किए जाए के कारण वास्तविक लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकती, वहां उसे अनुमानित लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

2.2 निगम के स्वामित्व रहित भूमि पर सृजित स्थायी परिसंपत्तियों को नियत परिसंपत्तियों के अन्तर्गत दर्शाया गया है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के जिन्हें पुनर्वास/पुनःस्थापन के लिए सृजित किया गया है।

3. चालू पूंजीगत कार्य

3.1 स्थापना से संबंधित रख रखाव, प्रशासन, ब्याज व स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आदि पर हुए व्यय को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय में प्रभारित किया गया है।

3.2 वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर भूमि तथा अवसरचना निर्माण कार्यों को छोड़कर, 'निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय' की पूर्ण राशि अचल मुख्य संघटकों को आबंटित कर दी जाएगी।

4. प्रारंभिक व्यय

वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद परियोजनाओं का प्रारंभिक व्यय 10 वर्ष की अवधि में अपलेखित किया जायेगा। (31.03.2002 तक यह अवधि केवल 5 वर्ष थी)।

5. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन व्यय

डूब में जाने वाली भूमि से संबंधित मुआवजों एवं अन्य व्ययों के लिए अनंतिम रूप से किया गया भुगतान पुनर्वास तथा पुनःर्स्थापन व्यय माना जाता है।

6. मूल्यह्रास और परिशोधन

6.1 लीज पर ली गई जमीन का प्रीमियम, लीज की अवधि में, परिशोधन किया गया है।

6.2 जिस वर्ष में परिसंपत्तियाँ उपयोग में लाए जाने के लिए उपलब्ध होती है उसमें मूल्यह्रास की व्यवस्था, बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निर्धारित तथा समय–समय पर यथा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि से की जाती है, सिवाए वर्ष के दौरान खरीदी गई 5000/– रुपये या उससे कम मूल्य की परिसंपत्तियों के तथा वर्ष के आरंभ में डब्ल्यूडीवी (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) के संबंध में जो चालू वर्ष के दौरान पूर्णतया मूल्यह्रासित हो जाती हैं। जिन परिसंपत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसार दरें उपलब्ध नहीं हैं, वहां कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची –XIV में निर्धारित दरें अपनाई जाती हैं।

7. वस्तुसूचियों का मूल्यांकन

7.1 भंडारों तथा अतिरिक्त कल पुजों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है, किन्तु बेकार माल का मूल्य निर्धारण शुद्ध प्राप्य मूल्य के आधार पर किया जाता है।

7.2 वर्ष के दौरान निर्गमित खुदरा औजारों की लागत को, जहां एकल मद की लागत 5000/– रुपए या इससे कम है, खपत में प्रभारित किया जाता है तथा अन्य मामलों में 5 बराबर वार्षिक किश्तों में अपलेखित किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा ऋणों/अधिशेषों को वर्ष के अंत में लागू विनिमय दरों के अनुसार बदल/परिवर्तित किया जाता है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के मामले में इस अंतर को चालू पूंजीगत कार्यों/नियत परिसंपत्तियों के मामले में इसे निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च (आईईडीसी) में डाला जाता है।

9. सेवानिवृति लाभ

प्रत्येक वर्ष बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्यूटी, अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा स्वास्थ्य योजना का प्रावधान है।

10. विविध

10.1 मार्गस्थ माल/निष्पादित पूंजीगत कार्य के लिए देयताएं जिनके लिए निगम द्वारा लंबित निरीक्षण तथा स्वीकृत न किए जाने के कारण प्रावधान नहीं किया गया है।

10.2 50,000/– रुपए और इससे कम की मदों के पूर्व प्रदत्त व्ययों तथा पूर्वावधि व्ययों/आय को स्वाभाविक लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्रभारित किया जाता है।

11. निगम मुख्यालय के लिये खर्च का आबंटन

निगम कार्यालय के व्यय, परियोजनाओं को वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय के अनुपात में, आबंटित किए जाते हैं।

12. उधार लागत

उधार लेने की लागत जो कि निर्माण के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों को आरोप्य है, को पूंजीकृत किया जाता है।

13. आय पर कर

चालू वर्ष के लिए आय पर करों का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

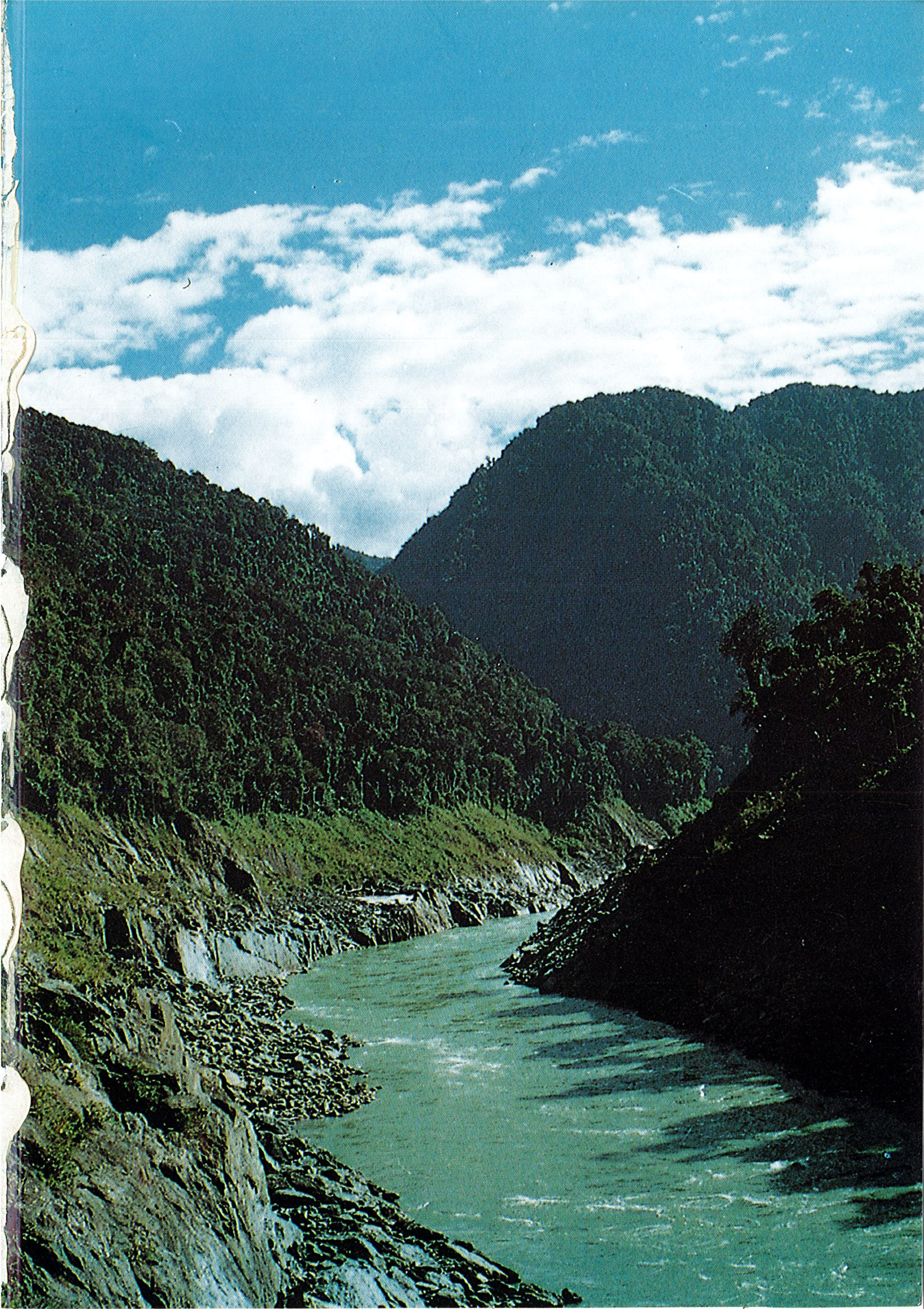

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121 003 (हरियाणा)

वेबसाइट : http://www.nhpcindia.com